

भारतीय न्याय संहिता, 2023

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना।
- परिमाणाएं।
- साधारण स्पष्टीकरण और पद।

अध्याय 2

दण्डों के विषय में

- दण्ड।
- मृत्यु दण्डादेश या आजीवन कारावास का लघुकरण।
- दण्डावधियों की भिन्नता।
- दण्डावधिष्ट कारावास के (कतिपय मामलों में सम्पूर्ण कारावास) या उसका कोई आग कठिन या सादा हो सकेगा।
- जुर्माने की रकम का, जुर्माना आदि के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर, दायित्व।
- कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि।
- कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है।
- एकांत परिरोध।
- एकांत परिरोध की अवधि।
- पूर्ण दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड।

आध्याय 3

साधारण अपवाद

- विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
- न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य।
- न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य।
- विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
- विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना।

खंड

19. कार्य, जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है।
20. सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य।
21. सात वर्ष से ऊपर किंतु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य।
22. मानसिक रूग्णता वाले व्यक्ति का कार्य।
23. ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है।
24. किसी द्वारा, जो मतता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या जान का होना अपेक्षित है।
25. सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का जान हो।
26. किसी द्वारा के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है।
27. संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्नत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।
28. सम्मति, जिसके संबंध में यह जात हो कि वह अय या अम के अधीन दी गई है।
29. ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है।
30. सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।
31. सद्भावपूर्वक टी गई समूचना।
32. वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है।
33. लुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य।

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए

34. प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें।
35. शरीर तथा संपत्ति वी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।
36. ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मानसिक रूप से रूग्ण हो।
37. कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।
38. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है।
39. कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से अल्प तक कोई अपहानि कारित करने तक का होता है।
40. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।
41. कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है।
42. ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से अल्प तक कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है।
43. सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।
44. घातक हमसे वी विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है।

अध्याय 4

दुष्प्रेरण, आपराधिक घट्यंत्र और प्रयास के विषय में

45. किसी बात का दुष्प्रेरण।
46. दुष्प्रेरक।
47. भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण।
48. भारत में अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण।
49. दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहाँ कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है।
50. दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है।
51. दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है।
52. दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कर्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है।
53. दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो।
54. अपराध किए जाने समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति।
55. मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।
56. कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।
57. लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियाँ द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण।
58. मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।
59. किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है।
60. कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।

आपराधिक घट्यंत्र के विषय में

61. आपराधिक घट्यंत्र।
62. आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड।

अध्याय 5

स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में

यौन अपराधों के विषय में

63. बलात्संग।
64. बलात्संग के लिए दंड।
65. कतिपय मानवों में सामूहिक बलात्संग के लिए दंड।
66. पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड।

खंड

67. पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दोशन या प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन
68. प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन ।
69. प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि से नियोजक द्वारा मैथुन ।
70. सामूहिक बलात्संग ।
71. पुनरावृतिकर्ता अपराधियों के लिए दंड ।
72. कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकाटीकरण ।

स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में

73. स्त्री की लज्जा अंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
74. लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड ।
75. दिवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।
76. इश्यरतिकर्ता।
77. पीछा करना ।
78. शब्द, भंगविहोप या कार्य, जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित हैं।

विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में

79. घोज मृत्यु ।
80. विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास ।
81. पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना ।
82. विधिपूर्ण विवाह के बिना क्षटपूर्वक विवाह करने पूरा कर लेना ।
83. विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना ।
84. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति कूरता करना ।
85. विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहत करना, अपहत करना या उत्प्रेरित करना ।

गर्भपात, आदि कारित करने के विषय में

86. गर्भपात कारित करना ।
87. स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना ।
88. गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु ।
89. शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य ।
90. ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना ।

बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में

91. शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बासह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग ।

खंड

92. मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना ।
93. अपराध को कारित करने के लिए बालक को आड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना ।
94. शिशु का उपापन ।
95. दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण ।
96. वैश्यावृति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेघना ।
97. वैश्यावृति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु का खरीदना ।

आध्याय 6

**मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में जीवन के लिए
संकटकारी अपराधों के विषय में**

98. आपराधिक मानव वध ।
99. हत्या ।
100. जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय या उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध ।
101. हत्या के लिए दण्ड ।
102. आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड।
103. हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड।
104. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना ।
105. शिशु या मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के आत्महत्या का दुष्प्रेरण ।
106. आत्महत्या का दुष्प्रेरण ।
107. हत्या करने का प्रयत्न ।
108. आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न ।
109. संगठित अपराध ।
110. छोटे संगठित अपराध या समाज्यतः संगठित अपराध ।
111. आतंकवाद अधिनियम के अपराध ।

उपहति के विषय में

112. उपहति ।
113. स्वैच्छया उपहति कारित करना ।
114. धोर उपहति ।
115. स्वैच्छया धोर उपहति कारित करना ।
116. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वैच्छया उपहति या धोर उपहति कारित करना ।
117. सपति उदाधित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वैच्छया उपहति या धोर उपहति कारित करना ।

खंड

118. संस्कृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छया उपहति या धोर उपहति कारित करना ।
119. लोक सेवक को अपने कर्तव्य से अयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या धोर उपहति कारित करना ।
120. प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या धोर उपहति कारित करना ।
121. अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्रवारा उपहति कारित करना ।
122. अन्त आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया धोर उपहति कारित करना ।
123. कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक दोम संकटापन्न हो ।
सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में
124. सदोष अवरोध ।
125. सदोष परिरोध ।

आपराधिक बल और हमले के विषय में

126. बल ।
127. आपराधिक बल ।
128. हमला ।
129. गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए टण्ड ।
130. लोक सेवक अपने कर्तव्य के निर्वहन से अयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।
131. गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।
132. किसी व्यक्ति द्रवारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की ओरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।
133. किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।
134. गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।

व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्मक के विषय में

135. व्यपहरण ।
136. अपहरण ।
137. अख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण ।
138. हत्या करने के लिए या फिरीती के लिए व्यपहरण या अपहरण ।
139. विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना ।
140. व्यक्ति को धोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण ।
141. व्यक्ति का दुव्यापार ।
142. ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुव्यापार किया गया है, शोषण ।

खंड

143. दासों का आध्यात्मिक व्यौहार करना।
 144. विधिविरुद्ध अनिवार्य क्रम।

अध्याय 7

राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

145. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना।
 146. धारा 145 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का अवृयंत्र।
 147. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना।
 148. युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना।
 149. किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना।
 150. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य।
 151. भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना।
 152. भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना।
 153. धारा 151 और 152 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा लौ गई सम्पत्ति प्राप्त करना।
 154. लोक सेवक का स्वैच्छिया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना।
 155. उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना।
 156. ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना।

अध्याय 8

सेना नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में

157. विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना।
 158. विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए।
 159. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर जब कि वह आफिसर अपने पट-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण।
 160. ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए।
 161. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण।
 162. अभित्यजक को संश्रय देना।
 163. मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिजिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्यजक।
 164. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण।
 165. कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति।
 166. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना।

खंड

अध्याय 9

निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में

167. "अङ्गरथी", "निर्वाचन अधिकार" परिभ्राष्टि ।
168. रिश्वत ।
169. निर्वाचनी में असम्यकत असर डालना ।
170. निर्वाचनी में प्रतिरूपण।
171. रिश्वत के लिए दण्ड ।
172. निर्वाचनी में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड ।
173. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन ।
174. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध सदाय ।
175. निर्वाचन लेखा रखने में असफलता ।

अध्याय 10

सिक्कों, करेसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

176. सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेसी नोट या बैंक नोट कूटकरण ।
177. कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना ।
178. कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेसी नोट या बैंक नोट को कद्दे में रखना ।
179. लिखत या कूटरचना के लिए सामदी या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेसी नोट या बैंक नोट बनाना या कद्दे में रखना ।
180. करेसी नोट या बैंक नोट के सहश दस्तावेज बनाना या उपयोग करना ।
181. इस आशय से कि सरकार को हानि बरित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है ।
182. ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में जात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है ।
183. स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्वयोतक चिह्न का छीलकर मिटाना।
184. बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध ।
185. टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस बजन या मिश्रण से बिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है ।
186. टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना ।

अध्याय 11

लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

187. विधिविरुद्ध जगत ।

खंड

188. विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अवासर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी ।
189. बल्वा करना ।
190. बल्वा करने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना—यदि बल्वा किया जाए—यदि बल्वा न किया जाए ।
191. उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी, आदि जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा किया गया है, का दायित्व ।
192. दंगा ।
193. लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना ।
194. धर्म, मूलवश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारी पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना ।
195. राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लाल्हा, प्राण्यान ।

अध्याय 12

लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में

196. लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है ।
197. लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश वीं अवज्ञा करता है ।
198. पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड ।
199. लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है ।
200. लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है ।
201. लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है ।
202. लोक सेवक का प्रतिरूपण ।
203. कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना ।

अध्याय 13

लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

204. समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना ।
205. समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना ।
206. लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना ।
207. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी ।
208. दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आवृद्ध व्यक्ति का लोप ।
209. सूचना या इतिला देने के लिए वैध रूप से आवृद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इतिला देने का लोप ।

खंड

210. मिथ्या इतिला देना ।
211. शपथ या प्रतिज्ञान से इकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए ।
212. प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इकार करना ।
213. कथन पर हस्ताक्षर करने से इकार ।
214. शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन ।
215. इस आशय से मिथ्या इतिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे ।
216. लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध ।
217. लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना ।
218. लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना ।
219. लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना ।
220. लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आवद्ध हो ।
221. लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा ।
222. लोक सेवक को क्षति करने की धमकी ।
223. लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी ।
224. विधिविरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास ।

अध्याय 14

मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

225. मिथ्या साक्ष्य देना ।
226. निष्ठ्या साक्ष्य गढ़ना ।
227. मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड ।
228. मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ।
229. आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ।
230. किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना ।
231. उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना जात है ।
232. मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना ।
233. प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना जात है, सच्चे के रूप में काम में लाना ।

खंड

234. ऐसी धोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा लो जा सके, किया गया मिथ्या कथन ।
235. ऐसी धोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना ।
236. अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इतिला देना ।
237. इतिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इतिला देने का साशय लोप ।
238. किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतिला देना ।
239. साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना ।
240. बाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण ।
241. संपत्ति को सम्पहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना ।
242. संपत्ति पर उसके सम्पहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा ।
243. ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्टी होने देना सहन करना ।
244. बैंकमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना ।
245. ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्टी अभिप्राप्त करना ।
246. क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप ।
247. अपराधी को संक्रय देना ।
248. अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना ।
249. अपराधी के प्रतिष्ठादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का पत्यावर्तन ।
250. चोरी की संपत्ति इत्यादि के बापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना ।
251. ऐसे अपराधी को संशय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है।
252. लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति ।
253. लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के सम्पहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा ।
254. किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को सम्पहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना ।
255. न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा अप्टतापूर्वक किया जाना ।
256. प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुट्टगी ।
257. पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप ।
258. दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुट्ट जिए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप ।

खंड

259. लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल आगना सहन करना ।
260. किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा ।
261. किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा ।
262. उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल आगना सहन करना ।
263. अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल आगना या छुड़ाना ।
264. दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण ।
265. न्यायिक कार्यवाही में दैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न ।
266. असेसर का प्रतिरूपण ।
267. जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता ।

अध्याय 15

लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

268. लोक न्यूसेन्स ।
269. उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो ।
270. परिदृष्टव्यष्टिपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो ।
271. करन्तीन के नियम की अवजा ।
272. विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्चण ।
273. अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय ।
274. ओषधियों का अपमिश्चण ।
275. अपमिश्चित ओषधियों का विक्रय ।
276. ओषधि का शिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय ।
277. लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कल्पित करना ।
278. वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना ।
279. लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकला ।
280. जलयान का उतावलेपन से चलाना ।
281. आमक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन ।
282. अक्षमकर या अति लटे हुए जलयान में आड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण ।
283. लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा ।
284. विषेल पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण ।
285. अग्नि या जबलनशील पदार्थ के सम्बन्ध से उपेक्षापूर्ण आचरण ।
286. विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण ।

खंड

287. मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण ।
288. किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण ।
289. जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण ।
290. अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड ।
291. न्यूसेन्स बन्द करने के द्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना ।
292. अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि ।
293. बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, आदि ।
294. अश्लील कार्य और गाने ।
295. लाटरी कार्यालय रखना ।

अध्याय 16

धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में

296. किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अगवित्र करना ।
297. विमर्शीत और विद्वेष्यपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हैं ।
298. धार्मिक जमाव में विघ्न करना ।
299. कविस्तानों आदि में अतिचार करना ।
300. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शीत आशय से, शब्द उच्चारित करना आदि ।

अध्याय 17

सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

चोरी के विषय में

301. चोरी ।
302. झापटमारी ।
303. निवास-गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी ।
304. लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी ।
305. चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी ।

उद्धापन के विषय में

306. उद्धापन ।

लूट और डैकेती के विषय में

307. लूट ।
308. डैकेती ।
309. मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डैकेती ।
310. घातक आयुध से सजिंजत होकर लूट या डैकेती करने का प्रयत्न ।

खंड

311. चोरों की टोली का होने के लिए दण्ड ।
सम्पति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में
312. सम्पति का बेईमानी से दुर्विनियोग ।
313. ऐसी सम्पति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी ।
आपराधिक न्यासभंग के विषय में
314. आपराधिक न्यासभंग ।
चुराई हुई संपति प्राप्त करने के विषय में
315. चुराई हुई संपति ।
छल के विषय में
316. छल ।
317. प्रतिरूपण द्वारा छल ।
कपटपूर्ण विलेखों और संपति व्यवहारों के विषय में
318. लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या डिपाना ।
319. ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना ।
320. ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना ।
321. सम्पति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या डिपाया जाना ।
रिष्ट के विषय में
322. रिष्ट ।
323. जीवजन्म को वथ करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्ट ।
324. क्षति, जलप्तवान, अविन या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट ।
325. रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन वोल्ड वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्ट ।
326. चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दण्ड ।
आपराधिक अतिचार के विषय में
327. आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार ।
328. गृह-अतिचार और गृह-भेदन ।
329. गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड ।
330. अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार ।
331. उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार ।
332. ऐसे पात्र को, जिसमें संपति है, बेईमानी से लोडकर खोलना ।

खंड

अध्याय 18

दस्तावेजों और संपति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में

333. मिथ्या दस्तावेज रचना ।
 334. कूटरचना ।
 335. न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना ।
 336. मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना ।
 337. धारा 338 या 339 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना ।
 338. कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना ।
 339. धारा 339 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना ।
 340. धारा 339 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना ।
 341. विल, दलकङ्गण प्राधिकार-पञ्च या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रट्ट, नष्ट, आदि करना ।
 342. लेखा का मिथ्याकरण ।

संपति चिह्नों के विषय में

343. सम्पति-चिह्न ।
 344. क्षति कारित करने के आशय से सम्पति-चिह्न को बिगड़ाना ।
 345. सम्पति-चिह्न का कूटकरण ।
 346. सम्पति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा ।
 347. कूटकृत सम्पति-चिह्न से चिह्नित माल का बिक्रय ।
 348. किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है ।

अध्याय 19

आपराधिक अभिनास, अपमान और क्षोभ के विषय में

349. आपराधिक अभिनास ।
 350. लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान ।
 351. लोक रिष्टिकरक वक्तव्य ।
 352. व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कर्य ।
 353. मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अव्याप ।

मानहानि के विषय में

354. मानहानि ।

खंड

असहाय व्यक्ति की परिचयों करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का
भंग के विषय में

- 355. असहाय व्यक्ति की परिचयों करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का
भंग के विषय में।
- 356. निरसन और व्यावृति।

2023 का विधेयक संख्यांक /21.

[दि भारतीय न्याय संहिता, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय न्याय संहिता, 2023

अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन
तथा उससे संबद्ध या उससे आनुचंगिक विषयों का
उपबंध करने के लिए
विधेयक

आरत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

आदेशाव 1

प्रारंभिक

- 5 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता, 2023 है ।
(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना
द्वारा, नियत करे और संहिता के डिव्हन-डिव्हन उपबंधों के लिए डिव्हन-डिव्हन तारीख नियत
की जा सकेगी ।
(3) हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए, जिसका
वह भारत के बीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन टण्डनीय होगा अन्यथा नहीं ।

संक्षिप्त नाम,
प्रारंभिक और
लागू होना ।

(4) भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा, मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था।

(5) इस संहिता के उपबन्ध,-

(क) भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा ; ५-

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कही भी हो किसी व्यक्ति द्वारा, किए गए किसी अपराध को भी लागू है;

(ग) भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना।

स्पष्टीकरण-- इस धारा में "अपराध" शब्द के अन्तर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है, जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता;

इच्छात

जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में, जहां वह पाया जाए, हत्या के लिए विधारित और दोषसिद्ध किया जा सकता है। १५-

(6) इस संहिता में की कोई बात, भारत सरकार की सेवा के आफिसरों, सैनिकों, नौसेनिकों या वायु सेनिकों द्वारा विद्रोह और अभियंजन को दण्डित करने वाले किसी अधिनियम के उपबन्धों, या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबन्धों, पर प्रभाव नहीं डालेगी।

परिभाषाएँ ।

2. इस संहिता में जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- २.०

(1) "कार्य"- "कार्य" शब्द कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है, जिस प्रकार एक कार्य का;

(2) "जीवजन्तु" शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी अभिप्रेत है;

(3) "कूटकरण" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एक चीज को दूसरी चीज के सहश इस आशय से करता है कि वह उस सहश से प्रवंचना करे, या यह संभाल्य जानते हुए करता है कि तदद्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह "कूटकरण" करता है, यह कहा जाता है;

स्पष्टीकरण 1—कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो।

स्पष्टीकरण 2—जब कि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सहश कर दे और साहश्य ऐसा है कि तदद्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सहश बनाता है उसका आशय उस सहश द्वारा प्रवंचना करने का था या वह यह समझात्य जानता था कि तदद्वारा प्रवंचना की जाएगी;

(4) "न्यायाधीश" शब्द उस न्यायाधीश का, जिसे अकेले ही को न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश-निकाय का, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश-निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा हो,

५-

१०

१५-

२.०

३०

३.५

अभिप्रेत है:

(5) "मृत्यु" जब तक कि संदर्भ के तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, "मृत्यु" शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है,

(6) "बैड़मानी से" जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदौष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदौष हानि कारित करे, वह उस कार्य को करता है, यह कहा जाता है, अभिप्रेत है,

(7) "दस्तावेज" शब्द कोई भी विषय का अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्न के साधन द्वारा, या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके,

स्पष्टीकरण 1—यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिह्न बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं।

इष्टांत

(क) किसी संविदा के निवन्धनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख, जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है।

(ख) बैंककार पर दिया गया चेक दस्तावेज है।

(ग) मुख्तारनामा दस्तावेज है।

(घ) मालचित्र या रेखांक, जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज है;

(ङ) जिस लेख से निर्देश या अनुदेश अन्तर्विष्ट हों, वह दस्तावेज है;

स्पष्टीकरण 2—अक्षरों, अंकों या चिह्नों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिह्नों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, याहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त न भी किया गया हो।

इष्टांत

एक विनिमयपत्र की पीठ पर, जो उसके आदेश के अनुसार देय है, अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमयपत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर "धारक को भुगतान करो" शब्द या तटप्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों।

(8) "कपटपूर्वक"—कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं।

(9) लिंग—पुलिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं, वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, याहे नर हो या नारी।

स्पष्टीकरण—"ट्रांसजेंडर" का वह अर्थ होगा, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारी का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा (2) के खंड (ट) में है,

2019 का 40

(10) "सद्भावपूर्वक"—कोई बात "सद्भावपूर्वक" की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो;

(11) "सरकार" केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का द्योतक है;

5

(12) "संश्य"—धारा 187 वीं उपधारा (7) में के सिवाय और धारा 191 की उपधारा (1) में वहाँ के सिवाय, जहाँ संश्य संश्लिष्ट व्यक्ति की पत्ती या पति द्वारा दिया गया हो, "संश्य" शब्द के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, जोखन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोलाबारूद या प्रवहण के साधन देना, या किन्हीं साधनों से याहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिणित हैं किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना, आता है ;

10

(13) "क्षति" शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, छाती या सम्पत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो ;

(14) "अवैध"—करने के लिए वैध रूप से आवद्ध—"अवैध" शब्द हर उस बात को लागू है, जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो ; और कोई व्यक्ति उस बात को "करने के लिए वैध रूप से आवद्ध" कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है ;

15

(15) न्यायाधीश—"न्यायाधीश" शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किन्तु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है,—

(i) जो किसी विधि-कार्यवाही में, याहे वह सिविल हो या दाइडक, अन्तिम निर्णय या ऐसा निर्णय, जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अन्तिम हो जाए या ऐसा निर्णय, जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अन्तिम हो जाए, देने के लिए, विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा

20

(ii) जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो ।

25

इष्टांत

किसी आरोप के संबंध में, जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दण्ड देने की शक्ति प्राप्त है, याहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है ।

(16) "जीवन"—जब तक संटभे से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, "जीवन" शब्द मानव के जीवन का अभिप्रेत है ;

30

(17) "स्थानीय विधि"—"स्थानीय विधि" वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो ;

35

(18) "पुरुष" — "पुरुष" शब्द किसी भी आयु के मानव नर अभिप्रेत है ;

(19) "मानसिक रुग्णता" का वह अर्थ होगा जो मानसिक स्वास्थ्य लाभ अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (क) में है;

2017 का 10

(20) "मास" और "वर्ष" — जहाँ कहीं "वर्ष" शब्द या "मास" शब्द का प्रयोग

किया गया है वहां वह समझा जाना है कि वर्च या मास की गणना ब्रिटिश कलेंडर के अनुकूल की जानी है ;

(21) "जंगम सम्पति"- "जंगम सम्पति" शब्दों से यह आशयित है कि इनके अन्तर्गत हर भाँति की मूर्त सम्पति आती है, किन्तु भूमि और वे चीजें, जो भू-बद्ध हों या भू-बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इनके अन्तर्गत नहीं आती ;

(22) वधन-जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एकवचन अभिप्रेत शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन आता है, और बहुवचन अभिप्रेत शब्दों के अन्तर्गत एकवचन आता है ;

(23) "शपथ"- शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा, जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, "शपथ" शब्द के अन्तर्गत आती है ;

(24) "अपराध" - इस खण्ड के उपखण्ड (क) और उपखण्ड (ख) में वर्णित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय, "अपराध" शब्द से इस संहिता द्वारा दण्डनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है, किन्तु-

(क) अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं, अर्थात् धारा 8 की उपधारा (2),

(3), (4), (5), धारा 8, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61,

219, 227, 228, 237, 245, 247, 248, 256, 257, 258, 259, 260,

115(1), 119, 115(2), 116(1), 116(2), 123(7), 123(8), 305(7), 305(6)

और 327(2) में "अपराध" शब्द से इस संहिता के अधीन, या एतिस्मनपश्चात् वथापरिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय बात अभिप्रेत है ;

और

(ख) धारा 185(1), 208, 209, 235, 236, 246, 250 और 326(1) में "अपराध" शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय बात ऐसी विधि के अधीन उह मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित, दण्डनीय हो ;

(25) "लोप"- शब्द लोपावली से वह अभिप्रेत है उसी प्रकार है जिस प्रकार का लोप का ;

(26) व्यक्ति-कोई भी कपनी या संगम, या व्यक्ति निकाय चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, "व्यक्ति" शब्द के अन्तर्गत आता है :

(27) लोक-लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय "लोक" शब्द के अन्तर्गत आता है ;

(28) लोक सेवक—"लोक सेवक" शब्द उस व्यक्ति के द्योतक है, जो एतिस्मन पश्चात् निम्नवाल वर्णनों में से किसी में आता है, अर्थात् :-

(क) भारत की सेना, नौसेना या वायु सेना का हर आयुक्त आफिसर;

(ख) हर न्यायाधीश जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्यायनिर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के

सदस्य के रूप में निवेदन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो ;

(ग) न्यायालय का हर आफिसर (जिसके अन्तर्गत समापक, रिसीवर या कमिशनर आता है) जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे, या रखे, या किसी सम्पत्ति का आर समझाने या उस सम्पत्ति का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति, जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का पाधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो ;

(घ) किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर असेसर या पंचायत का सदस्य ;

(ङ) हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसको किसी न्यायालय द्वारा, या किसी अन्य सळम लोक पाधिकारी द्वारा, कोई मामला या विषय, विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो ;

(च) हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो, जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो ;

(छ) सरकार का हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधी का निवारण करे, अपराधी की इतिलादे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक के स्वास्थ्य, क्षेत्र या सुविधा की संरक्षा करे ;

(ज) हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन-संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या सरकार के धन-संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके ;

(झ) हर आफिसर, जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी शाम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्गृहीत करे, या किसी शाम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे ;

(ञ) हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने, या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो ;

(ट) हर व्यक्ति, जो—

(i) सरकार की सेवा या बैतल में हो, या किसी लोक कर्तव्य के पालन

के लिए सरकार से कीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो ;

1897 का 10

(ii) साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 के खंड (31) में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की अवधारणा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी कम्पनी की, सेवा या वेतन में हो ।

2013 का 18

5

स्पष्टीकरण--

(क) ऊपर के वर्णनों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं ।

10

(ख) वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हैं, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो ।

15

(ग) "निर्वाचन" शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नामे, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वरणार्थ निर्वाचन का द्वयोतक है जिसके लिए वरण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो ।

इष्टांत

नगरपालिका आयुक्त लोक सेवक है ।

20

(29) "विश्वास करने का कारण" कोई व्यक्ति किसी बात के "विश्वास करने का कारण" रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है, अन्यथा नहीं ।

(30) "विशेष विधि" वह विधि है जो किसी विशेष विषय को लागू हो ।

25

(31) "मूल्यवान प्रतिभूति" शब्द उस दस्तावेज अभिप्रेत है, जो ऐसी दस्तावेज है, या होनी तात्पर्यित है, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सुजित, विस्तृत, अन्तरित, निर्बन्धित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है ।

इष्टांत

30

एक विनिमयपत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है । इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को, जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए, उस विनिमयपत्र पर का अधिकार अन्तरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन "मूल्यवान प्रतिभूति" है ।

(32) "जलव्यान" शब्द किसी चीज अभिप्रेत है, जो मानवों के या सम्पत्ति के जल द्वारा प्रवहण के लिए बनाई गई हो ।

35

(33) "स्वेच्छया" कोई व्यक्ति किसी परिणाम को "स्वेच्छया" करित करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह उसे उन साधनों द्वारा करित करता है, जिनके द्वारा उसे करित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा करित करता है जिन

साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था, या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है ;

इष्टांत

लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है । यहां का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे तो उसने स्वेच्छया मृत्यु कारित की है ;

(34) "बिल" शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है ;

(35) "स्त्री" शब्द किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है ;

(36) "सदोष अभिलाभ" विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पति का अभिलाभ है, जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो ;

(37) "सदोष हानि" विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पति की हानि है, जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो ;

(38) "सदोष अभिलाभ प्राप्त करना"/"सदोष हानि उठाना"—कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जब कि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है और तब भी जबकि वह सदोष अज्ञेन करता है । कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जब कि उसे किसी सम्पति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जबकि उसे किसी सम्पति से सदोष बोधित किया जाता है ;

(39) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम में हैं ।

साधारण स्पष्टीकरण और पद ।

3. (1) इस संहिता में संबंध, अपराध की हर परिभाषा, हर दण्ड उपबंध और, हर ऐसी परिभाषा या दण्ड उपबंध का हर इष्टांत, "साधारण अपवाद" शीर्षक वाले आध्याय में अन्तर्विष्ट अपवादों के अध्यधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दण्ड उपबंध या इष्टांत में दुहराया न गया हो ।

इष्टांत

(क) इस संहिता की वे धाराएं, जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अन्तर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि सात वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किन्तु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्यधीन समझी जानी हैं जिसमें यह उपबन्धित है कि कोई बात, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, अपराध नहीं है ।

(ख) क, एक पुलिस आफिसर, वारपट के बिना, य को, जिसने हत्या की है, पकड़ लेता है । यहां का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह य को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आवद्ध था, और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अन्तर्गत आ जाता है, जिसमें यह उपबन्धित है कि "कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आवद्ध हो ।"

(2) हर पद, जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस

५

१०

१५

२०

2000 का 21

२५

३०

३५

संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है।

(3) जबकि सम्पत्ति किसी व्यक्तित्व के निमित्त उस व्यक्तित्व की पत्ती, लिपिक या सेवक के कद्दों में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत उस व्यक्तित्व के कद्दों में है।

⁵ स्पष्टीकरण—लिपिक या सेवक के नाते आशयी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्तित्व इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत लिपिक या सेवक है।

(4) जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है।

¹⁰ (5) जबकि कोई आपराधिक कार्य कड़े व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अवसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्तित्व उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

¹⁵ (6) जब कभी कोई कार्य, जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कड़े व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्तित्व, जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो।

(7) जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है।

²⁰

इष्टांत

क अंशतः य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः य को पीट कर साशय य की मृत्यु कारित करता है। क ने हत्या की है।

²⁵ (8) जबकि कोई अपराध कड़े कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्तित्व के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साशय सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है।

इष्टांत

(क) क और ख पृथक्-पृथक् रूप से और विभिन्न समर्थों पर य को विष की छोटी-छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। क और ख, य की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार य को विष देते हैं। य इस प्रकार दी गई विष की कड़े मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ क और ख हत्या करने में साशय सहयोग करते हैं और क्योंकि उनमें से हर एक एसा कार्य करता है, जिससे मृत्यु कारित होती है, वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक् हैं।

(ख) क और ख संयुक्त जैलर हैं, और अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी य का बारी-बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण-मार रखते हैं य को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन क और ख को दिया जाता है, वह भोजन इस आशय से कि य की मृत्यु कारित कर दी जाए, हर एक अपने हाजिरी के काल में य को देने का लोप करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं। य भूख से मर जाता है। क और ख

दोनों य की हत्या के दोषी हैं।

(ग) एक जेलर क, एक कैदी य का संरक्षण-भार रखता है। क, य की मृत्यु कारित करने के आशय से, य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है, जिसके परिणामस्वरूप य की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किन्तु यह क्षुधापीड़न उसकी मृत्यु, कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। क अपने पद से छ्युत कर दिया जाता है और ख उसका उत्तरवर्ती होता है। क से दुस्संधि या सहयोग किए बिना ख यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह य की मृत्यु कारित कर दे, य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है। य, भूख से मर जाता है। ख हत्या का दोषी है किन्तु क ने ख से सहयोग नहीं किया, इसलिए क हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है।

(9) जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या सम्पृक्त हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं।

इष्टांत

क गम्भीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन य पर आङ्गमण करता है कि य का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। ख जो य से वैमनस्य रखता है, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए य का वध करने में क की सहायता करता है। यहाँ, यद्यपि क और ख दोनों य की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, ख हत्या का दोषी है और क केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है।

आधार 2

दण्डों के विषय में

दण्ड।

4. अपराधी इस सहिता के उपबंधों के अधीन जिन दण्डों से दण्डनीय हैं, वे ये हैं—

(क) मृत्यु;

(ख) आजीवन कारावास;

(ग) कारावास, जो टो भांति का है, अर्थात् :-

(1) कठिन, अर्थात् कठोर श्रम के साथ;

(2) सादा;

(घ) सम्पत्ति का सम्पहरण;

(ङ) जुर्माना;

(च) सामुदायिक सेवा।

5. हर मामले में, जिसमें,—

(क) मृत्यु का दण्डादेश दिया गया हो, उस दण्ड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस सहिता द्वारा उपबन्धित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती।

(ख) आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दण्ड को ऐसी अवधि के लिए, जो घौटह वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकती।

मृत्यु दण्डादेश
या आजीवन
कारावास का
लघुकृत।

5

10

15

20

25

30

35

स्पष्टीकरण—“समुचित सरकार” पद से,—

(क) उन मामलों में केवलीय सरकार अभिप्रेत है, जिनमें दंडादेश मृत्यु का दण्डादेश है, या ऐसे विषय से, जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, तथा

(ख) उन मामलों में उस राज्य की सरकार, जिसके अन्दर अपराधी दण्डादिष्ट हुआ है, अभिप्रेत है, जहाँ कि दंडादेश (यह मृत्यु का हो या नहीं) ऐसे विषय से, जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है।

6. दण्डावधियों की भिन्नों का गणना करने में, आजीवन कारावास को चीम वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा।

7. हर मामले में, जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भाँति के कारावास से दण्डनीय है, वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डादेश देगा, सक्षम होगा कि दण्डादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष सादा।

दण्डावधियों की भिन्नों।

दण्डादिष्ट कारावास के (कार्यपालन नामलों में सम्पूर्ण कारावास) या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा।

जुर्माने की रकम का, जुर्माना अदि के बुनियान में व्यतिक्रम करने पर, दाखिल।

8. (1) जहाँ वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है, वह अमर्यादित है किन्तु अत्यधिक नहीं होगी।

(2) किसी अपराध के हर मामले में,—

(क) कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डनीय अपराध के जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित, जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है;

(ख) तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से जिसमें अपराधी जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है, वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डादिष्ट करेगा, सक्षम होगा कि दण्डादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दण्डादिष्ट हुआ है या जिससे वह दण्डादेश के लघुकरण पर दण्डनीय है।

(3) यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डनीय हो, तो वह अवधि, जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की एक चौथाई से अधिक न होगी, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है।

(4) वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भाँति का हो सकेगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जा सकता था।

(5) यदि अपराध के बल जुम्नाने से दण्डनीय हो तो वह कारावास, जिसे न्यायालय जुम्नाना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, सादा होगा और वह अवधि, जिसके लिए जुम्नाना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, निम्न मापमान से अधिक नहीं होगी, अर्थात् :—

(क) जब जुम्नाने का परिमाण पांच हजार रुपए से अधिक न हो, तब दो मास से 5[—] अनधिक कोई अवधि ; और

(ख) जब कि जुम्नाने का परिमाण दस हजार रुपए से अधिक न हो, तब चार मास से अनधिक कोई अवधि, तथा किसी अन्य दशा में एक वर्ष से अनधिक कोई अवधि ।

(6)(क) जुम्नाना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब 10 पर्यवसित हो जाएगा, जब वह जुम्नाना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहीत कर दिया जाए ।

(ख) यदि जुम्नाना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुम्नाने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्गृहीत कर दिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भी जा चुकी हो, वह जुम्नाने के 15 तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा ।

इष्टांत

के एक सौ रुपए के जुम्नाने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए चार मास के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है । यहां, यदि कारावास के एक मास के अवसान से पूर्व जुम्नाने के पचतहर रुपए चुका दिए जाएं या उद्गृहीत कर दिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भी जा चुकी हो, वह जुम्नाने के 20 तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा । यदि कारावास के दो मास के अवसान से पूर्व जुम्नाने के पचास रुपए चुका दिए जाएं या उद्गृहीत कर दिया जाए, 25 तो के दो मास के पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा । यदि पचास रुपए उन दो मास के अवसान पर या किसी भी पश्चात्वर्ती समय पर, जब कि क कारावास में है, चुका दिए जाएं या उद्गृहीत कर दिए जाएं, तो के तुरन्त उन्मुक्त कर दिया जाएगा ।

(7) जुम्नाना या उसका कोई भाग, जो चुकाया न गया हो, दण्डादेश दिए जाने के पश्चात् छह वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दण्डादेश के अधीन छह वर्ष से 30 अधिक के कारावास से दण्डनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी समय, उद्गृहीत किया जा सकेगा ; और अपराधी की मृत्यु किसी भी सम्पत्ति को, जो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो, इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती ।

9. (1) जहां कोई भाग, जो अपराध है, ऐसे भागों से, जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, मिलकर बनी है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दण्ड से दण्डित न किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अधिकारक रूप से उपबन्धित न हो । 35

(2)(क) जहां कोई भाग अपराधों को परिभाषित या दण्डित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की दो या अधिक पृथक् परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा

(ख) जहाँ कई कार्य, जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है, मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, वहाँ अपराधी को उससे गुरुतर दण्ड से दण्डित न किया जाएगा, जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय, जो उसका विचारण करे, उसे दूं सकता हो।

८

इष्टांत

(क) क, य पर लाठी से पचास प्रहार करता है। यहाँ, ही सकता है कि क ने सम्पूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से हर एक प्रहार द्वारा भी, जिनसे वह सम्पूर्ण मारपीट गठित है, य की स्वेच्छया उपहति कारित करने का अपराध किया हो। यदि क हर प्रहार के लिए दण्डनीय होता वह हर एक प्रहार के लिए एक वर्ष के हिसाब से पचास वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था। किन्तु वह सम्पूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दण्ड से दण्डनीय है।

(ख) किन्तु यदि उस समय जब क, य को पीट रहा है, म हस्तक्षेप करता है, और क, म पर साशय प्रहार करता है, तो यहाँ म पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है, जिसके द्वारा क, य को स्वेच्छया उपहति कारित करता है, इसलिए क, य को स्वेच्छया 15 कारित की गई उपहति के लिए एक दण्ड से और म पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दण्ड से दण्डनीय है।

10. उन सब मामलों में, जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किन्तु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है, यदि वही दण्ड सब अपराधों के लिए उपबन्धित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दण्डित किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम 20 दण्ड उपबन्धित किया गया है।

नदे अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड, जबकि जिनमें से वह कथित है कि वह संदेह है कि वह कथित है कि वह किस अपराध का दोषी है।
एकांत परिरोध।

11. जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दें सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के, जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है, किसी भाग या भागों के लिए, जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक न होंगे, जिन मापदण्ड के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा, अर्थात् :-

- (क) यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक न हो तो एक मास से अनधिक समय ;
 30 (ख) यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक हो और एक वर्ष से अधिक न हो, तो दो मास से अनधिक समय ;
 (ग) यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तो तीन मास से अनधिक समय ।

12. एकांत परिरोध के दंडादेश के लिए पद्धति में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक 35 बार में चौदह दिन से अधिक न होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच

एकांत परिरोध की अवधि ।

मैं उन कालावधियों से अन्यून अंतराल हौंगे, और जब दिया गया कारावास तीन मास से अधिक हो, तब दिए गए सम्पूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध सात दिन से अधिक न होगा, साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल हौंगे।

पूर्व दोषतिद्धि के पश्चात् करियर अपराधों के लिए विधि टण्ड।

13. जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस सहिता के आध्याय 10 या आध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भाँति के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए, दोषसिद्धि छहराए जाने के पश्चात् उन दोनों अध्यायों में से किसी आध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी हो, तो वह हर ऐसे पश्चात्वर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो 10 सकेगी, दण्डनीय होगा।

आध्याय 3

साधारण अपवाद

विधि द्वारा आवद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने अपने विधि द्वारा आवद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।

न्यायिकतः वाले करने हेतु न्यायाधीश का कार्य।

न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किसी न्याय कार्य।

विधि द्वारा न्यायानुसत् या तथ्य की भूल से अपने ले लिये द्वारा न्यायानुसत् होने वाले व्यक्ति द्वारा विचार करने कार्य।

14. कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आवद्ध ही या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आवद्ध है।

इष्टांत

(क) विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ आफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया।

(ख) न्यायालय का आफिसर क, म को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक् जांच के पश्चात् यह विश्वास करके कि य, म हैं, य को गिरफ्तार कर लेता है। क ने कोई अपराध नहीं किया।

15. कोई बात अपराध नहीं है, जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जो, या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है।

16. कोई बात, जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते, की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परन्तु यह तब जब कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी।

17. कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुसत् हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुसत् है।

इष्टांत

क, य को ऐसा कार्य करते देखता है, जो क को हत्या प्रतीत होता है। क सद्भावपूर्वक काम में लाए गए अपने शेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए, जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, य

को उचित प्राचीकारियों के समक्ष ले जाने के लिए य को अभिगृहीत करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात् असल बात यह निकले कि य आत्म-प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था।

- 5 18. कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाव्य से और किसी आपराधिक आशय या जान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है।

विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना।

इष्टांत

कुल्हाड़ी से काम कर रहा है; कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछट जाता है, और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहां यदि क की ओर से उचित 10 सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है।

- 15 19. कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सटब्लावपूर्वक की गई हो।

कार्य, जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है।

- 20 स्पष्टीकरण—ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है क्या वह ऐसी प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि वह कार्य, जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, करने की जोखिम उठाना न्यायानुभव या माफी योग्य था।

इष्टांत

- 25 (क) क, जो एक वाष्प जलयान का कप्तान है, अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आपको ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके वह बीस या तीस यात्रियों से भरी नाव ख को अनिवार्यतः टकराकर ढुको देगा, और कि अपना मार्ग बदलने से उसे केवल दो यात्रियों वाली नाव ग को ढुकाने की जोखिम उठानी पड़ती है, जिसके बह सम्भवतः बचाकर निकल जाए। यहां, यदि क नाव ग को ढुकाने के आशय के बिना और ख के यात्रियों के संकट का परिवर्जन करने के प्रयोजन से सटब्लावपूर्वक अपना मार्ग बदल देता है तो यद्यपि वह नाव ग को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर ढुको देता है, जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यतः यह पाया जाता है कि वह संकट, जिसे परिवर्जित करने का उसका आशय था, ऐसा था जिससे नाव ग ढुकाने की जोखिम उठाना माफी योग्य 35 है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है।

- (ख) क एक बड़े अर्द्धनकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए गृहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपति को बचाने के आशय से सटब्लावनापूर्वक करता है। यहां, यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि क का कार्य माफी योग्य है तो क उस अपराध का दोषी नहीं है।
- 35 20. कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।

सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य।

सात वर्ष से उपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरीपक्त समझ के चिशु वह काये।

मानसिक रुग्णता कले व्यक्ति का काये।

ऐसे व्यक्ति का काये जो अपनी इच्छा के विलम्ब मतता में होने के कारण जिसमें पर घुंचने में असमर्थ है।

किसी व्यक्ति द्वारा, जो मात्रा में है, किन्या गया अपराध जिसमें जिशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है।

सम्मति से किन्या गया काये जिससे मृत्यु या धौर उपहति करित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता वह ज्ञान हो।

किसी व्यक्ति के पाप्यटे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किन्या गया काये जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है।

21. कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निषेच कर सके।

22. कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय मानसिक रुग्णता के कारण उस काये की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल हैं, जानने में असमर्थ है।

23. कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय मतता के कारण उस काये की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल हैं, जानने में असमर्थ है, परन्तु यह तब जब कि वह चीज़, जिससे उसकी मतता हुई थी, उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी।

24. उन दशाओं में, जहाँ कि कोई किन्या गया काये अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति, जो वह काये मतता की हालत में करता है, इस प्रकार वरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान या जो उसे होता यदि वह मतता में न होता जब तक कि वह चीज़, जिससे उसे मतता हुई थी, उसे उसके ज्ञान के द्विना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो।

25. कोई बात, जो मृत्यु या धौर उपहति करित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह जात न हो कि उससे मृत्यु या धौर उपहति करित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से अलारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त, चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, करित हो या करित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को जात हो कि वह उपर्युक्त जैसे किसी व्यक्ति को, जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा करित होनी संभाव्य है।

इष्टांत

क और य आमोदार्य आपस में पटेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को, जो ऐसी पटेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए करित हो, उठाने की हर एक को सम्मति विवक्षित है, और यदि क यथानियम पटेबाजी करते हुए य को उपहति करित कर देता है, तो क कोई अपराध नहीं करता है।

26. कोई बात, जो मृत्यु करित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने, या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए धाहे अभिव्यक्त, चाहे दिवक्षित सम्मति दे दी हो, करित हो या करित करने का कर्ता का आशय हो या करित होने की संभाव्यता कर्ता को जात है।

इष्टांत

क, एक शल्य चिकित्सक, यह जानते हुए कि एक विशेष शस्त्रकर्म से य को, जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है किंतु य की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक य के फायदे के आशय से य की सम्मति से य पर वह शस्त्रकर्म करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है।

27. कोई बात, जो बारह वर्ष से कम आयु के या विकृतचित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के, या विधिपूर्ण भारसाधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, या की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से, की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण, अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, या कारित करने का कर्ता का आशय हो या 10 कारित होने की संभाव्यता कर्ता को जात है :

परन्तु—

(क) इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा ;

15 (ख) इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अग्रीथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से जिन्हें किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है ;

20 (ग) इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी घोर रोग या अग्रीथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो ;

(घ) इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है।

इष्टांत

25 क सद्भावपूर्वक, अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना, यह संभाव्य जानते हुए कि शस्त्रकर्म से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु को मृत्यु कारित कर दे, शल्यचिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्यक्रिया करवाता है। क का उद्देश्य शिशु को रोगमुक्त कराना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है।

30 28. कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है, जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है—

(क) यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन, या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो, या उसके पास विश्वास करने का कारण हो, कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह 35 सम्मति दी गई थी ; अथवा

(ख) यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो, जो चित्तविकृति, या मतता के कारण, उस बात की, जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को

संरक्षक द्वारा
या उसकी
सम्मति से
शिशु या उसका
व्यक्ति के
फायदे के लिए
सद्भावपूर्वक
किया रखा
कार्य।

सम्मति,
जिसके संबंध में
यह जात हो कि
वह भय या
भ्रम के अधीन
दी गई है।

समझने में असमर्थ ही ; अथवा

(ग) जब तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल भलीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो, जो बारह वर्ष से कम आयु का है ।

29. धारा 21, 22 और 23 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं जो उस व्यक्ति को, जो सम्मति देता है या जिसकी ५ और से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों से कारित हो, या कारित किए जाने का आशय हो, या कारित होने की सम्भाव्यता जात हो ।

इष्टांत

गर्भपात करना (जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बधाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो) किसी अपहानि के बिना भी, जो उसने उस स्त्री को १० कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है । इसलिए वह “ऐसी अपहानि के कारण” अपराध नहीं है ; और ऐसा गर्भपात करने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती ।

सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के पायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया हो ।

30. कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि, उसकी सम्मति के बिना, को गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण, जो उस बात से उस व्यक्ति को १५ कारित हो जाए, अपराध नहीं है, यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे २० ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके :

परन्तु—

(क) इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा ;

(ख) इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या धोर उपहति के निवारण के या किसी धोर रोग या अंगाशैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा, जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु २५ कारित होना सम्भव है ;

(ग) इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करने या उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा ;

(घ) इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस ३० अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है ।

इष्टांत

(1) य उपने धोड़े से गिर गया और मृदित हो गया । क एक शल्यचिकित्सक का यह विचार है कि य के कपाल पर शल्यक्रिया आवश्यक है । क, य की मृत्यु करने का आशय न रखते हुए, किंतु सद्भावपूर्वक य के फायदे के लिए, य के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की ३५ शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्यक्रिया करता है । क ने कोई अपराध नहीं किया ।

(2) य को एक बाघ उठा ले जाता है। यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से य मर जाए, किंतु य का वाप करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक य के फायदे के आशय से क उस बाघ पर गोली धसाता है। क की गोली से य को मृत्युकारक घाव हो जाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया।

5 (3) क, एक शल्यचिकित्सक, यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभाव्य है, यदि शस्त्रकर्म तुरंत न कर दिया जाए। इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। क, सद्भावपूर्वक शिशु के फायदे का आशय रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनय करने पर भी शस्त्रकर्म करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया।

10 (4) एक शिशु य के साथ क एक जलते हुए गृह में है। गृह के नीचे लोग एक कंबल लाने लेते हैं। क उस शिशु को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वह शिशु मर जाए किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक उस शिशु के फायदे के आशय से गृह छत पर से नीचे गिरा देता है। यहां, यदि गिरने से वह शिशु मर भी जाता है, तो भी क ने कोई अपराध नहीं किया।

15 स्पष्टीकरण—केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है, जो धारा 21, 22 और 23 के भीतर जाता है।

31. सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो।

सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना।

दबावात

26 क, एक शल्यचिकित्सक, एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के परिणामस्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है।

28 32. हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है, छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए।

वह कार्य, जिसकी करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाया है।

30 परन्तु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो, जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है।

35 स्पष्टीकरण 1—वह व्यक्ति, जो स्वयं अपनी इच्छा से, या पीटे जाने की धमकी के कारण, डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है।

स्पष्टीकरण 2—डाकुओं विए एक टोली द्वारा अविगृहीत और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए, जो विधिना अपराध है, विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ, एक लौहार, जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार लौड़ने को विवश किया

जाता है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है।

तुच्छ अपहानि
करित बदल
ताना नहीं ।

प्राइवेट प्रतिरक्षा
में की गई
बातें ।

शरीर तथा
मपनि की
प्राइवेट प्रतिरक्षा
का अधिकार ।

ऐसे व्यक्ति के
कार्य के विरुद्ध
प्राइवेट प्रतिरक्षा
का अधिकार जो
मानसिक रूप में
रहता है ।

33. कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता जात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा ।

5

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए

34. कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है ।

35. धारा 40 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अध्यधीन, हर व्यक्ति को अधिकार है कि, वह—

10

(क) मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे ;

(ख) किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध, जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अतिचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम, चाहे स्थावर संपति की प्रतिरक्षा करे ।

15

36. जब कोई कार्य, जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, मानसिक रूप से रुग्ण या मरता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है, जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता ।

20

हृष्टांत

(क) या पानलपन के असर में, को जान से मरने का प्रयत्न करता है। य किसी अपराध का दोषी नहीं है। किन्तु को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है, जो वह य के स्वस्थचित होने की दशा में रखता ।

25

(ख) क रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। या सद्भावपूर्वक को गृह-आदेक समझकर, क पर आक्रमण करता है। यहां य इस भ्रम के अधीन क पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है किन्तु क, य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है, जो वह तब रखता, जब य उस भ्रम के अधीन कार्य न करता ।

30

37. (1) उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है—

(क) यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या धोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने नदानास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है तो चाहे वह कार्य विधि-अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो ।

35

(ख) यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या धोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से

कार्य, जिसके
विरुद्ध प्राइवेट
प्रतिरक्षा का कोई
अधिकार नहीं
है ।

कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निदेश से किया जाता है, या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निदेश विधि-अनुसार सर्वथा न्यायानुगत न भी हो ।

5 (ग) उन दशाओं में, जिनमें सरका के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है ।

(2) किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है, जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है ।

स्पष्टीकरण 1—कोई व्यक्ति किसी लोक सेवा द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए 10 या किए जाने के लिए प्रयत्न, कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह न जानता हो, या विश्वास करने का कारण न रखता हो, कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निदेश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है, जो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को नाम जाने पर पेश न कर दे ।

स्पष्टीकरण 2—कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निदेश से किए गए, या किए जाने के लिए प्रयत्न, किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह न जानता हो, या विश्वास करने का कारण न रखता हो, कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निदेश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है, जो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को नाम जाने पर पेश न कर दे ।

38. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, पूर्ववर्ती अंतिम धारा 37 में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध, जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतिसमन्वयचात् प्रबन्धित आंतियों में से किसी भी आंति का है, अर्थात् :-

25 (क) ऐसा हमला, जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा ;

(ख) ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा ;

(ग) बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला ;

(घ) प्रकृति-विरुद्ध काम-तृष्णा की तृष्णि के आशय से किया गया हमला ;

30 (ङ) व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला ;

(च) इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए, जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा ;

35 (छ) अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी ।

शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कह होता है ।

कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से जिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है।

शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।

कब संपति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है।

ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से जिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है।

सम्पति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।

39. यदि अपराध पूर्वगामी धारा 38 में प्रगणित भाँतियों में से किसी भाँति का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छया कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन हमलावर की मृत्यु से जिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है।

40. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, याहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है।

41. संपति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, धारा 37 में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के, या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतम्भिन्पश्चात् प्रगणित भाँतियों में से किसी भी भाँति का है, अर्थात्—

(क) लूट;

(ख) राजी गृह-भेदन;

(ग) अविन द्वारा रिष्टि, जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलगान को की गई है, जो मानव आवास के रूप में या संपति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है;

(घ) घोरी, रिष्टि या गृह-अतिथार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा।

42. यदि वह अपराध, जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी घोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिथार है, जो धारा 41 में प्रगणित भाँतियों में से किसी भाँति का न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता किन्तु उसका विस्तार धारा 37 में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन दोषकर्ता की मृत्यु से जिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है।

43. सम्पति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार,—

(क) तब प्रारंभ होता है, जब सम्पति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है।

(ख) संपति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, घोरी के विरुद्ध अपराधी के संपति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या संपति पत्युदधृत हो जाने तक बना रहता है।

(ग) संपति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के दिरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति, या सदोष अवरोध कारित करता रहता या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक लक्षाल मृत्यु का, या लक्षाल उपहति का, या लक्षाल वैयक्तिक अवरोध का, भय बना रहता है।

(घ) संपति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है।

5 (इ) संपति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्री गृह-भैदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक ऐसे गृहभैदन से आरंभ हुआ गृह-अतिचार होता रहता है।

10 44. जिस हमले से नृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दीच व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है।

यातक इमरे के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दीच व्यक्ति की अपहानि होने की जोखिम है।

हस्टांट

क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे-छोटे शिशुओं की 15 अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो क कोई अपराध नहीं करता।

अध्याय 4

दुष्प्रेरण, आपराधिक बड़यंत्र और प्रयास के विषय में दुष्प्रेरण के विषय में

20 45. वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो—

(क) उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है ; अथवा

(ख) उस बात को करने के लिए किसी बड़यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस बड़यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए ; अथवा

25 (ग) उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1—जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्परक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आवद्ध है, जानबूझकर डिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

हस्टांट

क, एक लोक आफिसर, न्यायालय के वारन्ट द्वारा य को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। ख उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि ग, य, नहीं है, क को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि ग, य है, और एतद्वारा साशय क से य को पकड़वाता है। यहां ख, ग के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है।

35 स्पष्टीकरण 2—जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्वारा

उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

दुष्प्रेरक ।

46. वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या जान से, जो 5 दुष्प्रेरक का है, किया जाता ।

स्पष्टीकरण 1—किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, याहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो ।

स्पष्टीकरण 2—दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो । 10

इष्टांत

(क) ग की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है । ख वैसा करने से इन्कार कर देता है । क हत्या करने के लिए ख के दुष्प्रेरण का दोषी है ।

(ख) घ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है । ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घ को विद्ध करता है । घ का घाव अच्छा हो जाता है । क हत्या करने के लिए ख को 15 उकसाने का दोषी है ।

स्पष्टीकरण 3—यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि-अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय या जान हो, जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या जान हो ।

इष्टांत

10

(क) क दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, जो अपराध होगा, यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि-अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता है जो कि क का है । यहां, याहे वह कार्य किया जाए या न किया जाए क अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है ।

(ख) य की हत्या करने के आशय से ख को, जो सात वर्ष से कम आयु का शिशु है, 25 वह कार्य करने के लिए क उकसाता है जिससे य की मृत्यु कारित हो जाती है । ख दुष्प्रेरित के परिणामस्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति में करता है और उससे य की मृत्यु कारित करता है । यहां यद्यपि य वह अपराध करने के लिए विधि-अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि क उसी प्रकार से दण्डनीय है, मानो ख वह अपराध करने के लिए विधि-अनुसार समर्थ हो 30 और उसने हत्या की हो, और इसलिए क मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है ।

(ग) ख को एक निवासगृह में आग लगाने के लिए क उकसाता है । ख वित्तिकृति के परिणामस्वरूप उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ होने के कारण क के उकसाने के परिणामस्वरूप उस गृह में आग, लगा देता है । ख ने कोई अपराध नहीं किया है, किन्तु क एक निवासगृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है, और उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से 35 दण्डनीय है ।

(घ) क चौरी कराने के आशय से य के कहजे में से य की सम्पत्ति लेने के लिए ख को

उकसाता है। ख को यह विश्वास करने के लिए कि उत्प्रेरण करता है कि वह सम्पति की है। ख उस सम्पति का इस विश्वास से कि वह क की सम्पति है, य के कद्दजे में से सद्भावपूर्वक ले लेता है। ख इस अम के अधीन कार्य करते हुए, उसे बैंगानी से नहीं लेता, और इसलिए चोरी नहीं करता; किन्तु क चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है, और उसी दण्ड से दण्डनीय है, मानो ख ने चोरी की ही।

स्पष्टीकरण 4—अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।

इष्टांत

ग को य की हत्या करने को उकसाने के लिए ख को उकसाता है। ख तदनुकूल य की हत्या करने के लिए ख को उकसाता है और ख के उकसाने के परिणामस्वरूप ग उस अपराध को करता है। ख अपने अपराध के लिए हत्या के दण्ड से दण्डनीय है, और क ने उस अपराध को करने के लिए ख को उकसाया, इसलिए क भी उसी दण्ड से दण्डनीय है।

स्पष्टीकरण 5—बड़यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस बड़यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है।

इष्टांत

य को विष देने के लिए क एक योजना ख से मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि क विष देगा। ख तब यह वर्णित करते हुए ग को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किन्तु क का नाम नहीं लेता। ग विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है, और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए ख को परिदृष्ट करता है। क विष देता है, परिणामस्वरूप य की मृत्यु हो जाती है। यहां, यद्यपि क और ग ने मिलकर बड़यंत्र नहीं रचा है, तो भी ग उस बड़यंत्र में सम्मिलित रहा है, जिसके अनुसरण में य की हत्या की गई है। इसलिए ग ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दण्ड से दण्डनीय है।

47. वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए।

भारत से बाहर के अपराधी का भारत में दुष्प्रेरण।

इष्टांत

48. क भारत में ख को, जो एक देश में विदेशीय है, उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है। क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है।

49. वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए।

भारत में अपराधी का भारत में दुष्प्रेरण।

इष्टांत

क एक देश में ख को, भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है। क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है।

दुष्प्रेरण का
दण्ड, यदि
दुष्प्रेरित कार्य
उसके परिणामस्वरूप
किया जाए, और
जहाँ कि उसके
दण्ड के लिए
कोई अभियंता
उपबन्ध नहीं
है।

दुष्प्रेरण का
दण्ड, यदि
दुष्प्रेरित व्यक्ति
दुष्प्रेरक के आशय से शिन्न
आशय से कार्य
करता है।

दुष्प्रेरक का
दायित्व जब एक
कार्य का दुष्प्रेरण
किया गया है
और उससे शिन्न
कार्य किया गया
है।

49. जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस सहिता द्वारा कोई अभियंता उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है।

स्पष्टीकरण—कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब वह 5
जाता है, जब वह उस उक्साहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

इष्टांत

(क) ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए के उक्साता है। ख उस उक्साहट के परिणामस्वरूप, वह अपराध करता है। क उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है, और उसी 10
दण्ड से दण्डनीय है जिससे ख है।

(ख) य को विष देने का षड्यंत्र के और ख रचते हैं। क उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष उपाप्त करता है और उसे ख को इसलिए परिदान करता है कि वह उसे य की दे। ख उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष की अनुपस्थिति में य को देता है और उसके द्वारा य की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ, ख हत्या का दोषी है। क षड्यंत्र द्वारा उस अपराध 15
के दुष्प्रेरण का दोषी है, और वह हत्या के लिए दण्ड से दण्डनीय है।

50. जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या जान से शिन्न आशय या जान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या जान से, न कि किसी अल्प आशय या जान से, किया 20
जाता।

51. जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, और कोई शिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो :

परन्तु यह तब जब कि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम था और 25
उस उक्साहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है।

इष्टांत

(क) एक शिशु को य के भोजन में विष डालने के लिए के उक्साता है, और उस प्रयोजन से उसे विष परिदान करता है। वह शिशु उस उक्साहट के परिणामस्वरूप भूल से म 30
के भोजन में, जो य के भोजन के पास रखा हुआ है, विष डाल देता है। यहाँ, यदि वह शिशु के उक्साने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था, और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम है, तो क उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने उस शिशु को म के भोजन में विष डालने के लिए उक्साया हो।

(ख) ख को य का गृह जलाने के लिए के उकसाता है। ख उस गृह को आग लगा देता है और उसी समय वहां सम्पति की चोरी करता है। क यद्यपि गृह को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किन्तु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है; क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस गृह जलाने का अधिसन्भाव्य परिणाम नहीं थी।

5 (ग) ख और ग को बसे हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से शैदन करने के लिए के उकसाता है, और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। ख और ग वह गृह-शैदन करते हैं, और य द्वारा जो निवासियों में से एक है, प्रतिरोध किए जाने पर, य की हत्या कर देते हैं। यहां, यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का अधिसन्भाव्य परिणाम थी, तो क हत्या के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय है।

10 52. यदि वह कार्य, जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दण्डनीय नहीं है।

इष्टांत

15 53. ख को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्थम् का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए के उकसाता है। ख परिणामस्वरूप उस करस्थम् का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में ख करस्थम् का निष्पादन करने वाले भाफिसर को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है। ख ने करस्थम् का प्रतिरोध करने और स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के दो अपराध किए हैं। इसलिए ख दोनों अपराधों के लिए दण्डनीय है, और यदि क यह सम्भाव्य जानता था कि उस करस्थम् का प्रतिरोध करने में ख स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, तो क भी उनमें से हर एक अपराध के लिए दण्डनीय होगा।

दुष्प्रेरक का
दुष्प्रेरित कार्य
के लिए और
किए गए कार्य
के लिए
आकस्मित दण्ड
से दण्डनीय
है।

20 53. जबकि कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशेष प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है, वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आशयित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो। परन्तु यह तब जब कि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना सम्भाव्य है।

दुष्प्रेरित कार्य
से कारित उस
प्रभाव के लिए
दुष्प्रेरक का
दायित्व जो
दुष्प्रेरक द्वारा
आशयित में
भिन्न हो।

इष्टांत

30 54. य को घोर उपहति करने के लिए ख को के उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणामस्वरूप य को घोर उपहति कारित करता है। परिणामतः य की मृत्यु हो जाती है। यहां, यदि क यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपहति से मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, तो क हत्या के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय है।

35 54. जब कभी कोई व्यक्ति, जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दण्डनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दण्डनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है।

अपराध किए
जाने समय
दुष्प्रेरक की
उपस्थिति।

मृत्यु या
आजीवन
कारावास से
दण्डनीय अपराध
का दुष्प्रेरण ।

55. (1) जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाए, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

(2) यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए, जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

इष्टांत

10

ख को य की हत्या करने के लिए क उक्साता है । वह अपराध नहीं किया जाता है । यदि य की हत्या ख कर देता है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय होता । इसलिए, क कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय है और जुर्माने से भी दण्डनीय है; और यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप य को कोई उपहति हो जाती है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा । 15 और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

कारावास से
दण्डनीय अपराध
का दुष्प्रेरण ।

56. (1) जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भाँति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए 20 उपबन्धित दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा;

(2) यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो, जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के लिए किए जाने को निवारित करना हो, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भाँति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए 25 उपबन्धित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो अपराध के लिए उपबन्धित हैं, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

इष्टांत

(क) मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ख को क उक्साता है । यहां, यदि ख मिथ्या साक्ष्य न दे, तो भी क ने इस धारा में परिभासित अपराध किया है, और वह तदनुसार दण्डनीय है । 30

(ख) क, एक पुलिस आफिसर, जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है । यहां, यद्यपि वह लूट नहीं की जाती, क उस अपराध के लिए 35 उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से, और जुर्माने से भी, दण्डनीय है ।

(ग) क द्वारा, जो एक पुलिस आफिसर है, और जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण ख करता है, यहां यद्यपि वह लूट न की 40 जाए, ख लूट के अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से, और जुर्माने से भी, दण्डनीय है ।

57. जो कोई लोक साधारण द्वारा, या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संहया या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

६

इष्टांत

क, एक लोक स्थान में एक प्लेकाई चिपकाता है, जिसमें एक पंथ को जिसमें दस से अधिक सदस्य हैं, एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर, जब कि वे जुलूस निकालने में लगे हुए हों, आक्रमण करने के प्रयोजन से, किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया गया है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

१०

58. जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तटद्वारा सुकर बनाएगा यह जानते हुए, ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोप द्वारा या विग्रहन अथवा किसी अन्य सूचना प्रच्छलन साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है।-

१५

(क) यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

लोक संघारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण।

मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।

२०

क, यह जानते हुए कि ख स्थान पर डकेती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या इतिला देता है कि डकेती ग स्थान पर, जो विपरीत दिशा में है, पड़ने वाली है और इस आशय से कि एतद्वारा उस अपराध का किया जाना सुकर बनाए मजिस्ट्रेट को भुलावा देता है। डकेती परिकल्पना के अनुसरण में ख स्थान पर पड़ती है। क इस धारा के अधीन दंडनीय है।

२५

59. जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना, जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तटद्वारा सुकर बनाएगा यह जानते हुए, ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोप द्वारा या विग्रहन अथवा कोई अन्य सूचना प्रच्छलन साधन

30 के उपयोग द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है।-

३५

(क) यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह उस अपराध के लिए उपर्युक्त किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के आधी तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपर्युक्त है, या दोनों से,

किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाना जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है।

(ख) यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

(ग) अथवा यदि वह अपराध नहीं किया जाए, तो वह उस अपराध के लिए

उपबंधित किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

इच्छांत

क, एक पुलिस आफिसर, लूट किए जाने से संबंधित सब परिकल्पनाओं की, जो उसको 5 जात हो जाए, इतिला देने के लिए वैध रूप से आवद्ध होते हुए और यह जानते हुए कि ख लूट करने की परिकल्पना बना रहा है, उस अपराध के किए जाने को सुकर बनाने के आशय से ऐसी इतिला देने का लोप करता है । यहां के ने ख की परिकल्पना के अस्तित्व को एक अवैध लोप द्वारा छिपाया है, और वह इस धारा के उपबंध के अनुसार दंडनीय है ।

कारावास से
दंडनीय अपराध
करने की
परिकल्पना की
छिपाना ।

60. जो कोई उस अपराध का किया जाना, जो कारावास से दंडनीय है, सुकर बनाने के आशय से या संभाल्यतः तदद्वारा सुकर बनाएगा यह जानते हुए, ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यापदेशन करेगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता है ।-

(क) यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई 15 तक की हो सकेगी, और

(ख) यदि वह अपराध नहीं किया जाए, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के आठवें भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

आपराधिक षड्यंत्र के विषय में

20

आपराधिक
षड्यंत्र ।

61. (1) जब दो या अधिक व्यक्ति—

(क) कोई अवैध कार्य, अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है :

परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र 25 तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता ।

स्पष्टीकरण—यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का अनुरूपित मात्र है ।

(2) जो कोई,—

30

(क) मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शारीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के टंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था ।

(ख) जो कोई पूर्वाकृत रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से 35

जिन्हें किसी आपराधिक बड़यत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि उह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुम्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

प्रयत्न के विषय में

5. 62. जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से टण्डनीय अपराध करने का, या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, जहां कि ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहां वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भाँति के कारावास से उस अवधि के लिए, जो, यथास्थिति, आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या ऐसे जुम्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

आजीवन
कारावास या
अन्य कारावास
से टण्डनीय
अपराधों को
करने के प्रयत्न
करने के लिए
दण्ड ।

इष्टांत

10. 15. (क) क, एक सन्दूक लौटकर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है । सन्दूक इस प्रकार खोलने के पश्चात् उसे जात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है । उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है, और इसलिए, वह इस धारा के अधीन दोषी है ।

(ख) क, य की जेब में हाथ डालकर य की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है । य की जेब में कुछ न होने के परिणामस्वरूप क अपने प्रयत्न में असफल रहता है । क इस धारा के अधीन दोषी है ।

20

अध्याय 5

स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में

चौन अपराधों के विषय में

बलात्संग ।

63. यदि कोई पुरुष,-

25. (क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है ; या

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है ; या

30. (ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है ; या

(घ) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा पर अपना मुह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है,

35. तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहां ऐसा निम्नलिखित सात

आंति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है :-

(i) उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ।

(ii) उस स्त्री की सम्मति के बिना ।

(iii) उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितवद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है ।

(iv) उस स्त्री की सम्मति से, जब कि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है ।

(v) उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचित्तता या मतता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संजाशूल्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है ।

(vi) उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की है ।

(vii) जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनी के लिए, 'योनि' के अंतर्गत वृहत् भगौङ्ठ भी है ।

स्पष्टीकरण 2—सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है :

परंतु ऐसी स्त्री के बारे में, जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, भाव इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक किन्याकलाप के प्रति सम्मति प्रदान की है ।

अपवाद 1—किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा ।

अपवाद 2—किसी पुरुष की अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य, यदि पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है ।

64. (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी आंति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई—

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए—

(i) उस पुलिस थाने की, जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है, सीमाओं के भीतर बलात्संग करेगा; या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में बलात्संग करेगा ; या

- (iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, किसी स्त्री से बलात्संग करेगा ; या
- ५ (ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा ; या
- (ग) कैदीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए, उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा ; या
- १० (घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृद्ध में होते हुए, ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा ; या
- (ङ) किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृद्ध में होते हुए, उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा ; या
- १५ (च) स्त्री का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा ; या
- (छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा ; या
- (ज) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गंभीरती है, बलात्संग करेगा ; या
- २० (झ) उस स्त्री से, जो सम्मति देने में असमर्थ है, बलात्संग करेगा ; या
- (ञ) किसी स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा ; या
- (ट) मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रसित किसी स्त्री से बलात्संग करेगा ; या
- २५ (ठ) बलात्संग करते समय किसी स्त्री को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा ; या
- (ड) उसी स्त्री से बारबार बलात्संग करेगा,
- वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
- ३० स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—
- (क) "सशस्त्र बल" से नौसेना बल, सैन्य बल और वायु सेना बल अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का, जिसमें ऐसे अर्थसेनिक बल और कोई सहायक बल भी हैं, जो कैदीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, कोई सदस्य भी है :
- ३५ (ख) "अस्पताल" से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है, जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सीय देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपयार करने के

लिए है :

(ग) "पुलिस अधिकारी" का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन "पुलिस" पद में उसका है ;

1861 वा 5

(घ) "स्त्रियों या बालकों की संस्था" से स्त्रियों और बालकों को बहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है याहे उसका नाम अनाधारय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या किसी अन्य नाम से जात कोई संस्था हो ।

5

कठिनय नाम्नी
में सामूहिक
बलात्संग के
लिए दंड ।

65. (1) यहाँ एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय को अवसर करने में कार्य करते हुए सोलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है, और जुमाने से दंडनीय होगा :

10

परंतु ऐसा जुमाना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

15

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुमाने का संदाय पीड़िता को किया ।

(2) यहाँ एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सबके सामान्य आशय को अवसर करने में कार्य करते हुए, बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, और जुमाने से, अथवा मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा :

20

परंतु ऐसा जुमाना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

25

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुमाने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा ।

30

पीड़िता की मृत्यु
या लगातार
विकृतशील दशा
कारित करने के
लिए दंड ।

66. जो कोई, धारा 64 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करेगा और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होनी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा ।

35

67. जो कोई, अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की डिक्टी के अधीन या अन्यथा, पृथक् रह रही है, उसकी समस्ति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी दंडनीय होगा ।

40

स्वष्टीकरण—इस धारा में, "मैथुन" से धारा 63 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है ।

68. जो कोई,-

प्राधिकार में
किसी व्यक्ति
द्वारा मैथुन।

(क) प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए ; या

(ख) कोई लोक सेवक होते हुए ; या

5 (ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल,
प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था
का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए ; या

(घ) अस्पताल के प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारिवृद्ध होते हुए,

10 ऐसी किसी स्त्री को, जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भारसाधन के अधीन है या परिसर में
उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करने हेतु, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है,
उत्प्रेरित या विलुद्ध करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करेगा, वह
दोनों में से किसी आंति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी
किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

15 स्पष्टीकरण 1—इस धारा में, "मैथुन" से धारा 63 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित
वर्तें कृत्य अभिप्रेत होगा।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू
होगा।

20 स्पष्टीकरण 3—किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या
बालकों की किसी संस्था के संबंध में, "अधीक्षक" के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है, जो जेल,
प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके
निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है।

स्पष्टीकरण 4—"अस्पताल" और "स्त्रियों या बालकों की संस्था" पदों का क्रमशः वही
अर्थ होगा जो धारा 64 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में उल्का है।

25 69. जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या उसे पूरा करने के आशय के बिना स्त्री से
विवाह करने के वचन द्वारा और ऐसे मैथुन बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है उसके साथ
मैथुन करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष तक का हो
सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

प्रवंचनापूर्ण
साधनों अदि से
नियोजक द्वारा
मैथुन।

स्पष्टीकरण—"प्रवंचनापूर्ण साधनों" में नियोजन या प्रोन्नति, उत्प्रेरण या पहचान
ठिपाकर विवाह करने का मिथ्याचरन समिलित है।

30 70. (1) जहां किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके
या सामान्य आशय को अव्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन
व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया
है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दोस वर्ष से कम की नहीं
होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत
जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय
होगा :

सामूहिक
बलात्संग।

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए
न्यायीचित और युक्तियुक्त होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदेत किया जाएगा।

(2) जहां एक या अधिक व्यक्तियाँ द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय को अवश्यकरण में कार्य करते हुए अठारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से दंडनीय होगा:

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा।

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा।

पुनरावृत्तिकर्त्ता
अपराधीयों के
लिए दंड।

कठिपय अपराधों
आदि से पीड़ित
व्यक्ति की
पहचान का
प्रबन्धीकरण।

71. जो कोई, धारा 63 या धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धांदोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

72. (1) जो कोई किसी नाम या अन्य बात को, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् पीड़ित व्यक्ति कहा गया है) पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 63, धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67 या धारा 68 के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) की किसी भी बात का विस्तार किसी नाम या अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर, यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है, तब नहीं होता है जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन—

(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के, जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करता है, द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है ; या

(ख) पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है ; या

(ग) जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अथवा वह अवयस्क या विकृतचित है वहां, पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से, किया जाता है :

परन्तु निकट संबंधी द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकार किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से, चाहे उसका जो भी नाम हो, जिन्हें किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन" से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी

5-

10

15-

20

25

30

35-

मान्यताप्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन अधिप्रेत है।

5 (3) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में, कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध की कोटि में नहीं आता है।

स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में

10 73. जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तटद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

15 74. (1) ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात्—

(i) शारीरिक संस्पर्श और अयक्षियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्भूत हों; या

(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने; या

(iii) किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने; या

(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने,

20 वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

(2) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

25 (3) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

30 75. ऐसा कोई पुरुष, जो किसी स्त्री को विवरण करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

35 76. ऐसा कोई पुरुष, जो कोई किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को, जो उन परिस्थितियों में, जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखेगा या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के काने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु

स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए खंड ।

विवरण करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

हारप्रतिकरण।

जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और दिवतीय अथवा पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "पाइपेट कृत्य" के अंतर्गत ताकजे का ऐसा कोई कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है, जिसके संबंध में, परिस्थितियों के अधीन, युक्तियुक्त रूप से वह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी और जहां कि पीड़िता के जननांगों, निलंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या ५८
केवल अधोवस्त्र से ढंका जाता है अथवा जहां पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रही है ; या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो १०
साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां पीड़िता चिह्नों या किसी अभिनय के चित्र को खालने के लिए सम्मति देती है किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है और जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन १५
अपराध माना जाएगा ।

पीछा करना ।

77. (1) ऐसा कोई पुरुष, जो—

(i) किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्यकिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, बारबार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है ; या

(ii) जो कोई किसी स्त्री द्वारा हंटरलेट, इं-मेल या किसी अन्य प्रस्तुप की २०
इलैक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मानीटर करता है,

पीछा करने का अपराध करता है :

परन्तु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा, यदि वह पुरुष, जो ऐसा करता है, वह साक्षित कर देता है वि—

(i) ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और २५
पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था ; या

(ii) ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था ; या

(iii) विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोधित था ।

(2) जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ; और किसी दिवतीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ३०
और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

७८. जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

शब्द, अंगविक्षेप या कर्व, जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आवश्यित है।

विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में

७९. (१) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ कूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

दहेज मृत्यु।

1961 का 28

१५

स्पष्टीकरण—इस उपर्याके के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में है।

२०

(२) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीकन कारावास की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

विधिपूर्वक विवाह का प्रयोग से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुल द्वारा भाँति महवारा।

८०. हर पुरुष जो किसी स्त्री को, जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो, प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

पति या पत्नी के जीवनकाल से पुनः विवाह करना।

२५

८१. (१) जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए, किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल में होता है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

३०

अपवाद—इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है, जो पूर्व पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चात्वर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरन्तर अनुपस्थित रहा हो, और उस काल के औतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं मुना हो कि वह जीवित है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसके साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहां तक कि उनका जान उसको हो, दे दे।

३५

(२) जो कोई पूर्ववर्ती अन्तिम धारा में परिभ्रान्ति अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा, जिससे पश्चात्वर्ती विवाह किया जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और

जुमाने से भी दण्डनीय होगा ।

विधिपूर्ण विवाह के विवाह कपटपूर्तक विवाह कर्म पूरा कर सकता है।

विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से पुस्तकार ले जाना, या ने जाना या निष्टाध रखना ।

किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति कूरता करना ।

विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपहरण करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना ।

गर्भपात कारित करना ।

82. जो कोई बैर्डमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तटद्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा ।

83. जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से ले जाएगा, या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे या इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

84. जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति कूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) जानवूजाकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की (ओ चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की सम्भावना है ; या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए पर्याप्ति करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने से असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।

85. जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुद्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुद्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा ; और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुद्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुद्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभिजास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा ।

गर्भपात, आदि कारित करने के विषय में

86. जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक, कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से

किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि वह स्त्री स्पन्दनग्री हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

५ स्पष्टीकरण—जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आती है ।

१० ८७. जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पन्दनग्री हो या नहीं, पूर्ववर्ती अल्लिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

१५ ८८. (१) जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

१९ ८९. (२) जहां उपधारा (१) में निर्दिष्ट कार्य उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से, या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट दण्ड से, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाल्य है ।

२० ९०. जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तदद्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात् तदद्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा, या उसके जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

२५ ९१. जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तदद्वारा मृत्यु कारित कर देता, तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

३०

इष्टांत

क, यह सम्भाल्य जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दें, ऐसा कार्य करता है, जो यदि उससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती, तो वह आपराधिक मानव वध की कोटि में आता । उस स्त्री को सत्ति होती है, किन्तु उसकी मृत्यु नहीं होती, किन्तु तदद्वारा उस अजात सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है, जो उसके गंभीर में है । क इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है ।

स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना ।

गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु ।

शिशु का जीवित पैदा होना रोकते या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य ।

ऐसे कर्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना ।

बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में

शिशु के पिता
या माता या
उसकी देखरेख
रखने वाले
व्यक्ति द्वारा
बाहर वर्ष से कम
आयु के शिशु का
अवधित डाल
दिया जाना और
परित्याग ।

मृत शरीर के
गुप्त व्यथन
द्वारा जन्म
हिपाना ।

अपराध को
व्यक्ति करने के
लिए बालक को
भाड़े पर लेना,
नियोजित करना
या नियुक्त
करना ।

शिशु का
उपाय ।

दस वर्ष से कम
आयु के शिशु के
शरीर पर से
चोरी करने के
आशय से उसका
व्यपहरण या
अपहरण ।

व्यवस्थि अदि के
प्रयोजन के लिए
शिशु को बेड़ना ।

१५

९१. जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए, या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए, ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—यदि शिशु अरक्षित डाल दिए जाने के परिणामस्वरूप मर जाए, तो, यथास्थिति, हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी का विधारण निवारित करना इस धारा से आशयित नहीं है ।

१६

९२. जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाझकर या अन्यथा उसका व्यवन करके, याहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात् या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साशय हिपाएगा या हिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

९३. जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को भाड़े पर लेना, नियोजित करेगा या नियुक्त करेगा तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भाँति के कारावास से या जुर्माने से उसी प्रकार दण्डनीय होगा भाँति ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो ।

१७

स्पष्टीकरण—लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थ के भीतर है ।

१८

९४. जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की शिशु को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या तद्दवारा विवश या विलुप्त किया जाएगा यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

१९

९५. जो कोई दस वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम सम्पत्ति बैर्डमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

२०

९६. जो कोई अठारह वर्ष के कम आयु के किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधिविरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति, किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, बैठेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्यवनित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

२१

स्पष्टीकरण १—जबकि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को या किसी

अन्य व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेची जाए, भाड़े पर दी जाए या अन्यथा व्यवनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को व्यवनित करने वाले व्यक्ति के बारे में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्यवनित किया है कि वह वेश्यावृति के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

स्पष्टीकरण 2—"अयुक्त संभोग" से इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभियेत हैं जो विवाह से संयुक्त नहीं हैं, या ऐसे किसी संयोग या बन्धन से संयुक्त नहीं हैं जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि उस समुदाय की, जिसके बे हैं या यदि वे मिल्न समुदायों के हैं तो ऐसे दोनों समुदायों की, स्वीच विधि या रुढ़ि द्वारा उनके बीच में विवाह-सहश सम्बन्ध अभिजात किया जाता हो ।

97. जो कोई अठारह वर्ष के कम आयु के किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृति या किसी शिशु से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधिविरुद्ध और दुराधारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा शिशु किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, सुरीदेगा, भाड़े पर लेगा, या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जो सात वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु चौदह वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण 1—अठारह वर्ष से कम आयु की नारी को खरीदने वाली, भाड़े पर लेने वाली या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करने वाली किसी वेश्या के या वेश्यागृह चलाने या उसका प्रबन्ध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी नारी का कब्जा उसने इस आशय से अभिप्राप्त किया है कि वह वेश्यावृति के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

स्पष्टीकरण 2—"अयुक्त संभोग" का बही अर्थ है, जो धारा 96 में है ।

अध्याय 6

मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में

98. जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह जान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है ।

आपराधिक
मानव वध ।

इष्टांत

(क) क एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से विछाता है कि तदद्वारा मृत्यु कारित करे या यह जान रखते हुए विछाता है कि सम्भाव्य है कि तदद्वारा मृत्यु कारित हो । य यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि मुद्दह है उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है । क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है ।

(ख) क यह जानता है कि य एक झाड़ी के पाठे है । ख यह नहीं जानता । य की

मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे व्यक्ति की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, खड़े को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए कउत्रेरित करता है। खड़े गोली चलाता है और व्यक्ति को मार डालता है। यहाँ, यह ही सकता है कि खड़े किसी भी अपराध का दोषी न हो, किन्तु कउत्रेरित ने आपराधिक मानव वधु का अपराध किया है।

(ग) का एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर खड़े को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किन्तु कउत्रेरित करता है कि खड़े वहाँ हैं। यहाँ, यद्यपि कउत्रिविरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि, वह आपराधिक मानव वधु का दोषी नहीं है क्योंकि उसका आशय खड़े को मार डालने का, या कोई ऐसा कार्य करके, जिससे मृत्यु कारित करना वह सम्भाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था।

स्पष्टीकरण 1—वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार रोग या अंगशैथिल्य से बस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तदद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—जहाँ कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी।

स्पष्टीकरण 3—मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वधु नहीं है। किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वधु की कोटि में आ सकता है, यदि उस शिशु का कोई आग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो।

99. एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वधु हत्या है,—

(क) यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो ; अथवा

(ख) यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है ; अथवा

(ग) यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो ; अथवा

(घ) यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

इष्टांत

(क) ये को मार डालने के आशय से कउत्रेरित करता है, परिणामस्वरूप व्यक्ति मर

जाता है। क हत्या करता है।

(ख) क यह जानते हुए कि य ऐसे रोग से बस्त है कि सम्भाव्य है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है। य उस प्रहार के परिणामस्वरूप नर जाता है। क हत्या का दोषी है, यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त न होता। किन्तु यदि क, यह न जानते हुए कि य किसी रोग से बस्त है, उस पर ऐसा प्रहार करता है, जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में न मरता, तो यहाँ, क, यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय है, हत्या का दोषी नहीं है, यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था, जिससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए।

(ग) य को तलवार या लाठी से ऐसा धाव का साशय करता है, जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, परिणामस्वरूप य की मृत्यु कारित हो जाती है, यहाँ क हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय य की मृत्यु कारित करने का न रहा हो।

(घ) क किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। क हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्वचिन्तित परिकल्पना न रही ही।

अपबाद 1—आपराधिक मानव वर्ध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे :

परन्तु प्रकोपन,—

(क) किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इंप्रिस्ट न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

(ख) किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो कि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में, की गई हो।

(ग) किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार और विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

स्पष्टीकरण—प्रकोपन इतना गम्भीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।

इष्टांत

(क) य द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण पर्याप्त आदेश के असर में म का, जो य का शिशु है, क साशय वध करता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्यों को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है।

(ख) क को म गम्भीर और अचानक प्रकोपन देता है। क इस प्रकोपन से म पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें न तो उसका आशय य का, जो समीप ही है किन्तु इष्टि से

बाहर है, वध करने का है, और न वह यह जानता है कि सम्भाव्य है कि वह य का वध कर दे। क, य का वध करता है। यहां क ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल आपराधिक मानव वध किया है।

(ग) य द्वारा, जो एक डेलिफ है, क विधिपूर्वक गिरफतार किया जाता है। उस गिरफतारी के कारण क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था, जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में की गई थी।

(घ) य के समझ, जो एक मजिस्ट्रेट है, साक्षी के रूप में क उपसंजात होता है। य यह कहता है कि वह क के अभिसाह्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता और यह कि क ने शपथ-अंग किया है। क को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है। यह हत्या है।

(ङ) य की नाक खींचने का प्रयत्न करता है। य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है। परिणामस्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी।

(घ) ख पर य आधात करता है। ख को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। क, जो निकट ही खड़ा हुआ है, ख के क्रोध का लाभ उठाने और उससे य का वध करने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है। ख उस छुरी से य का वध कर देता है, यहां ख ने चाहे केवल आपराधिक मानव वध ही किया हो, किन्तु क हत्या का दोषी है।

अपवाद 2—आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, शरीर या सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्वचिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में लारहा हो।

इष्टांत

क को चाबुक मारने का प्रयत्न य करता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि क को घौर उपहति कारित हो। क एक फिस्तील निकाल लेता है। य हमले को चालू रखता है। क सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है गोली से य का वध कर देता है। क ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल आपराधिक मानव वध किया है।

अपवाद 3—आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय की अवसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्बन्ध, निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित की गई हो, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे।

अपवाद 4—आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अधानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अधानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो।

५—स्पष्टीकरण—ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है।

अपवाद 5—आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु की जोखिम उठाए।

१०

इष्टांत

ये को, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, उक्साकर का उससे स्वेच्छया आत्महत्या करवाता है। यहां, कम उम्र होने के कारण ये अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए, के ने हत्या का दुष्प्रेरण किया है।

१५

100. यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करने द्वारा, जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करना हो, या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके, जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय ही और न वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भाँति का होगा जिस भाँति का वह होता, यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशयित था या वह जानता था कि उस द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है।

१०

101. (1) जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

२५

(2) जब पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह गिलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, आधा के आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य इवं के निजी विश्वास या किसी अन्य आधार पर मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के कारावास से जो सात वर्ष से कम नहीं होगा, के दंड से दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

२०

102. जो कोई आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास, जो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा, से दण्डित किया जाएगा।

३०

103. जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा अथवा यदि वह कार्य इस जान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या

जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे जिस व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध।
हत्या के लिए दण्ड।

आजीवन सिद्धांत द्वारा हत्या के लिए दण्ड।
हत्या के कोटि में न जाने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड।

जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

उपेक्षा द्वारा
मृत्यु कारित
वरन्न ।

104. (1) जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुमाने के लिए भी दायी होगा ।

(2) जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध नहीं है और घटना स्थल से निकलकर आगे या घटना के तत्काल पश्चात्, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की सूचना देने में असफल रहेगा, किसी भी अवधि की कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, के दंड से दण्डनीय होगा और जुमाने के लिए भी दायी होगा ।

विवरण या
मानसिक रूप से
रुग्ण व्यक्ति क
आत्महत्या का
दुष्प्रेरण ।

105. यदि अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति, चित विपर्यस्त कोई व्यक्ति या मतता की अवस्था में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है जो कोई ऐसी आत्महत्या को करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के कारावास से, जो दस वर्ष से अधिक न हो, से दण्डनीय होगा और जुमाने के लिए भी दायी होगा ।

आत्महत्या का
दुष्प्रेरण ।

106. यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा ।

हत्या करने का
प्रयत्न ।

107. (1) जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या जान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिन्पूर्व वर्णित है ।

(2) जब इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो, तो वह मृत्यु से दण्डित किया जा सकेगा ।

इष्टांत

(क) य का वध करने के आशय से क उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती, तो क हत्या का दोषी होता । क इस धारा के अधीन दण्डनीय है ।

(ख) क कोमल वयस के शिशु की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में अरक्षित छोड़ देता है । क ने उस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है, यद्यपि परिणामस्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती ।

(ग) य की हत्या का आशय रखते हुए क एक बन्दूक खरीदता है और उसको भरता है । क ने अभी तक अपराध नहीं किया है । य पर क बन्दूक चलाता है । उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, यदि इस प्रकार गोली मार कर वह य की धायल कर देता है, तो वह इस धारा के प्रथम पैरे के पिछले आग द्वारा उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय है ।

5

10

15

20

25

30

35

५ (घ) विष द्रवारा य की हत्या करने का आशय रखते हुए क विष खरीदता है, और उसे उस भोजन में मिला देता है, जो क के अपने पास रहता है, क ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया है। क उस भोजन को य की मेज पर रखता है, या उसको य की मेज पर रखने के लिए य के सेवकों को परिदृष्ट करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

१० 108. जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या जान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा; और यदि ऐसे कार्य द्रवारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

आपराधिक
मानव वध
करने का
प्रयत्न।

१५ 109. क गंभीर और अचानक प्रकोपन पर, ऐसी परिस्थितियों में, य पर पिस्तौल चलाता है कि यदि तदद्रवारा वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

संगठित
अपराध।

२० 109. (1) या तो किसी संगठित अपराध अभिषद् के सदस्य के रूप में या ऐसे अभिषद् की ओर से मिलकर, एकत्र रूप से या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूहों के प्रयास द्रवारा, हिंसा की धमकी, अभिवास, उत्पीड़न, अचाचार या संबंधित क्रियाकलाप या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तात्त्विक फायदा जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, प्राप्त करने के लिए अन्य विधिविरुद्ध साधनों के प्रयोग द्रवारा, कोई सतत् विधिविरुद्ध क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत व्यपहरण, डकैती, यान चोरी, उद्दापन, भूमि हथियाना, संविदा वध, आर्थिक अपराध, गंभीर परिणाम वाले माझबर-अपराध, लोगों, औषधियों, अवैध माल या सेवाओं और हथियारों का दुर्व्यापार, वेश्यावृति या फिराती के लिए मानव दुर्व्यापार घेरा भी है, संगठित अपराध का गठन करेगा।

संगठित
अपराध।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

२५ 110 (i) "फायदा" में संपति, अभिलाभ, सेवा, मनोरंजन, संपति या सुविधाओं का उपयोग या उन तक पहुंच, और किसी व्यक्ति के फायदे की कोई धीज, या हें उसका कोई अंतर्निहित या भूते नूत्य, प्रयोजन या विशेषता हो या नहीं, सम्मिलित है।

३० 110 (ii) "संगठित अपराध अभिषद्" से तीन या अधिक व्यक्तियों का आपराधिक संगठन या समूह अभिप्रेत है जो एक अभिषद्, टोली, माफिया या (अपराध) घेरे के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से मिलकर, एक या अधिक गंभीर अपराधों को करने में लगे हुए हैं या टोली बनाकर अपराध, धराबंदी या संगठित अभिषदित अपराधों में अंतर्वालित है।

३५ 110 (iii) "सतत् विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" विधि द्रवारा प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप अभिप्रेत है, जो किसी संगठित अपराध अभिषद् के सदस्य के रूप में या तो अकेले या संयुक्त रूप से किए जाने वाला संदेश अपराध है, जिसकी बाबत दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सकाम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र फाइल किए गए हैं और

उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है;

(iv) "आर्थिक अपराध" में आपराधिक न्यास भंग, कूटरचना, करेसी और मूल्यवान प्रतिभूतियों का कूटकरण, वित्तीय घोटाले, पौजी स्कीम चलाना, न्यास मार्केटिंग कपट, घनीय फायदा प्राप्त करने के लिए बहुसंख्या में लोगों के साथ कपट करने की इष्टि से बहुस्तरीय मार्केटिंग स्कीमें या किसी भी रूप में बड़े पैमाने पर संगठित बाजी लगाना, धनशोधन और हवाला संबंधित अपराध, सम्मिलित हैं।

(2) जो कोई संगठित अपराध कारित करेगा या कारित करने का प्रयास करेगा,—

(i) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा;

(ii) अन्य मामलों में, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा।

(3) जो कोई संगठित अपराध किए जाने का बड़यंत्र करता है या उसका संचालन करता है, या उसमें सहायता करता है, उसे सुकर बनाता है या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा;

(4) कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध अभिषद् का सदस्य है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा;

(5) जो कोई आशयपूर्वक किसी व्यक्ति जिसने संगठित अपराध कारित किया है या जो संगठित अपराध अभिषद् का सदस्य है, को संशय देता है या छिपाता है अथवा संशय देने या छिपाने में सहायता करता है या उसे विश्वास है कि उसका कार्य ऐसे अपराध को प्रोत्साहित करेगा या उसे करने में सहायता करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा :

परंतु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी, जिसमें संशय या छिपाना अपराधी के पति-पत्नी द्वारा किया जाता है।

(6) जो कोई संगठित अपराध से व्यत्पुन्न या प्राप्त किसी संपत्ति या किसी संगठित अपराध के आगम्यों या जो संगठित अपराध परिषदों की नियियों के माध्यम से अर्जित की गई है, को धारण करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा;

(7) यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध अभिषद् के सदस्य की ओर से या किसी समय किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को धारण करता है, जिसका वह समाधानप्रद सेखा नहीं है सका है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा किंतु दश वर्ष तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो एक लाख रुपए से कम

नहीं होगा और ऐसी संपत्ति जब्ती और संपहण के लिए भी दायी होगी।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संगठित अपराध के आगम" से सभी प्रकार की संपत्तियां अभिप्रेत हैं, जो किसी संगठित अपराध के कारित किए जाने से व्यतपुन्न या अभिप्राप्त की गई हैं अथवा किसी संगठित अपराध की खोजयोग्य निधियों के माध्यम से अचिंत की गई हैं और उसमें उन व्यक्तियों पर ध्यान दिए बिना, जिनके नाम ऐसे आगम हैं या जिनके कब्जे में वह पाया गया है, नकद सम्मिलित है।

110. (1) कोई अपराध, जो नागरिकों के बीच यान चोरी या यान से या घरेलू चोरी, कारबार चोरी, छल-कपट से चोरी, स्थोरा चोरी, चोरी (चोरी, वैयक्तिक संपत्ति की चोरी का प्रयास), संगठित जेब करना, घेन छीनना, टुकड़न तोड़कर चोरी या कार्ड स्कीमिंग और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी या लोक परिवहन प्रणाली से विधिविरुद्ध रीति से धन का उपापन या टिकटी का अवैध विक्रय या लोक परीक्षा के प्रश्नपत्रों का विक्रय, से संबंधित असुरक्षा की साधारण भौतिक कारित करता है और संगठित अपराध समूहों या टोली द्वारा कारित संगठित अपराध का कोई अन्य सामान्य प्रृष्ठ छोटे संगठित अपराधों का गठन करेगा।

115. (2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन कोई छोटा संगठित अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु सात वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

120. (1) यह कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने आतंकवादी कार्य किया है, यदि वह भारत में या विदेश में भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को धमकी देने, जनसाधारण या उसके किसी हिस्से को अभिज्ञास करने या लोक व्यवस्था को विशुद्ध करने के आशय से निम्नलिखित कोई कार्य करके, कोई कार्य कारित करता है,-

225. (i) बम्भों, डायनामाइटों या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थों या उचलनशील सामग्रियों या अग्नयुद्धों या अन्य लीथल हथियारों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या कोई अन्य परिसंकटमय प्रकृति के पदार्थों(चाहे जैविक हो या अन्यथा) का ऐसी रीति में प्रयोग करना, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर शारीरिक हानि अथवा किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे का वातावरण सृजित हो या उनमें भय की सूचना का प्रसारण हो;

30. (ii) किसी संपत्ति की क्षति या विनाश के कारण क्षति या हानि, समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक विनायी आपूर्तियों या सेवाओं का विनाश, सरकारी या लोक सुविधा, लोकस्थान या निजी संपत्ति का विनाश, कारित करना;

(iii) गहन अवसरचना के नुकसान या विनाश के साथ अत्यधिक हस्तक्षेप कारित करना;

35. (iv) सरकार या उसके संगठनों के ऐसी रीति में, अभिज्ञास द्वारा, जिससे किसी लोक कृत्यकारी या अन्य व्यक्ति की मृत्यु या क्षति कारित हो या कारित होना संभाल्य हो, प्रकोपन या असर या सरकार को कोई कार्य करने के लिए बाध्य करने या कोई कार्य करने से विरत रहने अथवा देश की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक अवसरचना को अस्तित्व या नष्ट करने अथवा लोक आपात सृजित करने या लोक सुरक्षा को जर्जर करने, जर्जर करने के रूप में किसी व्यक्ति को निस्तृप्त करना और ऐसे व्यक्ति के

छोटे संगठित अपराध या समाजित संगठित अपराध।

आतंकवादी कार्य का अपराध।

वर्ध या अपहानि की धमकी देना ;

(v) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की दूसरी अनुसूची में 1967 का 37 सूचीबद्ध किन्हीं अभिसमयों के क्षेत्र में सम्मिलित हो ।

(2) जो कोई आतंकवादी कार्य कारित करेगा या कारित करने का प्रयास करेगा,—

(i) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ८ वह नृत्य या आजीवन कारावास से दंडित होगा और और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा;

(ii) अन्य मामलों में, वह ऐसी अवधि के कारावास से टंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा । १०

(3) जो कोई आतंकवादी कार्य करने के लिए किसी संगठन, संगम या व्यक्तियों के समूहों के साथ घड़यंत्र करता है या उसका संचालन करता है, या उसका संचालना करवाता है या किसी आतंकवादी कार्य की तैयारी में सहायता करता है, सुकर बनाता है या अन्यथा घड़यंत्र में नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से टंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा । १५ जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा ।

(4) कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है, जो आतंकवादी कार्य में अतवलिंग है, वह ऐसी अवधि के कारावास से टंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा । २०

(5) जो कोई किसी व्यक्ति को जिसने किसी आतंकवादी कार्य का अपराध कारित किया है, साशय संशय देना या छिपाएगा या संशय देने या छिपाने का प्रयास करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से टंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा : २५

परंतु यह धारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी, जिसमें संशय देने या छिपाने का कार्य अपराधी के पती या पत्नी के द्वारा किया गया है ।

(6) जो कोई किसी आतंकवादी कार्य के किए जाने से व्यत्पुन्न या अभिप्राप्त किसी संपत्ति या आतंकवाद के आगमों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप से धारित करता है या आतंकवादी निधि के माध्यम से अर्जित करता है या किसी आपराधिक कार्य किए जाने या उसको सुकर बनाने के लिए पूर्णतः या आगतः किन्हीं साधनों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के संपत्ति या निधियों को धारण करता है, प्रदान करता है, एकजित करता है या प्रयुक्त करता है या संपत्ति, निधियों या वित्तीय सेवाओं या अन्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवाता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से टंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा किंतु दस वर्ष तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा । ३५ और ऐसी संपत्ति जब्ती और संपहण के लिए भी दायी होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) "आतंकवादी" से ऐसा व्यक्ति निर्दिष्ट है, जो (i) हथियारों, विस्फोटकों का विकास, विनिर्माण करता है, कब्जा रखता है, मज़बूत, परिवहन, भापूति या प्रयोग करता है या परमाणु, विकिरणधर्मी या अन्य सातरनाक पदार्थ निर्मुक्त करता है या अग्नि, बाढ़, विस्फोट कारित करता है; (ii) किसी माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कोई आतंकवादी कार्य कारित करता है या कारित करने का प्रयास अथवा घड़यंत्र करता है; (iii) आतंकवादी कार्य में मुख्य अपराधी या सह-अपराधी के रूप में भाग लेता है;
- 1967 का 37 (छ) "आतंकवाद के आगमों" पद का वही अर्थ होगा जो उसका विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 के खंड (छ) में है;
- 10 (ग) "आतंकवादी संगठन, संगम या व्यक्तियों का समूह" किसी आतंकवादी या आतंकवादी समूह के स्वामित्वाधीन या के द्वारा नियंत्रित कोई इकाई निर्दिष्ट है जो—
- (i) किन्हीं साधनों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी कार्य कारित करती है या कारित करने का प्रयास करती है;
- (ii) आतंकवादी कार्यों में भाग लेती है;
- (iii) आतंकवाद के लिए तैयारी करती है;
- (iv) आतंकवाद की अभिवृद्धि करती है;
- (v) आतंकवाद का संचालन करती है और कारित करने के लिए अन्यों को निदेश देती है;
- (vi) आतंकवादी कार्य को अव्यसर करने के सामान्य उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे व्यक्तियों के समूहों द्वारा आतंकवादी कार्य करने में सहयोग करती है, जहां सहयोग आशयपूर्वक किया जाता है और आतंकवादी कार्य को अव्यसर करने के उद्देश्य से या समूह के आतंकवादी कार्य कारित करने के आशय के जान के साथ किया जाता है;
- 26 (vii) अन्यथा आतंकवाद के कार्य में अंतर्वलित है ; या
- 1967 का 37 (viii) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कोई संगठन हो या इस प्रकार सूचीबद्ध कोई संगठन के नाम के समान नाम से प्रचालित कोई संगठन।
- उपहति के विषय में
112. जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शीथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है।
113. (1) जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तदद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस जान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह तदद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तदद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह "स्वेच्छाया उपहति करता है", यह कहा जाता है।
- 35 (2) जो कोई धारा 120 की उपधारा (1) के अधीन उपबंधित मामले के सिवाय स्वेच्छाया उपहति कारित करता है, दोनों में से किसी एक वर्णन के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सके या जुर्माने से जो दस हजार तक का हो सके या दोनों से दिल विद्या जाएगा

उपहति ।

स्वेच्छा
उपहति कारित
बनना ।

घोर उपहति ।

114. उपहति की केवल नीचे लिखी किस्मे "घोर" कहलाती है—

- (क) पुस्तवहरण ।
- (ख) दोनों में से किसी भी नेत्र की इच्छा का स्थायी विच्छेद ।
- (ग) दोनों में से किसी भी कान की श्वयशक्ति का स्थायी विच्छेद ।
- (घ) किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद ।
- (इ) किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी हास ।
- (ज) सिर या घेहरे का स्थायी विद्युपिकरण ।
- (झ) अस्थि या दात का अंग या विसंधान ।

(ज) कोई उपहति जो जीवन का संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहति व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को 16 करने के लिए असमर्थ रहता है ।

स्वेच्छया घोर
उपहति कारित
करना ।

115. (1) जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति, जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना सम्भाल्य है घोर उपहति है, और यदि वह उपहति, जो वह कारित करता है, घोर उपहति को, तो वह "स्वेच्छया घोर उपहति करता है", यह कहा जाता है ।

(2) जो कोई उपधारा (3) में उपबंधित मामले के सिवाय स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से दंडनीय होगा, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी टाई होगा ।

स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता है और घोर उपहति कारित करने का उसका 20 आशय है या घोर उपहति कारित होना वह सम्भाल्य जानता है । किन्तु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह सम्भाल्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित करता है, तो वह स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है ।

इष्टांत

क, यह आशय रखते हुए या यह सम्भाल्य जानते हुए कि वह य के घेहरे को स्थायी रूप से विद्युपित कर दे, य के घेहरे पर प्रहार करता है जिससे य का घेहरा स्थायी रूप से विद्युपित तो नहीं होता, किन्तु जिससे य को बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित होती है । क ने स्वेच्छया घोर उपहति कारित की है ।

(3) जो कोई उपधारा (1) के अधीन अपराध कारित करता है और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, जो उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित करता है या सतत शिथिल भवस्था में डाल देता है वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि का कारावास अभिप्रैत है ।

(4) जहां पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी व्यक्ति को उसके मूलवंश, 34 जाति, लिंग, जन्मस्थान, आचा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर घोर उपहति कारित की जाती है, ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य घोर उपहति कारित करने के अपराध का

दोषी होगा और दोनों में से किसी भाँति के कारावास से दंडनीय होगा, जो सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुम्माने के लिए भी दायी होगा।

116. (1) उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 120 की उपधारा (1) में उपबंध है, जो कोई असन, बेघन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आकामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अन्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीवजन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुम्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई धारा 120 की उपधारा (2) में उपबंधित दशा के सिवाय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी साधन से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से दंडनीय होगा, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा किंतु दस वर्ष तक हो सकेगा और जुम्माने के लिए भी दायी होगा।

117. (1) जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध हो, या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुम्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से दंडनीय होगा, जो दस वर्ष तक हो सकेगा और जुम्माने के लिए भी दायी होगा।

118. (1) जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई सम्बोधन करने को जानकारी, जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके, उद्दापित की जाए अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे, या करवाए, या किसी दावे या मान्य की पुष्टि, या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुम्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से दंडनीय होगा, जो दस वर्ष तक हो सकेगा और जुम्माने के लिए भी दायी होगा।

इन्होंने

(क) क, एक पुलिस ऑफिसर, या को यह सम्बोधन करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

(ख) क, एक पुलिस ऑफिसर, यह बतलाने को कि अमुक चुराई तुझे सम्पत्ति कहा रखी

खलनाक
आनुपी य
साधनो दगा
स्वेच्छया
उपहति या
घोर उपहति
कारित करना।

सम्पत्ति उद्दापित
करने के लिए
या अवैध कार्य
करने को
मजबूर करने के
लिए स्वेच्छया
उपहति या घोर
उपहति कारित
करना।

सम्बोधन
उद्दापित करने
या विवश करके
सम्पत्ति का
प्रत्यावर्तन
करने के लिए
स्वेच्छया
उपहति या
घोर उपहति
कारित करना।

है उत्प्रेरित करने के लिए ख को यातना देता है । क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है ।

(ग) क, एक राजस्व आफिसर, राजस्व की वह बकाया, जो य द्वारा शोष्य है, देने को य को लिवश करने के लिए उसे यातना देता है । क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है ।

लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति करित करना ।

119. (1) जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को, वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से लिवारित या भयोपरत करे अथवा वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(2) जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को, या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से लिवारित या भयोपरत करे अथवा वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी 20 दण्डनीय होगा ।

प्रकोपन पर
स्वेच्छया उपहति
या घोर उपहति
कारित करना ।

120. (1) जो कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का हो और न वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाल्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास 25 तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(2) जो कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करने का हो और न वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाल्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—अन्तिम दो धाराएं उन्हीं परंतुकों के अध्यधीन हैं, जिनके अध्यधीन धारा 99 का अपवाद 1 है ।

35

अपराध करने के आशय से विष
इत्यादि द्वारा
उपहति कारित
करना ।

121. जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित की जाए या अपराध करने के, या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से, या यह सम्भाल्य जानते हुए कि वह तदद्वारा उपहति कारित करेगा, कोई विष या जड़िमाकारी, नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना

कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की ही सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

122. (1) जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फैकर कर या उसे अम्ल टेकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके, ऐसा 5 कारित करने के आशय या ज्ञान से कि संभाव्य है उनसे ऐसी क्षति या उपहति कारित हो, स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करेगा या अंगविकार करेगा या जलाएगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या निःशक्त बनाएगा या घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो 10 आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत किया जाएगा ।

123. (2) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंगविकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निःशक्त बनाने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फैकर या फैकरने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति को अम्ल देगा या अम्ल देने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

124. स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अम्ल" में कोई ऐसा पदार्थ सन्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है, जिससे क्षतचिह्न बन जाते हैं या विद्रूपता या अस्थायी या स्थायी निःशक्तता हो जाती है ।

125. स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा ।

123. जो कोई इतने उत्तावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेत्र संकटापन्न होता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, परंतु —

(क) जहां उपहति कारित की जाती है, दोनों में से किसी भाँति के कारावास, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से पांच हजार तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ;

(ख) जहां घोर उपहति कारित की जाती है, दोनों में से किसी भाँति के कारावास, जो तीन मास तक हो सकेगा या जुर्माने से दस हजार तक हो सकेगा या दोनों से 35 दंडनीय होगा ।

सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में

124. (1) जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में, जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे, वह उस

अम्ल आदि वा प्रयोग करके स्वेच्छया पार उपहति कारित करना ।

कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेत्र संकटापन्न हो ।

सदोष अवरोध ।

व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है।

अपवाद-भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध नहीं है।

इष्टांत

5-

क एक मार्ग में, जिससे होकर जाने का य का अधिकार है, सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है। य जाने से तद्दवारा रोक दिया जाता है। क, य का सदोष अवरोध करता है।

(2) जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो एक मास का हो सकेगा या जुर्माने से पांच सौ रुपए तक हो सकेगा या 10 दोनों से दण्डनीय होगा।

सदोष परिरोध।

125. (1) जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दें, वह उस व्यक्ति का "सदोष परिरोध" करता है, यह कहा जाता है।

इष्टांत

15-

(क) य को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर क उसमें लाला लगा देता है। इस प्रकार य दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। क ने य का सदोष परिरोध किया है।

(ख) क एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बन्दूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और य से कह देता है कि यदि य भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा, तो वे य को गोली मार देंगे। क ने य का सदोष परिरोध किया है।

(2) जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपर तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(3) जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध तीन या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(4) जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध दस या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से जो दस हजार से अनधिक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(5) जो कोई वह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक् रूप से निकाल चुका है। वह किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त, जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय हो, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

35-

(6) जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत होता हो कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक

को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए या एतस्मिन्पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को, ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता वह न चला पाए, वह उस दण्ड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दण्डनीय हो, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो 5 सकेगी, दण्डित किया जाएगा ।

(7) जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उदापित की जाए, अथवा उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को, कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए, या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का 10 किया जाना सुकर हो जाए, मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।

(8) जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई संस्थाकृति या कोई जानकारी, जिससे 15 किसी अपराध या अवधार का पता चल सके, उदापित की जाए, या वह परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी सम्पत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करे या करवाए या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी सम्पत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो 20 सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

आपराधिक बल और हमले के विषय में

126. कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति, गति-परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है या यदि 25 वह किसी पदार्थ में ऐसी गति, गति-परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है, जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से, जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से, जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, हो 30 जाता है :

परंतु यह तब जबकि गतिमान, गति-परिवर्तन या गतिहीनता करने वाला व्यक्ति उस गति, गति-परिवर्तन या गतिहीनता को एतस्मिन्पश्चात् वर्णित तीन तरीकों में से किसी एक 35 द्रवारा कारित करता है, अर्थात् :-

(क) अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्रवारा ;

(ख) किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्रवारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्रवारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही गति या गति-परिवर्तन या 40 गतिहीनता घटित होती है ;

(ग) किसी जीवजन्तु को गतिमान होने, गति-परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्रवारा ।

आपराधिक
बल ।

127. जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए उस व्यक्ति को, जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, भय या क्षोभ, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से, या ऐसे बल के प्रयोग से सम्भाव्यत कारित करेगा यह जानते हुए साशय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है ।

5

इष्टांत

(क) यह नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है । क रस्सीयों को उट्टवधित करता है और उस प्रकार नाव को धार में साशय बहा देता है । यहां क, यह को साशय गतिमान करता है, और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से व्यव्यनित करके करता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है । अतएव, क ने यह पर बल का प्रयोग साशय किया है, और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य कोई अपराध करने के लिए या यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि ऐसे बल के प्रयोग से वह यह को क्षति, भय या क्षोभ कारित करे, तो क ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

10

(ख) यह एक रथ में सवार होकर चल रहा है । क, यह के घोड़ों को चाबुक मारता है, और उसके द्वारा उनकी धाल को तेज कर देता है । यहां क ने जीवजन्तुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करके यह का गति-परिवर्तन कर दिया है । अतएव, क ने यह पर बल का प्रयोग किया है, और यदि क ने यह की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे यह को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे तो क ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

15

2.0

(ग) यह एक पालकी में सवार होकर चल रहा है । यह को लूटने का आशय रखते हुए क पालकी का डंडा पकड़ लेता है, और पालकी को रोक देता है । यहां, क ने यह को गतिहीन किया है, और यह उसने अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा किया है, अतएव क ने यह पर बल का प्रयोग किया है, और क ने यह की सम्मति के बिना यह कार्य अपराध करने के लिए साशय किया है, इसलिए क ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

2.5

(घ) क सड़क पर साशय यह को धक्का देता है, यहां क ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी है कि वह यह के संस्पर्श में आए । अतएव उसने साशय यह पर बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे यह को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

3.0

(ङ) क यह आशय रखते हुए या यह बात सम्भाव्य जानते हुए एक पत्थर फेंकता है कि वह पत्थर इस प्रकार यह, या यह के वस्त्र के या यह द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु के संस्पर्श में आएगा या यह कि वह पानी में जिरेगा और उछलकर पानी यह के कपड़ों पर या यह द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु पर जा पड़ेगा । यहां, यदि पत्थर के फेंके जाने से यह परिणाम उत्पन्न हो जाए कि कोई पदार्थ यह, या यह के वस्त्रों के संस्पर्श में आ जाए, तो क ने यह पर बल का प्रयोग किया है ; और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य उसके द्वारा यह को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करने का आशय रखते हुए किया है, तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

3.5

(च) क किसी स्त्री का धूधट साशय हटा देता है । यहां, क ने उस पर साशय बल का

प्रयोग किया है, और यदि उसने उस स्त्री की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या वह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि उससे उसको क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न हो, तो उसने उस आपराधिक बल का प्रयोग किया है।

(छ) य स्नान कर रहा है। क स्नान करने के टब में ऐसा जल डाल देता है जिसे वह जानता है कि वह उबल रहा है। यहां, उबलते हुए, जल में ऐसी गति को अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा साशय उत्पन्न करता है कि उस जल का संस्पर्श य से होता है या अन्य जल से होता है, जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से य की संवेदन शक्ति प्रभावित होती है; इसलिए क ने य पर साशय बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने य की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या वह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे य को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो क ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है।

(ज) क, य की सम्मति के बिना, एक कुते को य पर झटपटने के लिए भड़काता है। यहां यदि क का आशय य को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है तो उसने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है।

128. जो कोई, कोई अंगविक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है, या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंगविक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंगविक्षेप या तैयारी करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है।

हमला।

स्पष्टीकरण—केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। किन्तु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है, वे उसके अंगविक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंगविक्षेप या तैयारियों हमले की कोटि में आ जाएं।

इष्टात

(क) य पर अपना मुक्का क इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि क, य को मारने वाला ही है। क ने हमला किया है।

(ख) क एक हिस्त्र कुते की मुखबन्धनी इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए खौलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि वह य पर कुते से आक्रमण कराने वाला है। क ने य पर हमला किया है।

(ग) य से यह कहते हुए कि "मैं तुम्हें पीटूंगा" क एक छड़ी उठा लेता है। यहां यद्यपि क द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते और यद्यपि केवल अंगविक्षेप बनाना जिसके साथ अन्य परिस्थितियों का अभाव है, हमले की कोटि में न भी आए तथापि शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत वह अंगविक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है।

129. जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करेगा, वह दोनों में से किसी आंति के कारणास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन किसी अपराध के दण्ड में कमी गम्भीर और अचानक

गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड।

प्रकोपन के कारण न होगी, यदि वह प्रकोपन अपराध करने के लिए प्रतिहेतु के रूप में अपराधी द्वारा ईमित या स्वेच्छया प्रकोपित किया गया हो, अथवा

यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो विधि के पालन में, या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में, की गई हो, अथवा 5

यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो ।

प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गम्भीर और अचानक था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है ।

लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन में अधीयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।

गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का व्योग ।

किसी व्यक्ति द्वारा ले जाए जाने वाली संपत्ति की ओरी के प्रबल्ली में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।

किसी व्यक्ति का सटोष परिरोध करने के प्रबल्ली में हमला या आपराधिक बल का व्योग ।

गम्भीर प्रबोधन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।

130. जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या अधोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयत्नित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । 13

131. जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने, से अन्यथा, इस आशय से करेगा कि लद्दुवारा उसका अनादर किया जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । 2.0

132. जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी सम्पत्ति की ओरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए हो, या लिए जा रहा हो, वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

133. जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति का सटोष परिरोध करने का प्रयत्न करने में करेगा, वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । 2.5

134. जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । 3.0

स्पष्टीकरण—अंतिम धारा उसी स्पष्टीकरण के अध्यधीन है, जिसके अध्यधीन धारा 129 है।

व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्भ्रम के विषय में

135. (1) व्यपहरण दो किस्म का होता है; भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण—

व्यपहरण।

(क) जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, भारत की सीमाओं से परे प्रवहण कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

(ख) जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो सौलह] वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो अठरह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "विधिपूर्ण संरक्षक" शब्दों के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।

अपवाद—इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराधारिक या विधिविलम्ब प्रयोजन के लिए न किया जाए।

(2) जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

अपहरण।

136. जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है।

137. (1) जो कोई किसी बालक का इसलिए व्यपहरण करेगा या बालक का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए बालक की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण।

(2) जो कोई किसी बालक को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह कारावास से दण्डित किया जाएगा जो वीस वर्ष से अन्यून नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगी जिसका अर्थ है कि व्यक्ति का बधा हुआ प्राकृतिक जीवन और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(3) जहा कि कोई व्यक्ति, जो बालक का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस बालक को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकूल साधित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस बालक का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।

(4) इस धारा में "भीख मांगने" से अभिप्रेत है-

(i) लोक स्थान में शिक्षा की याचना या प्राप्ति चाहे गाने, नाचने, भावय बताने, करतब दिखाने या चीज़ें बेचने के बहाने अथवा अन्यथा करना,

(ii) शिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी प्राइवेट परिसर में परेश करना,

(iii) शिक्षा अभिप्राप्त या उदापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीवजन्तु का कोई छाण, घाव, क्षति, विरुपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना,

(iv) शिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से बालक का प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना।

हत्या करने के निरोत्ती के लिए व्यपहरण या उपहरण।

138. (1) जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्यवनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा।

इष्टांत

(क) क इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर य की बलि चढ़ाई जाए भारत में से य का व्यपहरण करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

(ख) ख को उसके गृह से क इसलिए बलपूर्वक या बहकाकर ले जाता है कि ख की हत्या की जाए। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

(2) जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्यात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसके उपहति की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से पवित्र रहने के लिए या फिरोती देने के लिए विवश किया जाए, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रीति से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से,

5

10

15

20

25

30

35

जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

5 (4) जो कोई किसी व्यक्ति का इस क्रम में अपहरण या व्यपहरण करता है कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार अध्याधीन या व्ययन किया जा सके कि उसे घोर उपहति या दासता या किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक कामुकता के अध्याधीन किए जाने का खतरा हो या यह जानते हुए कि यह सभाव्य है कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार अध्याधीन या व्ययनित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास जो दस वर्ष तक हो सकेगा से दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

10 139. जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की या लड़के को भारत के बाहर के किसी देश से या जन्म-कश्मीर राज्य से आया है, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अद्युक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या तद्दवारा वह विवश या विलुप्त की जाएगी यह सम्बंधित जानते हुए करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

विदेश से लड़की या लड़के का आवाहन करना।

15 140. जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करेगा कि उसे घोर उपहति या दासत्व का या किसी व्यक्ति की प्रकृति विस्तृदृष्टि काम वासना का विषय बनाया जाए या बनाए जाने के खतरे में वह जैसे पड़ सकता है वैसे उसे व्ययनित किया जाए या समझाय जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपर्युक्त बातों का विषय बनाया जाएगा या उपर्युक्त रूप से व्ययनित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण।

20 141. (1) जो कोई, शोषण के प्रयोजन के लिए,-

व्यक्ति का दुर्बोधर।

(क) धनकिञ्चियों का प्रयोग करके ; या

(ख) बल, या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके ; या

(ग) अपहरण द्वारा ; या

(घ) कपट का प्रयोग करके या प्रबंधन द्वारा ; या

25 (ङ) शक्ति का दुरुपयोग करके ; या

(च) उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की, जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है,

30 किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है, या गृहीत करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1—"शोषण" पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता या दासता अधिसेविता के समान व्यवहार या अंगों का बलात् अपसारण भी है।

स्पष्टीकरण 2—दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।

(2) जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(3) जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(4) जहां अपराध में किसी अवयस्क का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(5) जहां अपराध में एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि चौटह वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(6) यदि किसी व्यक्ति को अवयस्क का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्धांश ठहराया जाता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(7) जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित है, वहां ऐसा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण ।

142. (1) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई बालक जो अठारह वर्ष की आयुक से कम का हो, किसी अवयस्क का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

143. जो कोई अभ्यासतः दासों को आयात करेगा, नियोत करेगा, अपसारित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा या उनका दुर्व्यापार या व्याहार करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक न होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

144. जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अम करने के लिए विद्युतिरुद्ध तौर पर विवश करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

आध्याय 7

राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

५— 145. जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी दंडनीय होगा।

इष्टांत

क भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

१० 146. जो कोई धारा 145 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर बड़यंत्र करेगा, या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का बड़यंत्र करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी दंडनीय होगा।

१५ स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन बड़यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप गठित हुआ हो।

२० 147. जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने, या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोलाबारूद संग्रह करेगा, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी दंडनीय होगा।

२५ 148. जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्वों को किसी कार्य द्वारा, या किसी अवैध लोप द्वारा, इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी, दंडनीय होगा।

३० 149. जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से, ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सदोष अवरोध करेगा, या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी, दंडनीय होगा।

भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना।

पाठा 145 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का बड़यंत्र।

भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध अदि संग्रह करना।

युद्ध करने की परिकल्पना के सुकर बनाने के आशय से छिपाना।

किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोध करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल अदि पर हमला करना।

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में छालने वाला बल्य

150. जो कोई प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या इलैक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विद्वसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयास करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की आवना को बढ़ावा देता है या भारत के संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में छालता है या ऐसे अपराध में सम्मिलित होता है या कारित करता है, वह आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से जो सात वर्ष तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने के प्रयास के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित करने की हित से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अननुमोदन प्रकट करने वाली टीकाहिप्पणियाँ ।

भारत सरकार से मैंसी संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विद्युत्य युद्ध करना

151. जो कोई भारत सरकार से मैंसी का या शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के सञ्चयोग में लूटपाट करना ।

पाठ 151 और 152 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति पाप्त करना ।

लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना ।

उपेक्षा में लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल आगाना सहन करना ।

152. जो कोई किसी सम्पत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा 151 और 152 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति के समाप्त हरण से भी दंडनीय होगा ।

153. जो कोई किसी सम्पत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा 151 और 152 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति के समाप्त हरण से भी दंडनीय होगा ।

154. जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी को अभिरक्षा में रखते हुए, स्वेच्छया ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिवर्द्ध है, निकल भागने देगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

155. जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी को अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे परिरोध स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिवर्द्ध है, निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

156. जो कोई जानते हुए किसी राजकैटी या युद्धकैटी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा, या किसी ऐसे कैटी को छुड़ाएगा, या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, या किसी ऐसे कैटी को, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, संशय देगा या छिपाएगा या ऐसे कैटी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—कोई राजकैटी या युद्धकैटी, जिसे अपने वैरोल पर भारत में कतिपय सीमाओं के भीतर, यथेच्छ विघरण की अनुजा है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, यह तब कहा जाता है, जब वह उन सीमाओं से परे चला जाता है, जिनके भीतर उसे यथेच्छ विघरण की अनुजा है ।

अध्याय 8

सेना नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में

157. जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, या किसी ऐसे आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

ऐसे भैंटी के निकल भागने में सहायता देगा, उसे छुड़ाना या संशय देना ।

158. जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप विद्रोह हो जाए, तो वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना ।

विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए ।

159. जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ आफिसर पर, जब कि वह आफिसर अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर जब कि वह आफिसर अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण ।

ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए ।

160. जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ आफिसर पर, जब कि वह आफिसर अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, यदि ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

सैनिक, नौसैनिक
या वायुसैनिक
दखला
अभित्यजन का
दुष्प्रेरण ।

अभित्याजक को
संश्लय देना ।

मास्टर की
उपेक्षा से किसी
वाणिजिक
जलयान पर
छिपा हुआ
अभित्यजक ।

सैनिक, नौसैनिक
या वायुसैनिक
दखला अनधीनता
के कार्य का
दुष्प्रेरण ।

कुछ
अधिनियमों के
अध्याधीन
रूपकित ।

सैनिक, नौसैनिक
या वायुसैनिक
दखला उपयोग में
लाई जाने वाली
पोशाक पहनना
या टोकन घरण
करना ।

161. जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

162. जो कोई सिवाय एतस्मिन्पश्चात् यथा अपवादित के, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ने अभित्यजन किया है, ऐसे आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को संश्लय देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

अपवाद-इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति को संश्लय दिया जाता है ।

163. किसी ऐसे वाणिजिक जलयान का, जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अभित्याजक छिपा हुआ हो, मास्टर या भारसाधक व्यक्ति, यद्यपि वह ऐसे छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो, ऐसी शास्त्र से दंडनीय होगा जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, यदि उसे ऐसे छिपने का जान हो सकता था किंतु केवल इस कारण नहीं हुआ कि ऐसे मास्टर या भारसाधक व्यक्ति के नाते उसके कर्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई, या उस जलयान पर अनुशासन का कुछ अभाव था ।

164. जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिसे कि वह भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता का वर्त्य जानता हो, यदि अनधीनता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

165. कोई व्यक्ति, जो सेना अधिनियम, 1950, इंडियन नेवी (डिसिप्लिन) एकट, 1934, वायुसेना अधिनियम, 1950 के अध्याधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा ।

1950 का 46
1934 का 34
1950 का 45
25

166. जो कोई भारत सरकार की सेन्य, नाविक या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन के सहश हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

30

आध्याय 9

निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में

167. इस आध्याय के प्रयोजनों के लिए-

"अभ्यर्थी",
 "निर्वाचन
 अधिकार"
 परिमापित ।

5 (क) "अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिपेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ख) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थीना से अपना नाम बापल लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिपेत है ।

168. (1) जो कोई-

रिश्वत ।

10 (i) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, अथवा

15 (ii) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहीत करता है,

वह रिश्वत का अपराध करता है :

20 परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा ।

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है ।

25 (3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए, जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया है ।

30 169. (1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, तह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का अपराध करता है ।

निर्वाचनी में
 असम्यक्त
 असर डालना ।

(2) उपर्यास (1) के उपबंधी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई-

(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा

(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिष्ठा का आज्ञा हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करता है।

(3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग भाव, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।

निर्वाचन में
प्रतिरूपण।

170. जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, या हें वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है :

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

रिश्वत के लिए
दण्ड।

171. जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा :

परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी।

स्पष्टीकरण—"सत्कार" से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है।

निर्वाचन में
असम्यक असर
डालने या
प्रतिरूपण के
लिए दण्ड।

172. जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

निर्वाचन के
सिलसिले में
मिथ्या करने।

173. जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के दैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

निर्वाचन के
सिलसिले में
अवैध संदाय।

174. जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अवसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने से या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा

10

15

20

25

30

35

या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुमाने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रुपए से अधिक न हों, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, ५ दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं ।

१० १७५. जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुमाने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

अध्याय 10

सिक्कों, करेसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

१५ १७६. जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा या यह जानते हुए कि किसी सिक्के, बैंक नोट या करेसी नोट या राजस्व के प्रयोजन के लिए स्टाम्प या सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह आजीकरण कारबास से या दोनों में से किसी आंति के कारबास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक वीं हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

२० (1) “बैंक-नोट” पद से वचन-पत्र या मांग पर धारक को धन के संदाय हेतु व्यवस्था अभिप्रेत है जो विश्व के किसी भी भाग में बैंककारी कारबार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी या किसी राज्य या संपूर्ण प्रशुत्व संघन शक्ति के प्राधिकार द्वारा जारी और प्राधिकार के अधीन प्रथालित धन के स्थान पर या उसके समतुल्य प्रयोग किए जाने हेतु आशयित है ।

२५ २१ २०११ का ११ (2) “सिक्का” पद का वही अर्थ होगा जो इसका सिक्का-निर्माण अधिनियम, २०११ की धारा 2 में है और इसके अंतर्गत तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रशुत्व संघन शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रथालित थानु है ।

३० (3) जो व्यक्ति “सरकारी स्टाम्प कूटकरण” का अपराध करेगा जो एक मूल्य के असली स्टाम्प को किसी भिन्न मूल्य के असली स्टाम्प जैसा दिखाई देने का कूटकरण करता है ।

(4) जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के जैसा दिखाई देने वाला इस मार्ग से बनाता है कि पवंचना की जाए या यह मन्मात्र जानते हुए बनाता है कि लद्दवारा प्रवचना की जाएगी, वह यह अपराध करता है ; और

३५ (5) “सिक्का कूटकरण” अपराध के कूटकरण में सिक्के के वजन को कम करना

निर्वाचन सेखा रखने में असफलता ।

सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेसी नोट या बैंक नोट कूटकरण ।

या भिन्नरूप परिवर्तन या दिखाइ देने में परिवर्तन सम्मिलित है।

कूटवित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना।

कूटवित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेसी नोट या बैंक नोट वह कहजे में रखना।

लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेसी नोट या बैंक नोट बनाना या कहजे में रखना।

करेसी नोट या बैंक नोट के सहश दस्तावेज बनाना या उपयोग करना।

177. जो कोई किसी कूटकृत सिक्के, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प, बैंक नोट, को यह जानते हुए या यह विश्वास का कारण रखते हुए बेचेगा या परिदृष्ट करेगा या क्रय करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करेगा या अन्यथा उसका परिवहन करेगा या असली के रूप में उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

178. जो कोई किसी असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाने के या व्यायन करने के आशय से या इसलिए कि वह असली सिक्का, करेसी नोट या स्टाम्प के रूप में लाया जा सके, किसी ऐसे सिक्के, स्टाम्प, करेसी नोट या बैंक नोट को अपने कहजे में रखेगा जिसे वह जानता है कि सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित सिक्का, करेसी नोट, बैंक नोट या स्टाम्प की कूटकृति है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

179. जो कोई किसी सिक्के के कूटकरण या कूटरचना, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी स्टाम्प, करेसी नोट या बैंक नोट मशीनरी, डाई, लिखत या सामग्री जिसे प्रयोग किए जाने के प्रयोजन से या जानते हुए या जिसके बारे में वह जानता है कि यह प्रयोग में लाया जाएगा, बनाता है, या ढालता है, उसको ढालने या ढालने की प्रक्रिया के किसी भाग में कार्य करता है या क्रय या विक्रय या निपटान करता है या उसके कहजे में कोई मशीनरी, डाई, लिखत या सामग्री है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

180. (1) जो कोई किसी करेसी नोट या बैंक नोट को बनाता है या बनवाता है या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करता है या किसी व्यक्ति को परिदृष्ट करता है, कोई ऐसा दस्तावेज, जो करेसी नोट या बैंक नोट के सहश जुर्माने से दंडनीय होगा, जो तीन सौ रुपए तक का हो सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी ऐसे दस्तावेज पर दर्शित है, जिसका बनाता उपर्याहा (1) अधीन अपराध है, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर बिना किसी विधिक कारण के ऐसे व्यक्ति का नाम और पता बताने से इनकार करता है जिसके द्वारा यह मुद्रित किया गया था या बनाया गया था, जुर्माने से दंडनीय होगा, जो छह सौ रुपए तक का हो सकेगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति का नाम किसी ऐसे दस्तावेज पर दर्शित है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को उपर्याहा (1) के अधीन किसी अपराध के लिए आरोप लगाया गया है या किसी अन्य उपयोग किए गए दस्तावेज या उस दस्तावेज के संबंध में वितरण किया गया है, जब तक इसके प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने दस्तावेज बनवाया था।

181. जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, किसी पद्धति पर से, जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित कोई स्टाम्प लगा हुआ हो, किसी लेख या दस्तावेज को, जिसके लिए ऐसा स्टाम्प उपयोग में लाया गया हो, हटाएगा या मिटाएगा या किसी लेख या दस्तावेज पर से उस लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाएगा कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

182. जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प को, जिसके बारे में वह जानता है कि वह स्टाम्प उससे पहले उपयोग में लाया जा चुका है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

183. जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प पर से उस चिह्न को छीलकर मिटाएगा या हटाएगा, जो ऐसे स्टाम्प पर यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छापित हो या ऐसे किसी स्टाम्प को, जिस पर से ऐसा चिह्न मिटाया या हटाया गया हो, जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा या बेचेगा या व्यवनित करेगा, या ऐसे किसी स्टाम्प को, जो वह जानता है कि उपयोग में लाया जा चुका है, बेचेगा या व्यवनित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

184. (1) जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को-

- (क) बनाएगा, जानते हुए चलाएगा, उसका व्यौहार करेगा या उसका विक्रय करेगा या उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाएगा, अथवा
- (ख) किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, अथवा
- (ग) बनाने की किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाएगा, या किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा,

वह जुमाने से, जो दो सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

(2) कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, अभिगृहीत की जा सकेगी और अभिगृहीत की जाए तो समझौत कर ली जाएगी।

(3) इस धारा में "बनावटी स्टाम्प" से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है, जिससे यह मिथ्या रूप से लात्पर्यित हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से उसे प्रचालित किया है या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से प्रचालित किसी स्टाम्प की, कागज

इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पद्धति पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है।

ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में जात है कि उसका पहले उपयोग ही चुका है।

स्टाम्प के उपयोग किए जा चुके के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना।

बनावटी स्टाम्प का प्रतिशेष।

पर या अन्यथा, अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण हो।

(4) इस धारा में और धारा 176 से धारा 179 तथा धारा 181 से धारा 185 तक मैं भी, जिनमें ये दोनों धाराएं भी समाविष्ट हैं, "सरकार" शब्द के अंतर्गत, जब भी वह डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से प्रचलित किए गए किसी स्टान्प के संसंग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 2 का खंड (ङ) में किसी बात के होते हुए भी, वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो आरत के किसी भाग में और हर मजेस्टी की डोमीनियन्स के किसी भाग में, या किसी दिलेश में भी, कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो।

टकसाल से
नियोजित
व्यक्ति द्वारा
सिक्के का उप
योजन या भिक्षण
से भिन्न कीरत
किया जाना जो
विधि द्वारा
नियत है।

टकसाल से
सिक्का बनाने
का उपकरण
विधिविस्तृध रूप
में लेना।

185. जो कोई भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से नियोजित होते हुए इस आशय से कोई कार्य करेगा, या उस कार्य का लोप करेगा, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आवद्ध हो कि उस टकसाल से प्रचलित कोई सिक्का विधि द्वारा नियत वजन या भिक्षण से भिन्न वजन या भिक्षण का कारित हो, वह दोनों मैं से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

186. जो कोई भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा, वह दोनों मैं से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

अध्याय 11

लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

20

विधिविस्तृध
जमाव।

187. (1) पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव "विधिविस्तृध जमाव" कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य हो-

(क) केंद्रीय सरकार को, या किसी राज्य सरकार को, या संसद् को या, किसी राज्य के विधान-मंडल को, या किसी लोक सेवक को, जब कि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा, या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आतंकित करना, अथवा

(ख) किसी विधि के, या किसी वैध आदेशिका के, निष्पादन का प्रतिरोध करना, अथवा

(ग) किसी रिस्ट्री या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना, अथवा

(घ) किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, या जल के उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो, या उपभोग करता हो, बंधित करना या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित करना, अथवा

(ङ) आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी व्यक्ति 30

को यह करने के लिए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आवृद्ध न हो या उसका लोप करने के लिए, जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना ।

स्पष्टीकरण—कोई जमाव, जो इकठ्ठा होते समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद को विधिविरुद्ध जमाव हो सकेगा ।

८ (2) जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्भिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है और जो कोई विधिविरुद्ध जमाव का ऐसा सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

१० (3) जो कोई किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधिविरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्भिलित होगा, या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

१५ (4) जो कोई किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य है, सजिजल होते हुए किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

२० (5) जो कोई पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में, जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना सम्भाव्य हो, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधिपूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए सम्भिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—यदि वह जमाव उपधारा (1) के अर्थ के अन्तर्गत विधिविरुद्ध जमाव हो, तो अपराधी उपधारा (3) के अधीन दंडनीय होगा ।

२५ (6) जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जमाव में सम्भिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा या भाड़े पर लिए जाने का, वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा या के पाति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दंडनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा या या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था ।

३० (7) जो कोई किसी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के लिए किसी गृह या उसके अधिभोग या प्रभार के अधीन किसी परिसर में आश्रय देता है या यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्तियों को किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लिए गए हैं, लगाए गए हैं या नियोजित किए गए हैं या उससे जुहने के लिए भाड़े पर लिए जाने हैं या भाड़े पर लगाए जाने हैं या नियोजित किए जाने हैं, वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(8) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट बिन्हीं कृत्यों को करता है या करने में सहायता करता है या भाड़े पर या नियोजन किए जाने हेतु पर्यास करता है या प्रस्ताव करता है या नियोजित है या भाड़े पर लिया गया है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(9) जो कोई उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट इस प्रकार नियोजित या भाड़े पर होने के नाते आयुध के साथ जाता है या आयुध सहित नियोजन या प्रस्ताव करता है, घातक आयुध से सजिज्ञ होकर या किसी ऐसे आयुध का उपयोग करता है जिससे मृत्यु कारित करने के अपराध की सम्भाव्यता है तो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

विधिविरुद्ध
जमाव का हर
सदस्य, समान्य
उद्देश्य को
अवसर करने के
लिए किए गए
अपराध का
दोषी ।

बल्वा करना ।

188. यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अवसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अवसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा ।

189. (1) जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अवसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा ।

(2) जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(3) जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रान्त आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य ही, सजिज्ञ होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

बल्वा करने के
आशय से
स्वैरिता से
प्रकोपन देना,
यदि बल्वा किया
जाए, यदि बल्वा
न किया जाए ।

उस भूमि के
स्वामी,
अधिभोगी, अदि,
जिस पर
विधिविरुद्ध
जमाव या बल्वा
किया जाया है,
कर दृष्टित्व ।

190. जो कोई अवैध बात के करने द्वारा किसी व्यक्ति को परिदृष्टि से या स्वैरिता से प्रकोपित इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप बल्वे का अपराध किया जाएगा ; यदि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप बल्वे का अपराध किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, और यदि बल्वे का अपराध न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

191. (1) जब कभी कोई विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा हो, तब जिस पर ऐसा विधिविरुद्ध जमाव हो या ऐसा बल्वा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना सम्भाव्य है, उस बात की अपनी शक्ति-मर

5

10

15

20

25

70

25

शीघ्रतम् सूचना निकटतम् पुलिस थाने के प्रधान आफिसर को न दे या न दे और उस दशा में, जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला है, अपनी शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या करते और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधिविरुद्ध जमाव को बिखेरने या बल्वे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता या करते ।

5

10

15

20

25

30

35

(2) जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बल्वा किया जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बल्वा हो, स्वामी या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्वे को पैदा करने वाले किसी विवादवस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत कर या पा चुका हो, तब ऐसा व्यक्ति, जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बल्वा किया जाना सम्भाव्य था या कि जिस विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बल्वा किया गया था, वह जमाव किया जाना सम्भाव्य था अपनी शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे जमाव या बल्वे का किया जाना निवारित करने के लिए और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते ।

(3) जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बल्वा किया जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बल्वा हो, स्वामी हो या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्वे के पैदा करने वाले किसी विवादवस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत कर या पा चुका हो, तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि ऐसा अभिकर्ता या प्रबंधक यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे बल्वे का किया जाना सम्भाव्य था या कि जिस विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बल्वा किया गया था, उसका किया जाना सम्भाव्य था, अपनी शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे बल्वे या जमाव का किया जाना निवारित करने के लिए और उसको दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते ।

192. (1) जब कि दो या अधिक व्यक्ति लोकस्थान में लड़कर लोक शान्ति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे "दंगा करते हैं" ।

दंगा ।

(2) जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसको अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

193. (1) जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर, जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखेरने का, या बल्वे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करने की धमकी देगा, या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा है, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना ।

(2) जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर, जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखेरने का, या बल्वे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर

रहा हो, हमले की धमकी देगा या हमले का प्रयास करेगा या उसके काम में बाईं डालेगा या बाईं डालने का प्रयत्न करेगा या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करने की धमकी देगा, या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

५

धर्म, मूलवंश,
जन्म-स्थान,
निवास-स्थान,
भाषा, इत्यादि के
आधारी पर
विभिन्न समूहों
के बीच शब्दों
का संप्रवाहन
और सौहार्द बने
रहने पर
प्रतिकूल प्रवाद
द्वालने वाले कार्य
करना ।

194. (1) जो कोई,-

(क) बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या सकेती द्वारा या इश्यरुपणी द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शब्दों, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा

१०

(ख) कोई ऐसा कर्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक-प्रशान्ति में विधन डालता है या जिससे उसमें विधन पड़ना सम्भाल्य हो, अथवा

१५

(ग) कोई ऐसा अव्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह सम्भाल्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से, अथ या संवास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी सम्भाल्य है,

२०

२५

३०

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जगत में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

३५

195. (1) जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या हस्यरूपणों द्वारा या अन्यथा,-

राष्ट्रीय अधिकार
पर प्रतिकूल
प्रभाव डालने
वाले लोकों
प्राप्त्यान् ।

(क) ऐसा कोई लोकों लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तित इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची अदृष्टा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, अथवा

(ख) यह प्रारूप्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए, अथवा

(ग) किसी वर्ग के व्यक्तियों की, बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई प्रारूप्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाकृ करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा, और ऐसे प्रारूप्यान, परामर्श, अभिवाकृ या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य, अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी संभाव्य हैं ; या

(घ) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली लिख्या या आमक जानकारी देता है या प्रकाशित करता है,

२० वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना अथवा धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करेगा वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

२५

अध्याय 12

लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में

196. जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निदेश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

हृष्टांत

क, जो एक आफिसर है, और न्यायालय द्वारा थ के पक्ष में दी गई डिक्टी की तुष्टि के

लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है ।

लिए निष्पादन में सम्पति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित है, यह जान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि तदद्वारा वह या को क्षति कारित करेगा, जानते हुए विधि के उस निर्देश की अवज्ञा करता है। क ने इस धारा में परिआधित अपराध किया है।

लोक सेवक, जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है।

197. जो कोई लोक सेवक होते हुए,-

(क) विधि के किसी ऐसे निर्देश की, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिक्रिया करता है, जानते हुए अवज्ञा करेगा ; या

(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुए अवज्ञा करेगा ; या

(ग) धारा 65, धारा 66, धारा 67, या धारा 68 या धारा 71, धारा 73, धारा 76, धारा 122, धारा 141 तथा धारा 142 के अधीन दंडनीय संजेय अपराध के संबंध में उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 की धारा 174 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखदाध करने में असफल रहेगा,

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

पोडिट का उपचार न करने के लिए दंड।

198. जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राइवेट भ्रष्टाचार का, चाहे वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घलाया जा रहा हो, भारसाधक होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 की धारा 449 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से, दंडित किया जाएगा।

लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रखता है।

199. जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का आर-वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना, तैयार या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता ही या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से, या सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तदद्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में संगता है।

200. जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आवद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगेगा, वह साठा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, या समुदाय सेवा से, दंडित किया जाएगा।

लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से संपति क्रय करता है या उसके लिए खोली लगता है।

201. जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आवद्ध होते हुए कि वह अमुक संपति को न ले करे और न उसके लिए खोली लगाए, या तो अपने निज के नाम में, या किसी दूसरे के नाम में, अथवा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, या अंशों में उस संपति को क्रय करेगा, या उसके लिए खोली लगाएगा, वह साठा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा, और यदि वह संपति क्रय कर ली गई है, तो वह अधिहत कर ली

जाएगी ।

5 202. जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का अपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाधार से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

10 203. जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए, या इस जान से कि सम्भाव्य है कि यह विश्वास किया जाए, कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पौशक के सहश औशक पहलेगा, या टोकन के सहश कोई टोकन धारण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अध्याय 13

लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

15 204. जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो ।-

20 205. (क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से ;

(ख) समन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए, या दस्तावेज अथवा इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

25 205. जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा जो लोक सेवक उस नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करेगा, अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधिपूर्वक लगाया जाना साशय निवारित करेगा, अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश को किसी ऐसे स्थान से, जहां कि विधिपूर्वक लगाया हुआ है, साशय हटाएगा, किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा का विधिपूर्वक किया जाना साशय निवारित करेगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो ।-

30 205. (क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

(ख) समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के

लोक सेवक का प्रतिरूपण ।

कर्पटपूर्ण अपहरण से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक घटना या ठेकन का हारण करना ।

समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना ।

समन की तामील कर या अन्य कार्यवाही कर या उसके प्रकल्पन का निवारण करना ।

लिए हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

लोक सेवक का
आदेश न
मालकर गैर-
हाजिर रहना।

206. जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में, जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से सकान हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उस स्थान या समय पर हाजिर होने का साशय लोप करेगा, या उस स्थान से, जहां हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है, उस समय से पूर्व चला जाएगा, जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता,—

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

(ख) समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय ने स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

इकट्ठात

(क) क कलकता उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए सपीना के पालन में उस न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उपसंजात होने में साशय लोप करता है, क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

(ख) क जिला न्यायाधीश द्वारा निकाले गए समन के पालन में उस जिला न्यायाधीश के समक्ष साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उपसंजात होने में साशय लोप करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी।

207. जो कोई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 की धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से या समुदाय सेवा दंडित किया जाएगा और जहां उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वहां वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

208. जो कोई किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने या परिदृत करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उसको इस प्रकार पेश करने या परिदृत करने का साशय लोप करेगा,—

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

(ख) वह दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी न्यायालय में पेश या परिदृत की जानी हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

दस्तावेज या
इलैक्ट्रॉनिक
अभिलेख पेश
करने के लिए
वैध रूप से
आबद्ध उचित
का लोक सेवक
को दस्तावेज या
इलैक्ट्रॉनिक
अभिलेख पेश
करने का लोप।

इच्छात

क, जो एक एक ज़िला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आवद्ध है, उसको पेश करने का साशय लोप करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

- 5 209. जो कोई किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने या इतिला देने के लिए वैध रूप से आवद्ध होते हुए, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर ऐसी सूचना या इतिला देने का साशय लोप करेगा,—

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

- 10 (ख) दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इतिला किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

- 15 (ग) दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इतिला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 की धारा 405 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

- 20 210. जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इतिला देने के लिए वैध रूप से आवद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इतिला के रूप में ऐसी इतिला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है, —

- 25 (क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

- 30 (ख) वह इतिला, जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आवद्ध हो, कोई अपराध किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों से से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

इच्छात

- (क) क, एक भू-धारक, यह जानते हुए कि उसकी भू-सम्पदा की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है, उस ज़िले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इतिला देता है कि मृत्यु सांप के काटने के परिणामस्वरूप दुर्घटना से हुई है। क इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है।

- (ख) क, जो याम चौकीदार है, यह जानते हुए कि अनजाने लोगों का एक बड़ा गिरोह य के गृह में, जो पड़ोस के गांव का जिवासी एक धनी व्यापारी है, डैक्टी करने के लिए

सूचना या इतिला देने के लिए वैध रूप से आवद्ध अपेक्षित द्वारा लोक सेवक को सूचना या इतिला देने का सोच।

मिथ्या इतिला देना।

उसके गांव से होकर गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 की धारा 34 के अधीन निकटतम पुलिस याने के आफिसर को उपरोक्त घटना की इतिला शीघ्र और ठीक समय पर देने के लिए आबद्ध होते हुए, पुलिस आफिसर को जानबूझकर यह मिथ्या इतिला देता है कि संदिग्धशील के लोगों का एक गिरोह किसी भिन्न दिशा में स्थित एक दूरस्थ स्थान पर डकेती करने के लिए गांव से होकर गया है। यहां क, इस धारा के दूसरे 5⁵ आग में परिभाषित अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण—धारा 209 में और इस धारा में, “अपराध” शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई ऐसा कार्य आता है, जो बढ़ि भारत में किया जाता, तो निम्नलिखित धारा अर्थात् 99(1), 101, 304, 306(2), 306(3), 306(4), 307(2), 307(3), 308, 309, 307(4), 307(5), 323(प), 323(छ), 329(क), 329(ख), 328(4), 328(6), 328(7), 328(8), 174, 175, 176 तथा 177 में से किसी धारा के अधीन दंडनीय होता; 10 और “अपराधी” शब्द के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, जो कोई ऐसा कार्य करने का दोषी अभिकथित हो।

शपथ प्रतिज्ञन से इकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वेश करने के लिए सम्मत रूप से अपेक्षित किया जाए।

प्रश्न करने के लिए प्राप्तिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इकार करना।

कथन पर हस्ताक्षर करने से इकार।

शपथ दिलाने वा प्रतिज्ञन करने के लिए प्राप्तिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ वा प्रतिज्ञन पर मिथ्या कथन।

211. जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञन द्वारा अपने भाप को आबद्ध करने से इकार करेगा, जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह व्यक्ति इस प्रकार अपने को आबद्ध करे, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि उह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। 15

212. जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, ऐसे लोक सेवक की वैध शक्तियों के प्रयोग में उस लोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इकार करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि उह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। 20

213. जो कोई अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को ऐसे लोक सेवक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, जो उससे यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह उस कथन पर हस्ताक्षर करे, उस कथन पर हस्ताक्षर करने से इकार करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। 25

214. जो कोई किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो ऐसे शपथ दिलाने वा प्रतिज्ञन देने के लिए विधि द्वारा प्राप्तिकृत हो, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञन द्वारा वैध रूप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक सेवक या यथापूर्वोक्त अन्य व्यक्ति से उस विषय के संबंध में कोई ऐसा कथन करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे जान है, या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, 30 दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 35

215. जो कोई किसी लोक सेवक को कोई ऐसी इतिला, जिसके मिथ्या होने का उसे जान या विश्वास है, इस आशय से देगा कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे या यह सम्भाव्य जानते हुए देगा कि वह उससे तदद्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक—

(क) कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जिसे वह लोक सेवक, यदि उस संबंध में, जिसके बारे में ऐसी इतिला दी गई है, तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोप न करता, अथवा

(ख) ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो,

वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या 10 जुमाने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

इतिला

(क) के एक मजिस्ट्रेट को यह इतिला देता है कि ये एक पुलिस आफिसर, जो ऐसे मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ है, कर्तव्य पालन में उपेक्षा या अवचार का दोषी है, यह जानते हुए देता है कि ऐसी इतिला मिथ्या है, और यह सम्भाव्य है कि उस इतिला से वह मजिस्ट्रेट य 15 को बदच्चुत कर देगा। के ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

(ख) के एक लोक सेवक को यह मिथ्या इतिला देता है कि ये के पास गुप्त स्थान में विनिविदृधि नमक है। वह इतिला यह जानते हुए देता है कि ऐसी इतिला मिथ्या है, और यह जानते हुए देता है कि यह सम्भाव्य है कि उस इतिला के परिणामस्वरूप ये के परिसर की तलाशी ली जाएगी, जिससे ये को क्षोभ होगा। के ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

(ग) एक पुलिसजन को के यह मिथ्या इतिला देता है कि एक विशिष्ट ग्राम के पास उस पर हमला किया गया है और उसे लूट लिया गया है। वह अपने पर हमलावर के रूप में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता। किन्तु वह यह जानता है कि यह संभाव्य है कि इस इतिला के परिणामस्वरूप पुलिस उस ग्राम में जांच करेगी और तलाशियां लेगी, जिससे ग्रामवासियों या उनमें से कुछ को क्षोभ होगा। के ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

216. जो कोई किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा किसी संपत्ति के ले लिए जाने का प्रतिरोध यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि वह ऐसा लोक सेवक है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

217. जो कोई ऐसी किसी संपत्ति के विक्रय में, जो ऐसे लोक सेवक के नाते किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा दिक्रय के लिए प्रस्थापित की गई हो, साशय बाधा डालेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुमाने से, जो चांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

इस आशय से मिथ्या इतिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे।

लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध।

लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना।

लोक सेवक के पारिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत्यापित की गई संपत्ति का अवैध प्राप्त या उसके लिए अवैध बोली लगाना ।

लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना ।

लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आवधि हो ।

लोक सेवक द्वारा सम्पत्ति रूप से प्रस्तुत्यापित आदेश की अवज्ञा ।

218. जो कोई संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय में, जो लोक सेवक के नाते लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा ही रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति के लिमिट घाँटे वह व्यक्ति वह स्वयं हो, या कोई अन्य हो, किसी संपत्ति का क्रय करेगा या किसी संपत्ति के लिए बोली लगाएगा, जिसके बारे मैं वह जानता हो कि वह व्यक्ति उस विक्रय में उस संपत्ति के क्रय करने के बारे मैं किसी विधिक असमर्थता के अधीन है या ऐसी संपत्ति के लिए यह आशय रखकर बोली लगाएगा कि ऐसी बोली लगाने से जिन बाध्यताओं के अधीन वह अपने आप को डालता है उन्हें उसे पूरा नहीं करना है, वह दोनों मैं से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

219. जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालेगा, वह दोनों मैं से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

220. जो कोई किसी लोक सेवक को, उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुँचाने के लिए विधि द्वारा आवधि होते हुए, ऐसी सहायता देने का साशब्द लोप करेगा,—

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;

(ख) ऐसी सहायता की मांग उससे ऐसे लोक सेवक द्वारा, जो ऐसी मांग करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, न्यायालय द्वारा वैध रूप से निकाली गई किसी आदेशिका के निष्पादन के, या अपराध के किए जाने का निवारण करने के, या बल्वे या दंगे को दबाने के, या ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दौषी है, पकड़ने के प्रयोजनों से की जाए, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि उह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

221. जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रस्तुत्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कदमे में की, या अपने प्रबन्धाधीन, किसी संपत्ति के बारे मैं कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निर्देश की अवज्ञा करेगा,—

(क) यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि उह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(ख) ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेत्र को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बल्वा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों मैं से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि

एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होना संभाव्य है । यह ५ पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे जान है, और यह भी जान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है ।

इष्टांत

एक आदेश, जिसमें यह निर्देश है कि अमुक धार्मिक जुलूस अमुक सड़क से होकर न १० लिकले, ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रछापित किया जाता है, जो ऐसा आदेश प्रछापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है । क जानते हुए उस आदेश की अवज्ञा करता है, और तदद्वारा बल्वे का संकट कारित करता है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।

222. जो कोई किसी लोक सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उस लोक सेवक के हितबद्ध होने का उसे विश्वास हो, इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा कि उस लोक सेवक को उत्प्रेरित किया जाए कि वह ऐसे लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से संसक्त १५ कोई कार्य करे, या करने से प्रविरत रहे, या करने में विलम्ब करे, वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

223. जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा कि वह उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करे कि वह किसी क्षति से संरक्षा के लिए कोई वैध आवेदन किसी २० ऐसे लोक सेवक से करने से विरत रहे, या प्रतिविरत रहे, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी संरक्षा करने या कराने के लिए वैध रूप से संशक्त हो, वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

224. जो कोई किसी लोक सेवक को अपने शासकीय कर्तव्य करने या शासकीय २५ कर्तव्यों का निर्वहन करने से विरत रहने के आशय से या करने हेतु आत्महत्या का प्रयास करता है, वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, या समुदाय सेवा से दंडनीय होगा ।

लोक सेवक की क्षति करने की धमकी ।

लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी ।

विधिविवरण
शासक का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास ।

अध्याय 14

मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

225. जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसा कोई कथन करेगा, जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे जान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है ।

मिथ्या साक्ष्य देना ।

स्पष्टीकरण 1—कोई कथन चाहे वह माखिक हो, या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अंतर्गत आता है।

स्पष्टीकरण 2—अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है, जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा।

इष्टांत

(क) क एक न्यायसंगत दावे के समर्थन में, जो य के विरुद्ध ख के एक हजार रुपए के लिए है, विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता है कि उसने ख को ख के दावे का न्यायसंगत होना स्वीकार करते हुए सुना था। क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है।

10

(ख) क सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है कि वह अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वह य का हस्तलेख है, जबकि वह उसके य का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करता है। यहां क वह कथन करता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है, और इसलिए मिथ्या साक्ष्य देता है।

(ग) य के हस्तलेख के साथारण स्वरूप को जानते हुए क यह कथन करता है कि अमुक हस्ताक्षर के संबंध में उसका यह विश्वास है कि वह य का हस्तलेख है; क उसके ऐसा होने का विश्वास सद्भावपूर्वक करता है। यहां, क का कथन केवल अपने विश्वास के संबंध में है, और उसके विश्वास के संबंध में सत्य है, और इसलिए, यद्यपि वह हस्ताक्षर य का हस्तलेख न भी हो, क ने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया है।

(घ) क शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए यह कथन करता है कि वह यह जानता है कि य एक विशिष्ट दिन एक विशिष्ट स्थान में था, जबकि वह उस विषय में कुछ भी नहीं जानता। क मिथ्या साक्ष्य देता है, याहे बतलाए हुए दिन य उस स्थान पर रहा हो या नहीं।

(ङ) क एक दुभाविया या अनुवादक किसी कथन या दस्तावेज के, जिसका यथार्थ भाषान्तरण या अनुवाद करने के लिए वह शपथ द्वारा आबद्ध है, ऐसे आषान्तरण या अनुवाद को, जो यथार्थ भाषान्तरण या अनुवाद नहीं है और जिसके यथार्थ होने का वह विश्वास नहीं करता, यथार्थ भाषान्तरण या अनुवाद के रूप में देता या प्रमाणित करता है। क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है।

मिथ्या साक्ष्य नहीं।

226. जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्ट करता है, या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट रखने वाला कोई दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख रखता है कि ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्ट या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में, या ऐसी किसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाम या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्ट या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर 30 राय कायम करनी है ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्पर्य किसी बात के संबंध में गलत राय छनाए, वह "मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है", यह कहा जाता है।

इष्टांत

- (क) क एक बक्स में, जो य कह है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्स में पाए जाएं, और इस परिस्थिति से य घोरी के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाए। क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है।
- ५ (ख) क अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में सम्पोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए। क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है।
- (ग) य को एक आपराधिक बद्यन्त्र के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाने के आशय से क एक पत्र य के हस्तलेख की अनुकृति करके लिखता है, जिससे यह तात्पर्यित है कि य ने उसे ऐसे आपराधिक बद्यन्त्र के सह अपराधी को संबोधित किया है और उस पत्र को ऐसे स्थान १० पर रख देता है, जिसके संबंध में वह यह जानता है कि पुलिस आफिसर संभाव्यतः उस स्थान की तलाशी लेंगे। क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है।
- १५ २२७. (1) जो कोई साशब्दिक किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष २० तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और दस हजार रुपए तक के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा;
- (2) जो कोई उपधारा (1) में लिदिष्ट से भिन्न किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और पांच हजार रुपए तक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
- २५ स्पष्टीकरण १—सेना न्यायालय के समक्ष विचारणीय न्यायिक कार्यवाही है।
- स्पष्टीकरण २—न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व, जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो।
- ३० स्पष्टीकरण ३—न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो।
- मिथ्या साक्ष्य
के सिए दण।
- ### इष्टांत
- संबोधित स्थान पर जा कर भूमि की सीमाओं को अभिनिश्चय करने के लिए न्यायालय ३५ द्वारा प्रतिनियुक्त आफिसर के समक्ष जांच में क शपथ पर कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए क ने मिथ्या

मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ।

228. (1) जो कोई भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्धि कराने के आशय से या सम्भाल्यतः तदद्वारा दोषसिद्धि कराएगा यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और पचास हजार रुपए तक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) यदि निर्दोष व्यक्ति दोषसिद्धि किया जाए और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि किया जाए, और उसे निष्पादित किया जाए, तो उस व्यक्ति को, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा, या तो मृत्यु दंड या एतत्सिद्धिपूर्व वर्णित दंड दिया जाएगा ।

आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ।

229. जो कोई इस आशय से या यह सम्भाल्य जानते हुए कि एतदद्वारा वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय न हो किन्तु आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, दोषसिद्धि कराए, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता जो उस अपराध के लिए दोषसिद्धि होता ।

इष्टांत

क न्यायालय के समक्ष इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि एतदद्वारा य डकेती के लिए दोषसिद्धि किया जाए । डकेती का दंड जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास या ऐसा कठिन कारावास है, जो दस वर्ष तक की अवधि का हो सकता है । क इसलिए जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है ।

230. (1) जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके शरीर, छायाति या संपत्ति को अथवा ऐसे व्यक्ति के शरीर या छायाति को, जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है, यह कारित करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है, कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ;

(2) यदि कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप मृत्यु से या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दोषसिद्धि और दंडादिष्ट किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति, जो धमकी देता है, उसी दंड से दंडित किया जाएगा और उसी रीति में और उसी सीमा तक दंडादिष्ट किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडादिष्ट किया गया है ।

231. जो कोई किसी साक्ष्य को, जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सर्वे या भ्रमली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो ।

232. जो कोई ऐसा प्रमाणपत्र, जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो, या जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाणपत्र विधि द्वारा साक्ष्य में गाहू हो, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह किसी तात्पर्यक बात के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाणपत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरित करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो ।

उस साक्ष्य को काम में लाना, जिसका मिथ्या होना जात है ।

मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना ।

233. जो कोई किसी ऐसे प्रमाणपत्र को यह जानते हुए कि वह किसी लात्तिक बात के संबंध में मिथ्या है उसके प्रमाणपत्र के रूप में भृष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो ।

प्रमाणपत्र को,
जिसका लिखा
हीना जल है,
सच्चे के रूप में
वास्तम में लगा ।

234. जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में, जिसकी किसी
 ५ तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, या कोई लोक सेवक या अन्य
 व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो कोई ऐसा कथन करेगा, जो किसी ऐसी बात के
 संबंध में, जो उस उद्देश्य के लिए तात्पुर हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग
 १० में लाई जाए, मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे जान या विश्वास है, या जिसके
 सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या
 १५ साक्ष्य दिया हो ।

ऐसी घोषणा में,
जो सादृश के
रूप में विधि
द्युत्तरा ली जा
सके, किया
गया भिन्नता
कथन।

235. जो कोई किसी ऐसी घोषणा को, यह जानते हुए कि वह किसी तात्त्विक बात के संबंध में मिथ्या है, अष्टतापूर्वक सद्धी के रूप में उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा। वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो ।

ऐसी घोषणा का
मिलवा हीना
जलते हुए, उसे
सच्ची के हथ
में बगम में
लाना।

स्पष्टीकरण—कोई घोषणा, जो केवल किसी अप्रूपिता के आधार पर अग्रह्य है, धारा 15 234 के अर्थ के मुत्तमत घोषणा है।

236. जो कोई यह जानते हुए या वह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के लिए साक्ष्य का विलोप, इस आशय से करित करेगा कि अपराधी को बैध दंड से प्रतिच्छादित करे या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी दुनिला देगा, जिसके मिट्टा होने का उसे जान या विश्वास है।

अपराध के राहिये विलोपन, या अपराधी को प्रतिरक्षित करने के लिए निष्पत्ति देना।

(क) यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे जान या विश्वास है, मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों मैं से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दृष्टिक्षण किया जाएगा और जर्माने से भी दंडनीय होगा;

(ख) और यदि वह अपराध आजीकन कारावास से, या ऐसे कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

(ग) और यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो, जो दस वर्ष तक की न हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भाँति के कारावास से उतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम भवधि की एक-चौथाई तक हो सकेगी या जमाने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

三

क यह जानते हुए कि ख ने य की हत्या की है ख की दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में ख की सहायता करता है। क सात वर्ष के लिए दोनों में से किसी भाँति के कापाकास से, और जर्मने से भी दंडनीय हैं।

इतिला देने के लिए
आबद्ध प्रमिल
द्वारा अपराध की
इतिला देने का
साक्ष्य लोग ।

किए गए अपराध
के विषय में
मिश्या इतिला
देना ।

साक्ष्य के रूप में
किसी दस्तावेज़
या इलेक्ट्रॉनिक
अभिलेख का पेश
किया जाना
निवारित करने
के लिए उसकी
नस्त करना ।

वाद या
अभियोजन में
किसी कार्य का
कार्यवाही के
प्रयोग से मिश्या
प्रतिक्रिया ।

संपत्ति को
सम्पहरण किए
जाने से या
निष्पहरण में
अभिमुहूर्त किए
जाने से निवारित
करने के लिए उसे
कपटपूर्वक हटाना ।

237. जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध विच्छया गया है, उस अपराध के बारे में कोई इतिला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, देने का साक्ष्य लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि उह मास तक की हो सकेगी, पांच हजार रुपए तक का जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

238. जो कोई यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए, कि कोई अपराध किया गया है उस अपराध के बारे में कोई ऐसी इतिला देना, जिसके मिश्या होने का उसे जान या विश्वास हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—धारा 236 और धारा 237 में और इस धारा में “अपराध” शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा कार्य आता है, जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धारा अर्थात् धारा 99 की उपधारा (1) या धारा 101 या धारा 304 या धारा 306 की उपधारा (2) या 306 की उपधारा (3) और 306 की उपधारा (4) या धारा 307 की उपधारा (2) या धारा 307 की उपधारा (3), या धारा 307 की उपधारा (4), या धारा 307 की उपधारा (5) या धारा 308 या धारा 309 या धारा 323 (च) का खंड (च), धारा 323 (छ), धारा 329(क), धारा 329(ख), धारा 328(4), धारा 328(6), धारा 328(7), धारा 328(8), धारा 174, धारा 175, धारा 176 और धारा 177 में से किसी भी धारा के अधीन दबनीय होता ।

239. जो कोई किसी दस्तावेज़ या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को छिपाएगा या नस्त करेगा जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में, जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसकी वैसी हैसियत में विधिपूर्वक की गई है, साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए उसे विधिपूर्वक विवश किया जा सके, या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से, या उस प्रयोजन के लिए उस दस्तावेज़ या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने को उसे विधिपूर्वक समनित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात्, ऐसी संपूर्ण दस्तावेज़ या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को, या उसके किसी भाग को मिटाएगा, या ऐसा बनाएगा, जो पढ़ा न जा सके, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

240. जो कोई किसी दूसरे का मिश्या प्रतिरूपण करेगा और ऐसे थरे हुए रूप में किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करेगा, या दावे की संस्वीकृति करेगा, या कोई आदेशिका निकलवाएगा या जमानतदार या प्रतिभू बनेगा, या कोई भी अन्य कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

241. जो कोई किसी संपत्ति को, या उसमें के किसी हित को इस आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा या किसी व्यक्ति को अंतरित या परिदृत करेगा, कि एतद्वारा वह उस संपत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसे दंडोदेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, सम्पहरण के रूप में या जुर्माने के चुकाने के लिए लिया जाना या ऐसी डिक्टी या आदेश के निष्पादन में, जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल वाद में

न्यायालय द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, तिया जाना निवारित करे, वह दोनों में, से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

242. जो कोई किसी संपत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुए कि ऐसी किसी संपत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा या उस पर दावा करेगा अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में इस आशय से प्रवचना करेगा कि तदद्वारा वह उस संपत्ति या उसमें के हित का ऐसे दंडादेश के अधीन, जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, सम्पहरण के रूप में या जुर्माने के घुकाने के लिए लिया जाना, या ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो, या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल वाद में न्यायालय द्वारा उसका दिया जाना संभाव्य है, तिया जाना निवारित करे, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

243. जो कोई किसी व्यक्ति के बाद में ऐसी राशि के लिए, जो ऐसे व्यक्ति को शोध्य न हो या शोध्य राशि से अधिक हो, या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए, जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार न हो, अपने विरुद्ध कोई डिक्री या आदेश कपटपूर्वक पारित करवाएगा, या पारित किया जाना सहन करेगा अथवा किसी डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् या किसी ऐसी बात के लिए, जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई हो, अपने विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाएगा या किया जाना सहन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

इन्टांत

244. य के विरुद्ध एक बाद क संस्थित करता है। यह यह संभाव्य जानते हुए कि कि उसके विरुद्ध डिक्री अभिप्राप्त कर लेगा, यह के बाद में, जिसका उसके विरुद्ध कोई न्यायसंगत दावा नहीं है, अधिक रकम के लिए अपने विरुद्ध निर्णय किया जाना इसलिए कपटपूर्वक सहन करता है कि यह स्वयं अपने लिए या यह के फायदे के लिए यह की संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय के आगमों का अंश ग्रहण करे, जो क की डिक्री के अधीन किया जाए। यह ने इस धारा के अधीन अपराध किया है।

245. जो कोई कपटपूर्वक या बेड़मानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
246. जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य न हो, या जो शोध्य राशि से अधिक हो, या किसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए, जिसका वह हकदार न हो, डिक्री या आदेश कपटपूर्वक अभिप्राप्त कर लेगा या किसी डिक्री या आदेश को, उसके तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् या ऐसी बात के लिए, जिसके विषय में उस डिक्री या

संपत्ति पर
उसके
सम्पहरण किए
जाने में या
निष्पादन में
अभिगृहीत किए
जाने से
निवारित करने
के लिए
कपटपूर्वक
दावा।

ऐसी राशि के
लिए जो शोध्य
न हो
कपटपूर्वक डिक्री
होने देगा सहन
करना।

बेड़मानी से
न्यायालय में
मिथ्या दावा
करना।

ऐसी राशि के
लिए जो शोध्य
नहीं है कपटपूर्वक
डिक्री अभिप्राप्त
करना।

आदेश की तुष्टि कर दी गई हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाएगा या अपने नाम में कपटपूर्वक ऐसा कोई कार्य किया जाना सहन करेगा या किए जाने की अनुज्ञा देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारबास से जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

क्षति करने के
आशय से
अपराध का
मिथ्या आरोप ।

246. जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विस्त्रित ऐसी 5
कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विस्त्रित कोई दाङिक कार्यवाही संस्थित करेगा या करवाएगा या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है-

(क) वह दोनों में से किसी भाँति के कारबास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या दो लाख रुपए तक के जुमाने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; 10

(ख) ऐसी दाङिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारबास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारबास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारबास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी दंडनीय होगा ।

अपराधी के
संक्षय देना ।

247. जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, 15
जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संक्षय देगा या छिपाएगा-

(क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारबास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी दंडनीय होगा ; 20

(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारबास से, या दस वर्ष तक के कारबास से, दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारबास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी दंडनीय होगा ;

(ग) यदि वह अपराध एक वर्ष तक, न कि दस वर्ष तक के कारबास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भाँति के कारबास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारबास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; 25

स्पष्टीकरण-इस धारा में "अपराध" के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया ऐसा कार्य आता है, जो, यदि भारत में किया जाता हो तो निम्नलिखित धारा, अर्थात् धारा 99(1), 101, 304, 306(2), 306(3), 306(4), 307(2), 307(3), 308, 309, 307(4), 307(5), 323(च), 323(छ), 329(क), 329(ख), 328(4), 328(5), 328(7), 328(8), 174, 175, 176 तथा 177 में से किसी पारा के मध्येन दंडनीय होता और हर एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोगनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति उसे भारत में करने का दोषी या ।

अपवाद-इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिससे अपराधी को 30
संक्षय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा हो ।

इच्छात

क यह जानते हुए कि ख ने डैक्टो की है, ख को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छिपा लेता है। यहां, ख आजीवन कारावास से दंडनीय है, क तीन वर्ष से अनप्रिक अवधि के लिए दोनों में से किसी भाँति के कारावास से दंडनीय है और जुमाने से भी दंडनीय है।

248. जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी संपत्ति का प्रत्यास्थापन, किसी अपराध के छिपाने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली 10 कार्यवाही न करने के लिए, प्रतिफलस्वरूप प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा या प्रतिगृहीत करने के लिए करार करेगा,—

अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना।

(क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुमाने से भी दंडनीय होगा;

11 (ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी दंडनीय होगा;

20 (ग) वह अपराध दस वर्ष से कम तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भाँति के कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन।

249. जो कोई, किसी व्यक्ति को कोई अपराध उस व्यक्ति द्वारा छिपाए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित किए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके 25 विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न की जाने के लिए प्रतिफलस्वरूप कोई परितोषण देगा या दिलाएगा या देने या दिलाने की प्रस्थापना या करार करेगा, या कोई संपत्ति प्रत्यावर्तित करेगा या कराएगा,—

30 (क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी दंडनीय होगा;

(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी दंडनीय होगा;

35 (ग) यदि वह अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भाँति के कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी, या

जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

जोहरी की सपति
इत्यादि के वापस
लेने में सहायता
करने के लिए
उपहार लेना ।

ऐसे अपराधी को
संबंध टैना, जो
जमिरका से
निकल आगा है
या जिसको
पकड़ने का
आदेश दिया जा
पुका है।

250. जो कोई किसी व्यक्ति की किसी ऐसी जंगम संपति के वापस करा लेने में, जिससे इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध द्रवारा वह व्यक्ति वंचित कर दिया गया हो, सहायता करने के बहाने या सहायता करने की बाबत कोई परितोषण लेना या लेने का करार करेगा या लेने को सम्मत होगा, वह, जब तक कि अपनी शक्ति में के सब साधनों को अपराधी को पकड़ने के लिए और अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के लिए उपयोग में न लाए, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

251. जब किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागे, अथवा जब कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए, उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे संशय देगा या छिपाएगा, वह निम्नलिखित प्रकार से दंडित किया जाएगा,—

(क) यदि वह अपराध, जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने के लिए आदेशित है, मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ;

(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या दस वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा :

(ग) यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय हो, जो एक वर्ष तक का, न कि दस वर्ष तक का हो सकता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "अपराध" के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लोप भी आता है, जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दौड़ी होना अभिक्षित हो, जो यदि वह भारत में उसका दौड़ी होता, तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए, वह प्रत्यर्थण से संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में लिरुद्ध 30 किए जाने के दायित्व के अधीन हो, और हर ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोगनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत उसका दौड़ी हुआ था ।

अपवाद—इस धारा का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें संशय देना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्रवारा हो ।

252. जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डूकेती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट या डूकेती कर चुके हैं, उनको या उनमें से किसी को, ऐसी लूट या डूकेती का किया जाना सुकर बनाने के, या उनको या उनमें से किसी को दंड से प्रतिच्रादित करने के आशय से संशय देगा, वह कठिन कारावास से,

नुटोरो या झाकुओं
को संशय टैने के
लिए शक्ति ।

जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तत्वहीन है कि लूट या डंकेसी भारत में करनी आशयित है या की जा चुकी है, या भारत से बाहर।

अपवाद—इस धारा का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें संशय देना, या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा हो।

253. जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के ऐसे किसी निदेश की, जो उस संबंध में हो कि उससे ऐसे लोक सेवक के नाते किस ढंग का आचरण करना चाहिए, जानते हुए अवजा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः तदद्रवारा बचाएगा यह 10 जानते हुए अथवा उतने दंड की अपेक्षा, जिससे वह दंडनीय है, तदद्रवारा कम दंड दिलवाएगा यह संभाव्य जानते हुए अथवा किसी संपत्ति को ऐसे समर्पण या किसी भार से, जिसके लिए वह संपत्ति विधि के द्वारा दायित्व के अधीन है बचाने के आशय से या संभाव्यतः तदद्रवारा बचाएगा यह जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया 15 जाएगा।

254. जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते कोई अभिलेख या अन्य लेख तैयार करने का भार रखते हुए, उस अभिलेख या लेख की इस प्रकार से रचना, जिसे वह जानता है कि अशुद्ध है लोक को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करने के आशय से या संभाव्यतः तदद्रवारा कारित करेगा यह जानते हुए अथवा किसी 20 व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः तदद्रवारा बचाएगा यह जानते हुए अथवा किसी संपत्ति को ऐसे समर्पण या अन्य भार से, जिसके दायित्व के अधीन वह संपत्ति विधि के अनुसार है, बचाने के आशय से या संभाव्यतः तदद्रवारा बचाएगा या जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

255. जो कोई लोक सेवक होते हुए, न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिग्रहण या विनिश्चय, जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता हो, अष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक देगा, या सुनाएगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

256. जो कोई किसी ऐसे पद पर होते हुए, जिससे व्यक्तियों को विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करने का, या व्यक्तियों को परिरोध में रखने का उसे वैध प्राधिकार हो किसी व्यक्ति की उस प्राधिकार के प्रयोग में यह जानते हुए अष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करेगा या परिरोध में रखेगा कि ऐसा करने में वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति के दंड से या किसी संघर्ष के समर्पण से बचाने के आशय में विधि की अवजा।

जिसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समर्पण से बचाने के आशय में लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रफ़ा।

न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट भाँति का लोक सेवक द्वारा अष्टतापूर्वक किया जाना।

प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्द।

पकड़ने के लिए
आबद्ध सेवक तोक
सेवक द्वारा
पकड़ने का
साशय लोप ।

257. कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करेगा या ऐसे परिरोध में से ऐसे व्यक्ति का निकल भागना साशय सहन करेगा या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में साशय मटद करेगा, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा,-

(क) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह जुमाने सहित या रहित दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

(ख) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह जुमाने सहित या रहित दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

(ग) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो पकड़ा जाना चाहिए था वह दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से ।

दंडादेश के
अधीन या
विधिपूर्वक सुपुद्दे
किए गए व्यक्ति
को पकड़ने के
लिए आबद्ध
तोक सेवक
द्वारा पकड़ने का
साशय लोप ।

258. जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दंडादेश के अधीन या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुद्दे किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करेगा, या ऐसे परिरोध में से साशय ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में, या निकल भागने का प्रयत्न करने में साशय मटद करेगा, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह जुमाने सहित या रहित आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि चाँदह वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

(ख) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से, या ऐसे दंडादेश से लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या दस वर्ष की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो, तो वह जुमाने सहित या रहित, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

(ग) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो या यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुद्दे किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से ।

259. जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो अपराध के लिए आरोपित या दोषसिद्ध या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुप्रद किए गए किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नामे वैध रूप से आबद्ध हो, ऐसे व्यक्ति का परिरोध में से निकल आगना उपेक्षा से भहन करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

260. जो कोई किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसका उस पर आरोप हो, या जिसके लिए वह दोषसिद्ध किया गया हो, विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में साशय प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा, या किसी अभिरक्षा से, जिसमें वह किसी ऐसे अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध हो, निकल आगेगा, या निकल आगने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में उपबंधित दंड उस दंड के अतिरिक्त है जिससे वह व्यक्ति, जिसे पकड़ा जाना हो, या अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाना हो, उस अपराध के लिए दंडनीय था, जिसका उस पर आरोप लगाया गया था या जिसके लिए वह दोषसिद्ध किया गया था।

261. जो कोई किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में साशय प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा, या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसी अभिरक्षा से, जिसमें वह व्यक्ति किसी अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध हो, साशय छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा,—

(क) वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;

(ख) यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो, या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप हो या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ;

(ग) यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु-दंड से दंडनीय अपराध का आरोप हो या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो तो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ;

(ঃ) যদি বহু ব্যক্তি, জিসে পকড়া জানা হো যা জো ছুড়ায়া গয়া হো যা জিসকে ছুড়ানে কা প্রযত্ন কিয়া গয়া হো, কিসী ন্যায়ালয় কে দণ্ডাদেশ কে অধীন যা বহু ঐসে দণ্ডাদেশ কে লঘুকরণ কে আধার পর আজীবন কারাবাস যা দস বর্ষ যা উসসে অধিক অবধি কে কারাবাস সে দণ্ডনীয হো, তো বহু দোনো মে সে কিসী ভাঁতি কে কারাবাস সে, জিসকী অবধি সাত বর্ষ তক কী হো সকেগী, দংডিত কিয়া জাএগা ঔর জুর্মানে সে ভী দণ্ডনীয হোগা ;

(ঃ) যদি বহু ব্যক্তি, জিসে পকড়া জানা হো, যা জো ছুড়ায়া গয়া হো যা জিসকে ছুড়ানে কা প্রযত্ন কিয়া গয়া হো, মৃত্যু দণ্ডাদেশ কে অধীন হো, তো বহু আজীবন কারাবাস

लैंक सेवक द्वारा उपेक्षा में परिरोध या अभिरक्षा में से निकल आगना सहन करना ।

किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या आपा ।

किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या आपा ।

से, या दोनों मैं से किसी आंति के कारावास से, इतनी अवधि के लिए जो दस वर्ष से अनपिक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी टंडलीय होगा।

उन दशाओं में,
जिनके लिए
अन्यथा उपबंध
नहीं है, जोक
सेवक दण्डा
पकड़ने का लोप
या निकल
भागना सहन
करना।

अन्यथा
अनुपर्याप्ति
दशाओं में
विधिपूर्वक
पकड़ने में
परिरोध या साथा
या निकल
भागना या
छुड़ाना।

दंड के परिहार
में शर्त का
अतिरिक्तमान।

न्यायिक
कार्यवाही में बैठे
हुए जोक सेवक
का साथा
अपमान या
उसके कार्य में
विचार।

असेसर का
प्रतिरूपण।

262. जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध हो उस व्यक्ति को किसी ऐसी दशा में, जिसके लिए धारा 257, धारा 258 या धारा 259 अथवा किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में कोई उपबंध नहीं है, पकड़ने का लोप करेगा या परिरोध में से निकल भागना सहन करेगा,—

(क) यदि वह ऐसा साशय करेगा, तो वह दोनों मैं से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से; तथा

(ख) यदि वह ऐसा उपेक्षापूर्वक करेगा तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

263. जो कोई स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विधिपूर्वक पकड़े जाने में साशय कोई प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा या किसी अभिरक्षा में से, जिसमें वह विधिपूर्वक निरुद्ध हो, निकल भागने का प्रयत्न करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में से, जिसमें वह व्यक्ति विधिपूर्वक निरुद्ध हो, छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा वह किसी ऐसी दशा में, जिसके लिए धारा 260 या धारा 261 या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में उपबंध नहीं है, दोनों मैं से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

264. जो कोई दंड का सशर्त परिहार प्रतिरूपण कर लेने पर किसी शर्त का जिस पर ऐसा परिहार दिया गया था, जानते हुए अतिक्रमण करेगा, यदि वह उस दंड का, जिसके लिए वह मूलतः दंडादिष्ट किया गया था, कोई भाग पहले ही न भोग चुका हो, तो वह उस दंड से और यदि वह उस दंड का कोई भाग भोग चुका हो, तो वह उस दंड के उलने भाग से, जिसने वह पहले ही भोग चुका हो, दंडित किया जाएगा।

265. जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय, जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशय कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक वह हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

266. जो कोई किसी मामले में प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा, अपने को यह जानते हुए असेसर के रूप में तालिकांकित, पेनलित या गृहीतशपथ साशय कराएगा या होने देना जानते हुए सहन करेगा कि वह इस प्रकार तालिकांकित, पेनलित या गृहीतशपथ विधि के प्रतिकूल हुआ है ऐसे असेसर के रूप में स्वेच्छा सेवा करेगा, वह दोनों मैं से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

267. जो कोई, किसी अपराध से आरोपित किए जाने पर और जमानत पर या अपने बंधुपत्र पर छोड़ दिए जाने पर, जमानत या बंधुपत्र के निवारणों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना (जो साखित करने का भार उस पर होगा) हाजिर होने में असफल रहेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो । सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन दंड—

(क) उस दंड के अतिरिक्त है, जिसके लिए अपराधी उस अपराध के लिए, जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है, दोषसिद्धि पर दायी होता ; और

(ख) न्यायालय की बंधुपत्र के सम्पहरण का आदेश करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है ।

अध्याय 15

लोक स्वास्थ्य, क्षेत्र, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले

अपराधों के विवर में

268. वह व्यक्ति लोक न्यूसेन्स का दोषी है, जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है, जिसमें लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की सम्पत्ति पर अधिभोग रखते हों, कोई सामाज्य क्षति, संकट या क्षीभ कारित हो या जिसमें उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपरोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षीभ कारित होना अवश्यंभावी हो, कोई सामाज्य न्यूसेन्स इस आधार पर नाफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई करित होती है ।

लोक न्यूसेन्स ।

269. जो कोई विधिविरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना समात्य है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना समात्य हो ।

270. जो कोई परिदृष्ट से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि, और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना समात्य है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

परिदृष्टपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना समात्य हो ।

271. जो कोई किसी जलयान को करन्तीन की स्थिति में रखे जाने के, या करन्तीन की स्थिति वाले जलयानों का किनारे से या अन्य जलयानों से समागम विनियमित करने के, या ऐसे स्थानों के, जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम को जानते हुए अवजा करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि उह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

करन्तीन के नियम की अवजा ।

विक्रय के लिए
आशयित खाद्य
या पेय का
अपमिश्चण ।

अपायकर खाद्य
या पेय का
विक्रय ।

ओषधियों का
अपमिश्चण ।

अपमिश्चित
ओषधियों का
विक्रय ।

ओषधि का
सिन्न ओषधि
या निर्मिति के
तौर पर
विक्रय ।

लोक जल-स्रोत
या जलाशय का
जल कलुषित
करना ।

272. जो कोई किसी खाने वा पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह सभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्चित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

273. जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो अपायकर कर दी गई हो, या हो गई हो, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदृश्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

274. जो कोई किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति में अपमिश्चण इस आशय से कि या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह किसी ओषधीय प्रयोजन के लिए ऐसे बेची जाएगी या उपयोग की जाएगी, मानो उसमें ऐसा अपमिश्चण न हुआ हो, ऐसे प्रकार से करेगा कि उस ओषधि या भेषजीय निर्मिति की प्रभावकारिता कम हो जाए, क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

275. जो कोई यह जानते हुए कि किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति में इस प्रकार से अपमिश्चण किया गया है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई या उसकी क्रिया बदल गई है, या वह अपायकर बन गई है, उसे बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदृश्टि करेगा, या किसी ओषधालय से ओषधीय प्रयोजनों के लिए उसे अपमिश्चित के तौर पर देगा या उसका अपमिश्चित होना न जानने वाले व्यक्ति द्वारा ओषधीय प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

276. जो कोई किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को, मिल्ल ओषधि या भेषजीय निर्मिति के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदृश्टि करेगा या ओषधीय प्रयोजनों के लिए ओषधालय से देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

277. जो कोई किसी लोक जल-स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार झेप्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह मानूली तौर पर उपयोग से आता हो, कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

278. जो कोई किसी स्थान के बायुमण्डल को स्वेच्छया इस प्रकार दृष्टि करेगा कि वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए, जो पड़ोस में निवास या कारबार करते हों, या लोक मार्ग से आते जाते हों अपायकर बन जाए, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।
279. जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हाँकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाल्य हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
280. जो कोई किसी जलवान को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से चलाएगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाल्य हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
281. जो कोई किसी भास्तक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन इस आशय से, या यह सम्भाल्य जानते हुए करेगा, कि ऐसा प्रदर्शन किसी नौपरिवाहक को मार्ग छाप्ट कर देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात बर्ष तक की हो सकेगी, और ऐसा जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा ।
282. जो कोई किसी व्यक्ति को किसी जलयान में जलमार्ग से, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक आड़े पर तब प्रवहण करेगा, या काराएगा जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो जिससे उस व्यक्ति का जीवन संकटापन्न हो सकता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
283. जो कोई किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की, या अपने भारसाधन के अधीन किसी सम्पत्ति की व्यवस्था करने का लोप करने द्वारा, किसी लोकमार्ग या नौपरिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षति कारित करेगा वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।
284. जो कोई किसी विशेष पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, या जिससे किसी व्यक्ति को, उपहति या क्षति कारित होना सम्भाल्य हो । या अपने कब्जे में के किसी विशेष पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जो ऐसे विशेष पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाल्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
285. जो कोई अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाल्य हो अथवा अपने कब्जे में की अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जो ऐसी अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ से

वायुमण्डल के स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना ।

लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना ।

जलयान का उतावलेपन से चलाना ।

भास्तक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन ।

अधारकर या भाँति लदे हुए जलयान में आड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण ।

लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा ।

विशेष पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण ।

अग्नि या ज्वलनशील कदमों से बचाना में असफल आचरण ।

मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुमाने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

विस्फोटक पदार्थ
के बारे में
उपेक्षापूर्ण
आचरण ।

286. जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ से, कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से ५ करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, अथवा अपने कब्जे में की किसी विस्फोटक पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जैसी ऐसे पदार्थ से मानव जीवन को अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाने से, जो पांच हजार १० रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

मशीनरी के
सम्बन्ध में
उपेक्षापूर्ण
आचरण ।

287. जो कोई किसी मशीनरी से, कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, अथवा अपने कब्जे में की या अपनी देखरेख के अधीन की किसी मशीनरी की ऐसी व्यवस्था करने का जो, ऐसी मशीनरी से मानव जीवन को किसी १५ अभिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

किसी निर्माण
को गिराने या
उसकी नरमत
करने के सबै
में उपेक्षापूर्ण
आचरण ।

288. जो कोई किसी निर्माण को गिराने या उसकी नरमत करने में उस निर्माण के ऐसे उपाय करने का, जो उस निर्माण के या उसके किसी भाग के गिराने से मानव जीवन को २५ किसी अभिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

जीवजन्तु के
संबंध में
उपेक्षापूर्ण
आचरण ।

289. जो कोई अपने कब्जे में के किसी जीवजन्तु के संबंध में ऐसे उपाय करने का, २५ जो ऐसे जीवजन्तु से मानव जीवन को किसी अभिसम्भाव्य संकट या धोर उपहति के किसी अभिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

अन्यथा
अनुपर्याप्त
नामबो में लोक
न्यूसेन्स के लिए
दण्ड ।

290. जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेन्स करेगा जो इस संहिता द्वारा ३० अन्यथा दण्डनीय नहीं है, वह जुमाने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

न्यूसेन्स बन्द
करने के व्याटेश
के पश्चात्
उसका चालू
रखना ।

291. जो कोई किसी लोक भेत्रक द्वारा, जिसको किसी न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिए व्याटेश प्रचालित करने का प्राधिकार हो, ऐसे व्यादिष्ट किए जाने पर, किसी लोक न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति करेगा, या उसे चालू रखेगा, वह सादा कारावास ३५ से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाने से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

292. (1) उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु (जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक प्रूफ में किसी अंतर्वस्तु का प्रदर्शन भी है) को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कानूनोदीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकार है या उसका या (जहाँ उसमें दो या अधिक सुशिल्प मट्टे समाविष्ट हैं वहाँ)
- 5 उसकी किसी मट का प्रभाव, समग्र रूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा कष्ट बनाए जिसके द्वारा उसमें अन्तर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए सम्भाल्य है।

(2) जो कोई—

- 10 (क) किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे कुछ भी हो, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा, या उसको किसी भी प्रकार परिचालित करेगा, या उसे विक्रय, भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रखेगा, उत्पादित करेगा, या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा
- 15 (ख) किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात या प्रवहण पूर्वान्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए करेगा या यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोक प्रदर्शित या, किसी प्रकार से परिचालित की जाएगी, अथवा
- 20 (ग) किसी ऐसे कारबाहर में भाग लेगा या उससे लाभ प्राप्त करेगा, जिस कारबाहर में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु पूर्वान्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए रखी जाती, उत्पादित की जाती, क्रय की जाती, रखी जाती, आयात की जाती, निर्यात की जाती, प्रवहण की जाती, लोक प्रदर्शित की जाती या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती हैं, अथवा
- 25 (घ) यह विजापित करेगा या किन्हीं साधनों द्वारा वे चाहे कुछ भी हों यह जात कराएगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में, जो इस धारा के अधीन अपराध है, लगा हुआ है, या लगने के लिए तैयार है, या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, अथवा
- 30 (इ) किसी ऐसे कार्य को, जो इस धारा के अधीन अपराध है, करने की प्रस्थापना करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारबास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारबास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डित किया जाएगा।

अपवाद—इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा,—

- 35 (क) किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति—

अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि।

(i) जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित समिति हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या सर्वजन सम्बन्धी अन्य उदादेश्यों के हित में है, अथवा

(ii) जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती है;

(ख) किसी ऐसे रूपण जो,—

(i) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर या उसमें, अथवा

(ii) किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के प्रवहण के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर,

ताक्षित, उत्कीर्ण, रंगचित्रित या अन्यथा रूपित हो।

बालक को
अश्लील वस्तुओं
का विज्ञान,
आदि।

293. जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अश्लील वस्तु, जो अंतिम पूर्वगामी धारा 292 में निर्दिष्ट है, बेचेगा, आड़े पर टेगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसा करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करेगा प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा दिवातीय या पश्चात्यर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

अश्लील कार्य
और गाने।

294. जो कोई,—

(क) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, अथवा

(ख) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवांडे या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

लाटरी कार्यालय
रखना।

295. (1) जो कोई ऐसी कोई लाटरी, जो न तो राज्य लाटरी हो और न तत्संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी हो, निकालने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय या स्थान रखेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा;

(2) जो कोई ऐसी लाटरी में किसी टिकट, लाट, संख्यांक या आकृति को निकालने से संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिति पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी राशि को देने की, या किसी माल के परिदान को, या किसी बात को करने की, या किसी बात से प्रविरत रहने की कोई प्रस्थापना प्रकाशित करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच

1958 का 24

15

20

25

30

35

धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में

296. जो कोई किसी उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानवास्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तदद्वारा अपमान किए जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

297. जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासी का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

298. जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जनाव में स्वेच्छया विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

299. जो कोई किसी उपासना स्थान में, या किसी कबिस्तान पर या अन्तर्येष्टि क्रियाओं के लिए या भूतकारों के अवशेषों के लिए निषेप स्थान के रूप में पृथक् रखे गए किसी स्थान में अलिधार या किसी मानव शब्द की अवहेलना या अन्तर्येष्टि संस्कारों के लिए एकवित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित, इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तदद्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

300. जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी अवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी हण्ठिगोचरता में कोई अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु रखेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना।

विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासी का अपमान करके उसकी परिमित भवनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों।

धार्मिक जनता में विघ्न करना।

विक्रिमतानी आदि में अलिधार करना।

धार्मिक भावनाओं वरे ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से, शब्द उच्चारित करना आदि।

अध्याय 17

सम्पति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

चौरी ।

301. (1) जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम सम्पति बैंडमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह सम्पति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चौरी करता है, यह कहा जाता है । ५

स्पष्टीकरण 1—जब तक कोई वस्तु भूवद्ध रहती है, जंगम सम्पति न होने से चौरी का विषय नहीं होती ; किन्तु यद्यों ही वह भूमि से पृथक् की जाती है वह चौरी का विषय होने योग्य हो जाती है ।

स्पष्टीकरण 2—हटाना, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चौरी हो सकेगा । १०

स्पष्टीकरण 3—कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक् करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है ।

स्पष्टीकरण 4—वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीवजन्तु का हटाना कारित करता है, उस जीवजन्तु को हटाता है, यह कहा जाता है ; और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणामस्वरूप उस जीवजन्तु द्वारा हटाई जाती है । १५

स्पष्टीकरण 5—इस धारा में वर्णित संपति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है । २०

इकांत

(क) य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से एक वृक्ष बैंडमानी से लेने के आशय से य की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को क काट डालता है । यहां, यद्योहि क ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक् किया, उसने चौरी की ।

(ख) क अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललघाने वाली वस्तु रखता है, और इस प्रकार य के कुत्तों को अपने पीछे छलने के लिए उत्प्रेरित करता है । यहां, यदि क का आशय य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से उस कुत्ते को बैंडमानी से लेना हो, तो यद्योहि य के कुत्ते ने क के पीछे छलना आरंभ किया, क ने चौरी की । २५

(ग) नूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल क को मिलता है । वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हांकता है कि वे नूल्यवान वस्तुएं बैंडमानी से ले सके । यद्योहि उस बैल ने गतिमान होना प्रारम्भ किया, क ने नूल्यवान वस्तुएं चौरी की । ३०

(घ) क, जो य का सेवक है और जिसे य ने अपनी प्लेट की देखरेख न्यस्त कर दी है, य की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बैंडमानी से छाग गया । क ने चौरी की ।

(ङ) य यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लैटकर आने तक, क को, जो एक आण्डागारिक है, न्यस्त कर देता है । क उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और ३५

वह प्लेट बैच देता है। यहां वह प्लेट य के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह य के कब्जे में से नहीं ली जा सकती थी और क ने चोरी नहीं की है। यहां उसने आपराधिक न्यासभंग किया हो।

- (च) जिस गृह पर य का अधिकार है उसके मेज पर य की अंगूठी को मिलती है।
 ५ यहां, वह अंगूठी य के कब्जे में है, और यदि क उसको बैईमानी से हटाता है, तो वह चोरी करता है।

(छ) क को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है, जो किसी व्यक्तित्व के कब्जे में नहीं है। क ने उसके ले लेने से चोरी नहीं की है, अले ही उसने संपत्ति का आपराधिक दुर्विजियोग किया हो।

- १० (ज) य के घर मैं मेज पर पड़ी हुई य की अंगूठी का देखता है। तलाशी और पता लगाने के भय से उस अंगूठी का तुरंत दुर्विजियोग करने का साहस न करते हुए क उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर, जहां से उसका य को कभी भी मिलना अंति अनाधिसमझाव्य है, इस आशय से छिपा देता है कि छिपाने के स्थान से उसे उस समय ले ले और बैच दे जबकि उसका खोया जाना याद न रहे। यहां, क ने उस अंगूठी को प्रथम बार हटाते समय चोरी की है।

- (झ) य को, जो एक जौहरी है, क अपनी घड़ी समय ठोक करने के लिए परिदृष्ट करता है। य उसको अपनी दुकान पर ले जाता है। क, जिस पर उस जौहरी का, कोई ऐसा झण नहीं है, जिसके लिए कि वह जौहरी उस घड़ी को प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रोक सके, खुले तौर पर उस दुकान में घुसता है, य के हाथ से अपनी घड़ी बलपूर्वक ले लेता है, और २० उसको ले जाता है। यहां क ने अले ही आपराधिक अतिचार और हमला किया हो, उसने चोरी नहीं की है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया बैईमानी से नहीं किया।

- (झ) यदि उस घड़ी की मरम्मत के संबंध में य को क से धन शोध्य है, और यदि य उस घड़ी को उस झण की प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रखे रखता है और क उस घड़ी को य के कब्जे में से इस आशय से ले लेता है कि य को उसके झण की प्रतिभूति रूप उस २५ संपत्ति से बचित कर दे तो उसने चोरी की है क्योंकि वह उसे बैईमानी से लेता है।

- (ट) और यदि क अपनी घड़ी य के पास पण्यम करने के बाद घड़ी के बदले लिए गए झण को चुकाए बिना उसे य के कब्जे में से य की सम्मति के बिना ले लेता है, तो उसने चोरी की है, यद्यपि वह पड़ी उसकी अपनी ही संपत्ति है, क्योंकि वह उसको बैईमानी से लेता है।

- ३० (ठ) क एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से जब तक कि उसके प्रत्यार्वतन के लिए पुरस्कार के रूप में उसे य से धन अभिप्राप्त न हो जाए, य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से लेता है। यहां क बैईमानी से लेता है, इसलिए, क ने चोरी की।

- (ड) क, जो य का मित्र है, य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में जाता है, और य की अभिट्यकृत सम्मति के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के लिए और वापस करने के ३५ आशय से ले जाता है। यहां यह अधिसमझाव्य है कि क ने यह विचार किया हो कि पुस्तक उपयोग में लाने के लिए उसको य की विवशित सम्मति प्राप्त है, यदि क का यह विचार था,

तो क ने चोरी नहीं की है।

(ठ) य की पत्ती से क खेरात भागता है। वह क को धन, भोजन और कपड़े देती है जिनको क जानता है कि वे उसके पति य के हैं। यहां, यह अधिसंभाव्य है कि क का यह विचार हो कि य की पत्ती को जिला देने का प्राप्तिकार है। यदि क का यह विचार था, तो क ने चोरी नहीं की है।

(ण) क, य की पत्ती क जार है। वह क को एक मूल्यवान संपति देती है जिसके संबंध में क यह जानता है कि वह उसके पति य की है, और वह ऐसी संपति है, जिसको देने का प्राप्तिकार उसे य से प्राप्त नहीं है। यदि क उस संपति को बेईमानी से लेता है, तो वह चोरी करता है।

(त) य की संपति को अपनी स्वयं की संपति होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए 10 यह के कब्जे में से उस संपति को क ले लेता है। यहां क बेईमानी से नहीं लेता, इसलिए वह चोरी नहीं करता।

(2) जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोषसिद्धी के मामले में उसे ऐसे कठोर 15 कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

परन्तु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गँड़ी संपति का मूल्य पांच हजार रुपए से कम है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोषसिद्धि किया गया है, चोरी की गँड़ी संपति के वापस करने पर या संपति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे समुदायिक सेवा से दंडित किया 20 जाएगा।

झपटमारी।

302. (1) चोरी "झपटमारी" यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी जगत् संपति को जब्त या सुरक्षित या छीन लेता है।

(2) जो कोई झपटमारी करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी 25 अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

निवास-गृह,
यातायात के
साधन या पूजा
स्थल आदि में
चोरी।

303. जो कोई,—

(क) ऐसे किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में चोरी करेगा, जो निर्माण, तम्बू या जलयान नानव निवास के रूप में, या संपति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो ; या

(ख) ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी करेगा, जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया होता है ; या

(ग) ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करेगा, जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया होता है ; या

(घ) किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करेगा ; या

36

35

(ङ) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारण की किसी संपत्ति की ओरी करेगा,

वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की ही सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

304. जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक की हसियत में नियोजित होते हुए, अपने मालिक या नियोक्ता के कद्दे की किसी संपत्ति की ओरी करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की ही सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

305. जो कोई ओरी करने के लिए, या ओरी करने के पश्चात् निकल भागने के लिए, या ओरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखे रखने के लिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उसे उपहति या उसका अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का, उपहति का या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके ओरी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की ही सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कद्दे में संपत्ति की ओरी ।

ओरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् ओरी ।

इष्टांत

(क) य के कद्दे में की संपत्ति पर क ओरी करता है और यह ओरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्टौल रखता है, जिसे उसने य द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में य को उपहति करने के लिए अपने पास रखा था । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।

(ख) क, य की जेब काटता है, और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है कि यदि य यह समझ जाए कि क्या हो रहा है और प्रतिरोध करे, य को पकड़ने का प्रयत्न करे, तो वे य का अवरोध करे । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।

उदाधारन के विषय में

306. (1) जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है, और तदद्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई धीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदृत करने के लिए बेहुमानी से उत्प्रेरित करता है, वह "उदाधारन" करता है ।

उदाधारन ।

(क) क यह धमकी देता है कि यदि य ने उसको धन नहीं दिया, तो वह य के बारे में मानहानिकारक अपगानलेख प्रकाशित करेगा । अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार य को उत्प्रेरित करता है । क ने उदाधारन किया है ।

(ख) क, य को यह धमकी देता है कि यदि वह क को कुछ धन देने के संबंध में अपने आपको आबद्ध करने वाला एक वचनपत्र हस्ताक्षरित करके क को परिदृत नहीं कर देता, तो वह य के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा । य वचनपत्र हस्ताक्षरित करके परिदृत कर देता है । क ने उदाधारन किया है ।

(ग) क यह धमकी देता है कि यदि य, ख को कुछ उपज परिदृत कराने के लिए

शास्त्रियुक्त बधापत्र हस्ताक्षरित नहीं कोरा और ख को न देगा, तो वह य के खेत को जौत डालने के लिए लैंट भैज देगा और तट्टवारा व को वह बधापत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और परिदृश्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। क ने उद्दापन किया है।

(घ) क, य को घोर उपहति करने के अय में डालकर बैईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे क को परिदृश्य कर दे। य उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे क को परिदृश्य कर देता है यहां, इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए क ने उद्दापन किया है।

(ङ) क य को किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से माध्यम से यह संदेश भेजकर धमकी देता है कि "तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और उसे मार दिया जाएगा यदि तुम मुझे एक लाख १० रुपए नहीं देते हो" क इस प्रकार य को उसे पैसे देने के लिए उत्प्रेरित करता है। क ने उद्दापन किया है।

(2) जो कोई उद्दापन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(3) जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के अय में डालेगा या अय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(4) जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के अय में डालकर उद्दापन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(5) जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के अय में डालकर उद्दापन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(6) जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को, स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का अय दिखलाएगा या यह अय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(7) जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के अय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय है, अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्दापन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

लूट और डैकैती के विषय में

307. (1) सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है।

मृट ।

(2) चोरी "लूट" है, यदि उस चोरी को करने के लिए, या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उपहति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता या कारित करने का प्रयत्न करता है।

(3) उद्दापन "लूट" है, यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है, और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्दापन करता है और इस प्रकार भय में डालकर इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहाँ ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है।

स्पष्टीकरण—अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के, या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए 15 पर्याप्त रूप से निकट हो।

हृष्टांत

(क) क, य को दबोच लेता है, और य के कपड़े में से य का धन और आभूषण य की सम्पत्ति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। यहाँ, क ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छया य का सदोष अवरोध कारित करता है। इसलिए क ने लूट की है।

20 (ख) क, य को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और य की थैली मांगता है। परिणामस्वरूप य अपनी थैली दे देता है। यहाँ क ने य को तत्काल उपहति का भय दिखलाकर थैली उद्दापित की है और उद्दापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है। अतः क ने लूट की है।

(ग) क राजमार्ग पर य और य के शिशु से मिलता है। क उस शिशु को पकड़ लेता है 25 और यह धमकी देता है कि यदि य उसको अपनी थैली नहीं परिदत्त कर देता, तो वह उस शिशु को कगार से जीघे पेंक देगा। परिणामस्वरूप य अपनी थैली परिदत्त कर देता है। यहाँ क ने य को यह भय कारित करके कि वह उस शिशु को, जो वहाँ उपस्थित है, तत्काल उपहति करेगा, य से उसकी थैली उद्दापित की है। इसलिए क ने य को लूटा है।

(घ) क, य से यह कह कर, सम्पत्ति अभिप्राप्त करता है कि "तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास दस हजार रुपया नहीं भेज दोगे, तो वह नार डाला जाएगा।" यह उद्दापन है, और इसी रूप में दण्डनीय है; किन्तु यह लूट नहीं है, जब तक कि य को उसके शिशु की तत्काल मृत्यु के भय में न डाला जाए।

(2) जो कोई लूट करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा, और यदि लूट राजमार्ग पर 35 सूर्योस्त और सूर्योदय के बीच की जाए, तो कारावास घौंदह वर्ष तक का हो सकेगा।

(3) जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छुया उपहति कारित करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में, या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर सम्मुक्त होगा, वह आजीवन कारावास] से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

डैकेती ।

308. (1) जबकि पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या जहां कि वे व्यक्ति, जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर पांच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह "डैकेती" करता है ।

(2) जो कोई डैकेती करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

(3) यदि ऐसे पांच या अधिक व्यक्तियों में से, जो संयुक्त होकर डैकेती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डैकेती करने में हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मृत्यु से, या आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष 15 तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

(4) जो कोई डैकेती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

(5) जो कोई डैकेती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

(6) जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो, अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से महयुक्त हों और वह टोली ठगों या डाकुओं की टोली न हो, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी 25 दण्डनीय होगा ।

मृत्यु या धौर
उपहति कारित
करने के प्रयत्न
के साथ लूट या
डैकेती ।

प्रश्नक अव्युध से
सञ्जित होकर लूट
या डैकेती करने
का प्रयत्न ।

चोरों की टोली
का होने के तिर
दण्ड ।

309. यदि लूट या डैकेती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा, या किसी व्यक्ति को धौर उपहति कारित करेगा, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे धौर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा ।

310. यदि लूट या डैकेती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सञ्जित होगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा ।

311. जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो, अभ्यासतः चोरी या लूट करने से सहयुक्त हों और वह टोली ठगों या डाकुओं की टोली न हो, वह कठिन कारावास से, जिसकी 35 अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

सम्पति के अपराधिक दुर्विनियोग के विषय में

312. जो कोई बैंडमानी से किसी जगम सम्पति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी आंति के कारबास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती, या जुनाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

सम्पति
बैंडमानी
दुर्विनियोग।

५

इष्टांत

(क) क, य की सम्पति को उस समय जब कि क उस सम्पति को लेता है, यह विश्वास रखते हुए कि वह सम्पति उसी की है, य के कब्जे में से सद्भावपूर्वक लेता है। क, घोरी का दोषी नहीं है। किन्तु यदि क अपनी भूल मालूम होने के पश्चात् उस सम्पति का बैंडमानी से अपने लिए विनियोग कर लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

(ख) क, जो य का नित्र है, य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में जाता है और य की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक ले जाता है। यहां यदि, क का यह विचार या कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की उसको य की विवक्षित सम्मति प्राप्त है, तो क ने घोरी नहीं की है। किन्तु यदि क बाद में उस पुस्तक को अपने फायदे के लिए बेच १५ देता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

(ग) क और य एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। क उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से ख के कब्जे में से उसे ले जाता है। यहां, क को उस घोड़े को उपयोग में लाने का अधिकार है, इसलिए वह उसका बैंडमानी से दुर्विनियोग नहीं है। किन्तु यदि क उस घोड़े को बेच देता है, और सम्पूर्ण आवास का अपने लिए विनियोग कर लेता है तो वह इस धारा के २० अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण 1—केवल कुछ समय के लिए बैंडमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है।

इष्टांत

क को य का एक सरकारी वयनपत्र मिलता है, जिस पर निरंक पृष्ठांकन है। क, यह जानते हुए कि वह वयनपत्र य का है, उसे व्यवहार के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंककार के पास इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह अविष्य जैसे उसे य को प्रत्यावर्तित कर देगा। क ने इस धारा के अधीन अपराध किया है।

स्पष्टीकरण 2—जिस व्यक्ति को ऐसी सम्पति पड़ी मिल जाती है, जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी सम्पति को लेता है, वह न तो बैंडमानी से उसे लेता है और न बैंडमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, और किसी अपराध का दोषी नहीं है, किन्तु वह ऊपर परिभ्रष्ट अपराध का दोषी है, यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने के साधन रखते हुए अथवा उसके स्वामी को खोज निकालने और सूचना देने के युक्तियुक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी माल करने को समर्थ करने के लिए उस सम्पति की युक्तियुक्त समय तक रखे रखने के पूर्व उसको अपने लिए विनियोजित कर लेता है।

ऐसी दशा में युक्तियुक्त साधन क्या है, या युक्तियुक्त समय क्या है, यह तथ्य का प्रश्न है।

यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि सम्पत्ति का स्वामी कौन है या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी अपनी सम्पत्ति है, या सद्भावपूर्वक वह विश्वास है कि उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता।

इष्टांत

(क) क को राजमार्ग पर एक रुपया पड़ा मिलता है। यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है, क उस रुपए को उठा लेता है। यहां क ने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया है।

(ख) क को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है, जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए लिंगेश और विश्व-वस्तु से उसे जात हो जाता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट का विनियोग कर लेता है। वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

(ग) बाहक-दैय एक चेक क को पड़ा मिलता है। वह उस व्यक्ति के संबंध में जिसका चेक खोया है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता, किन्तु उस चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है, जिसने वह चेक लिखा है। क यह जानता है कि वह व्यक्ति क को उस व्यक्ति का पता बता सकता है जिसके पक्ष में वह चेक लिखा गया था, क उसके स्वामी को खोजने का प्रयत्न किए बिना उस चेक का विनियोग कर लेता है। वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

(घ) क देखता है कि य की ईंटी, जिसमें धन है, य से गिर गई है। क वह ईंटी य को प्रत्यादर्तित करने के आशय से उठा लेता है। किन्तु तत्पश्चात् उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। क ने इस धारा के अधीन अपराध किया है।

(ङ) क को एक ईंटी, जिसमें धन है, पड़ी मिलती है। वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। उसके पश्चात् उसे यह पता चल जाता है कि वह य की है, और वह उसे अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

(च) क को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है। वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरन्त बेच देता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

ऐसी सम्पत्ति का बैंगनी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, और तब में किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बैंगनी से दुर्विनियोजित करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 30 तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि वह अपराधी, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था, तो कारावास सात वर्ष तक का हो सकेगा।

इष्टांत

य के कब्जे में फर्जीचर और धन था। वह मर जाता है। उसका सेवक क, उस धन के 35 किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व, जो ऐसे कब्जे का हकदार है बैंगनी से उसका दुर्विनियोग करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

आपराधिक न्यासभंग के विषय में

आपराधिक
न्यासभंग ।

314. जो कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति पर काँड़ भी अखल्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस सम्पत्ति का बैंडमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित 5 करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बैंडमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह "आपराधिक न्यास भंग" करता है।

स्पष्टीकरण 1—जो व्यक्ति, किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, वह स्थापन 1952 का 19 10 कर्मचारी अविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित अविष्य-निधि या कुटुंब पैशान निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी-अभिदाय की कटौती कर्मचारी को संदेश मजदूरी में से करता है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किए गए अभिदाय की रकम उसे न्यस्त कर दी गई है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय का 15 संदाय करने में, उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वकत विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बैंडमानी से उपयोग किया है।

स्पष्टीकरण 2—जो व्यक्ति, नियोजक होते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य 1948 का 34 बीमा निगम निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को संदेश मजदूरी में से कर्मचारी-अभिदाय की कटौती करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे अभिदाय की वह रकम न्यस्त कर दी गई है, जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय के संदाय करने में, उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके, व्यतिक्रम करता है, तो 15 उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वकत विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बैंडमानी से उपयोग किया है।

इकाई

(क) क एक मृत व्यक्ति की विल का निष्पादक होते हुए उस विधि की, जो चौजबस्त को विल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निदेश देती है, बैंडमानी से अवज्ञा करता है, और उस चौजबस्त को अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

(ख) क भांडागारिक है। य याच को जाने हुए अपना फर्नीचर क के पास उस संविदा के अधीन न्यस्त कर जाता है कि वह भांडागार के कमरे के लिए ठहराई गई राशि के दो दिए जाने पर लौटा दिया जाएगा। क उस माल को बैंडमानी से बेच देता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

35* (ग) क, जो कलकता में निवास करता है, य का, जो दिल्ली में निवास करता है अभिकर्ता है। क और य के बीच यह अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा है कि य द्वारा क को प्रेषित सब राशियां क द्वारा य के निदेश के अनुसार विनिहित की जाएंगी। य, क को इन निदेशों के साथ एक लाख रुपए भेजता है कि उसको कंपनी पत्रों में विनिहित किया जाए।

क उन निदेशों की बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस धन को अपने कारबार के उपयोग में ले आता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

(घ) किंतु यदि पिछले इष्टांत में क बेईमानी से नहीं प्रत्युत सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि बैंक आफ बंगाल में अश धारण करना य के लिए अधिक फायदाप्रद होगा, य के निदेशों की अवज्ञा करता है, और कंपनी पत्र खरीदने के बजाय य के लिए बैंक आफ बंगाल के मश खरीदता है, तो यद्यपि य को हानि हो जाए और उस हानि के कारण, वह क के विरुद्ध सिविल कार्यवाही करने का हकदार हो, तथापि, यह क ने, बेईमानी से कार्य नहीं किया है, उसने आपराधिक न्यासभंग नहीं किया है।

(ङ) एक राजस्व आफिसर, क के पास लोक धन न्यस्त किया गया है और वह उस सब धन को, जो उसके पास न्यस्त किया गया है, एक निश्चित खजाने में जमा कर देने के 10 लिए या तो विधि द्वारा निर्देशित है या सरकार के साथ अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा द्वारा आवद्ध है। क उस धन को बेईमानी से विनियोजित कर लेता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

(च) भूमि से या जल से ले जाने के लिए य ने क के पास, जो एक वाहक है, संपत्ति न्यस्त की है। क उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। क ने आपराधिक 15 न्यासभंग किया है।

(2) जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(3) जो कोई वाहक, घाटवाल, या आडागारिक के रूप में अपने पास संपत्ति न्यस्त किए 20 जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(4) जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति, या संपत्ति पर कोई भी अखल्यार अपने में न्यस्त होते हुए, उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(5) जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारबार के अनुकूल में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अखल्यार अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में

315. (1) वह संपत्ति, जिसका कद्दा चौरी द्वारा, या उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा या 25 छल द्वारा अंतरित किया गया है, और वह संपत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है, चुराई हुई "संपत्ति" कहलाती है, याहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो

या बाहर। किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है, जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती।

(2) जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बैंडमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(3) जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बैंडमानी से प्राप्त करेगा या रखेंगा, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डैकेटी द्वारा अंतरित की गई है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बैंडमानी से प्राप्त करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

(4) जो कोई ऐसी संपत्ति, जिसके संबंध में वह यह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासतः प्राप्त करेगा, या अभ्यासतः उसमें व्यवहार करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(5) जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में, या व्ययनित करने में, या इधर-उधर करने में स्वेच्छाया सहायता करेगा, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

छन्न के विषय में

316. (1) जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बैंडमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदृष्ट कर दे, या यह सम्भवति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे, जिसे वह यदि उसे हर प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, लघाति संबंधी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी सम्भाव्य है, वह "छन्न" करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण—तथ्यों का बैंडमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है।

इष्टांत

(क) क सिविल सेवा में होने का मिश्या अपदेश करके साशय य से प्रवंचना करता है, और इस प्रकार बैंडमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उपार पर माल ले लेने दे, जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है। क छल करता है।

(ख) क एक वस्तु पर कूटकूत विहन बनाकर य से साशय प्रवंचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध विनिर्भाता द्वारा बनाई गई है, और इस

प्रकार उस वस्तु का क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क छल करता है।

(ग) क, य को किसी वस्तु का, नकली सेम्प्ल दिखलाकर य से साशय प्रवंचना करके उसे यह विश्वास करता है कि वह वस्तु उस सेम्प्ल के अनुरूप है, और तदद्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क छल करता है। 5

(घ) क विसी वस्तु का मूल्य देने से ऐसी कोई पर हुंडी करके, जहाँ क का कोई धन जमा नहीं है, और जिसके द्वारा क को हुंडी का अनादर किए जाने की प्रत्याशा है, आशय से य की प्रवंचना करता है, और तदद्वारा बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह वस्तु परिदत्त कर दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका आशय नहीं है। क छल करता है। 10

(ङ) क ऐसे नगों को, जिनको तह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरों के रूप में गिरवी रखकर य से साशय प्रवंचना करता है, और तदद्वारा धन उधार देने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क छल करता है।

(च) क साशय प्रवंचना करके य को यह विश्वास करता है कि क को जो धन य उधार देगा उसे वह चुका देगा, और तदद्वारा बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे धन 15 उधार दे, दे, जबकि क का आशय उस धन को चुकाने का नहीं है। क छल करता है।

(जु) क, य से साशय प्रवंचना करके यह विश्वास दिलाता है कि क का इरादा य को नील के पौधों का एक निश्चित परिमाण परिदत्त करने का है, जिसको परिदत्त करने का उसका आशय नहीं है, और तदद्वारा ऐसे परिदान के विश्वास पर अग्रिम धन देने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क छल करता है। यदि क धन अभिप्राप्त करते समय 20 नील परिदत्त करने का आशय रखता हो, और उसके पश्चात् अपनी संविदा भंग कर दे और वह उसे परिदत्त न करे, तो वह छल नहीं करता है, किन्तु संविदा भंग करने के लिए केवल सिविल कार्यवाही के दायित्व के अधीन है।

(ज) क साशय प्रवंचना करके य को यह विश्वास दिलाता है कि क ने य के साथ की गई संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है, जब कि उसका पालन उसने नहीं किया है, 25 और तदद्वारा य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह धन दे। क छल करता है।

(झ) क, य को एक संपदा बेघता है और हस्तांतरित करता है। क यह जानते हुए कि ऐसे विक्रय के परिणामस्वरूप उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है, य को किए गए पूर्व विक्रय और हस्तांतरण के तथ्य को प्रकट न करते हुए उसे य के हाथ ढेच देता है या बंधक रख देता है, और य से विक्रय या बंधक धन प्राप्त कर लेता है। क छल करता है। 30

(2) जो कोई छल करेगा, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(3) जो कोई इस जान के साथ छल करेगा कि यह सम्भाव्य है कि वह तदद्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए, जिसका हित उस संव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है, संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा, या वैध संविदा द्वारा, आबद्ध था, वह दोनों 35 में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(4) जो कोई छल करेगा, और तदद्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है,

बेंगमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपति किसी व्यक्ति को परिदूत कर दे, या किसी भी मूल्यवाल व्यक्ति को, या किसी दोनों को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रिकित है, और जो मूल्यवाल व्यक्ति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी टंडलीय होगा।

317. (1) कोई व्यक्ति "प्रतिरूपण द्वारा छल करता है", यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है।

इष्टांत
स्पष्टीकरण—यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है, वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक।

(क) क उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है इस अपदेश द्वारा छल करता है। क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है।

(ख) छ, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, होने का अपदेश करने द्वारा क छल करता है। क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है।

(2) जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

कपटपूर्ण विलेखों और संपति व्यवहारों के विषय में

318. जो कोई किसी सपति का अपने लेनदारी या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारी के बीच विधि के अनुसार वितरित किया जाना तद्दवारा निवारित करने के आशय से, या तद्दवारा सम्भाव्यतः निवारित करेगा यह जानते हुए उस सपति को बेंगमानी से या कपटपूर्वक अपसारित करेगा या छिपाएगा या किसी व्यक्ति को परिदूत करेगा या पर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी व्यक्ति को अंतरित करेगा या कराएगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

319. जो कोई किसी ऋण का या मांग का, जो स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को शोध्य हो, अपने या ऐसे अन्य व्यक्ति के ऋणों को चुकाने के लिए विधि के अनुसार उपलब्ध होना कपटपूर्वक या बेंगमानी से निवारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

320. जो कोई किसी ऋण का या मांग का, जो स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को शोध्य हो, अपने या ऐसे अन्य व्यक्ति के ऋणों को चुकाने के लिए विधि के अनुसार उपलब्ध होना कपटपूर्वक या बेंगमानी से निवारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित

प्रतिरूपण द्वारा छल।

लेनदारी में वितरण निवारित करने के लिए संपति का बेंगमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना।

ऋण के लेनदारी के लिए उपलब्ध होने से बेंगमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना।

ऋण की लेनदारी के लिए अपलब्ध होने से बेंगमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना।

किया जाएगा ।

सम्पति का
बेईमानी से या
कपटपूर्वक
अपशारण या
छिपावा जाना ।

321. जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी सम्पति को छिपाएगा या अपसारित करेगा, या उसके छिपाए जाने में या अपसारित किए जाने में बेईमानी से या कपटपूर्वक सहायता करेगा, या बेईमानी से किसी ऐसी मांग या दावे को, जिसका वह हकदार है, छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के काशावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

रिष्ट के विषय में

रिष्ट ।

322. (1) जो कोई इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि, वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी सम्पति का नाश या किसी सम्पति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह "रिष्ट" करता है ।

स्पष्टीकरण 1—रिष्ट के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट सम्पति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे । यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह सम्भाव्य जानता है कि वह किसी सम्पति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, घाहे वह सम्पति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे ।

स्पष्टीकरण 2—ऐसी सम्पति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्रवारा, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो, या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्ट की जा सकेगी ।

इष्टांत

(क) य की सदोष हानि कारित करने के आशय से य की मूल्यवान प्रतिभूति को क्षेत्रिक या जला देता है । क ने रिष्ट की है ।

(ख) य की सदोष हानि करने के आशय से, उसके बफ़-घर में क पानी छोड़ देता है, और इस प्रकार बफ़ को गला देता है । क ने रिष्ट की है ।

(ग) क इस आशय से य की अंगूठी नदी में स्वेच्छया फैला देता है कि य को तदद्रवारा सदोष हानि कारित करे । क ने रिष्ट की है ।

(घ) क यह जानते हुए कि उसकी चीज़-बस्त उस झूण की तुष्टि के लिए जो य को उस द्रवारा शोध्य है, निष्पादन में लौ जाने वाली है, उस चीज़-बस्त को इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके झूण की तुष्टि अभिप्राप्त करने में य को निवारित कर दे और इस प्रकार य को नुकसान कारित करे । क ने रिष्ट की है ।

(ङ) क एक पोत का बीमा करने के पश्चात् उसे इस आशय से कि बीमा करने वाली को नुकसान कारित करे, उसको स्वेच्छया संत्यक्त करा देता है । क ने रिष्ट की है ।

(च) य को, जिसने बाटनरी पर धन उधार दिया है, नुकसान कारित करने के आशय से क उस पोत को संत्यक्त करा देता है । क ने रिष्ट की है ।

(छ) य के साथ एक घोड़े में संयुक्त रूपति रखते हुए य को सदोष हानि करित करने के आशय से क उस घोड़े को गोती मार देता है । क ने रिष्ट की है ।

- (ज) क इस आशय से और यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह य की फसल को नुकसान कारित करे, य के खेत मैं दोरी का प्रवेश कारित कर देता है, क ने रिष्ट की है।
- (2) जो कोई रिष्ट करेगा, वह दोनों मैं से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
- 5 (3) जो कोई रिष्ट करेगा और तदद्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि या क्षति कारित करेगा वह दोनों मैं से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
- 10 (4) जो कोई रिष्ट करेगा और तदद्वारा बीस हजार रुपए से अधिक किन्तु एक लाख रुपए के अनधिक रकम, रिष्ट की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों मैं से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
- 15 (5) जो कोई रिष्ट करेगा और तदद्वारा एक लाख रुपए या उससे अधिक रकम की रिष्ट की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों मैं से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
- 20 (6) जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की अथवा मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का अथ कारित करने की, तैयारी करके रिष्ट करेगा, वह दोनों मैं से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
- 25 323. जो कोई दस रुपए या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीवजन्तु या जीवजन्तुओं को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्ट करेगा, वह दोनों मैं से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
- 30 324. जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्ट करेगा,—
- (क) जिससे कृषिक प्रयोजनों के लिए, या मानव प्राणियों के या उन जीवजन्तुओं के, जो सम्पत्ति हैं, खाने या पीने के, या सफाई के या किसी विनिर्माण को घलाने के जलप्रदाय मैं कभी कारित होती हो या कभी कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो वह दोनों मैं से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा;
- (ख) जिससे किसी लोक सङ्क, पुल, नदी या प्राकृतिक या कृषिम नाव्य जलसरणी को याचा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों मैं से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा;
- 35 (ग) जिससे किसी लोक जलनिकास मैं क्षतिप्रद या नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित हो जाए, या होना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों मैं से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा;

जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्ट।

भाँति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक गदाय द्वारा रिष्ट।

(घ) जिससे किसी दीपगृह को, या समुद्री-चिह्न के रूप में उपयोग में आने वाले अन्य प्रकाश के, या किसी समुद्री-चिह्न या बोया या अव्य चीज के, जो नौ-चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शन के लिए रखी गई हो, नष्ट करने या, हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे कोई ऐसा दीपगृह, समुद्री-चिह्न, बोया या पूर्वोक्त डैसी अन्य चीज नौ-चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शक के रूप में कभी उपयोगी बन जाए, वह ५ दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(ङ) जिससे लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिह्न ऐसे भूमि चिह्न के रूप में कभी उपयोगी बन जाए, वह दोनों में से किसी भाँति १० के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(च) जिससे किसी सम्पत्ति को, एक सी रूपए या उससे अधिक का या (जहां कि सम्पत्ति कृषि उपज हो, वहां) दस रूपए या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तदद्वारा ऐसा नुकसान अग्नि या १५ किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(छ) जिससे किसी ऐसे निर्माण का, जो मामूली तौर पर उपासना स्थान के रूप में या मानव-विकास के रूप में या संपत्ति की अविरक्ता के स्थान के रूप में उपयोग में २० आता हो, नाश कारित करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तदद्वारा उसका नाश अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित हो, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

325. (1) जो कोई किसी रेल, वायुयान, तेलवायुक्त जलयान या बीस टन या उससे २५ अधिक बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बना देने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तदद्वारा उसे नष्ट करेगा, या सापद बना देगा, उस रेल, वायुयान, या जलयान की रिष्ट करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा ऐसी रिष्ट करेगा, या करने का प्रयत्न करेगा, जैसी उपधारा (1) में वर्णित है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ३० और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

326. जो कोई किसी जलयान को यह आशय रखते हुए कि वह उसमें अंतर्विष्ट किसी संपत्ति की ओरी करे या बेर्इमाली से ऐसी किसी संपत्ति का दुर्विनियोग करे, या इस आशय से ३५ कि ऐसी ओरी या संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाए, साशय भूमि पर छढ़ा देगा या किनारे से लगा देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

रेल, वायुयान, तेलवायुक्त या बीस टन वोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बना देने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तदद्वारा उसे नष्ट करेगा, या सापद बना देगा, उस रेल, वायुयान, या जलयान की रिष्ट करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर छढ़ा देने के लिए दंड ।

आपराधिक अतिथार के विषय में

327. (1) जो कोई ऐसी संपति में या ऐसी संपति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है, कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपति है ; अभिरक्षा, अपमानित या क्षुद्रध करे, अथवा ऐसी संपति में या ऐसी संपति पर, विधिपूर्वक प्रवेश करके वह विधिविरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तदद्रवारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा, अपमानित या क्षुद्रध करे या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे, वह "आपराधिक अतिथार" करता है, यह कहा जाता है ।

(2) जो कोई किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में, जो मानव-निवास के रूप में उपयोग में आता है, या किसी निर्माण में, जो उपासना-स्थान के रूप में, या किसी संपति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रह कर, आपराधिक अतिथार करता है, वह "गृह-अतिथार" करता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण—आपराधिक अतिथार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह-अतिथार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है ।

(3) जो कोई आपराधिक अतिथार करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(4) जो कोई गृह-अतिथार करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

328. (1) जो कोई यह पूर्ववधानी बरतने के पश्चात् गृह-अतिथार करता है कि ऐसे गृह-अतिथार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तम्बू या जलयान में से, जो अतिथार का विषय है, अतिथारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह "प्रचञ्चन गृह-अतिथार" करता है, वह कहा जाता है ।

(2) जो व्यक्ति गृह-अतिथार करता है, वह "गृह-मैदान" करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में एतस्मिन्पश्चात् वर्णित छह तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है अथवा यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए, या वहां अपराध कर पुक्कने पर, उस गृह से या उसके किसी भाग से ऐसे निम्नलिखित तरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है, अर्थात् :-

(क) यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, जो स्वयं उसने या उस गृह-अतिथार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह-अतिथार करने के लिए बनाया है ;

(ख) यदि वह किसी ऐसे रास्ते से, जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आशयित नहीं है, या किसी ऐसे रास्ते से, जिस तक कि वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा या अन्यथा चढ़कर पहुंचा है, प्रवेश करता है या बाहर निकलता है ;

(ग) यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह-अतिथार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह-अतिथार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है, जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस गृह के

आपराधिक
अतिथार और
गृह अतिथार ।

गृह-अतिथार
और गृह-
मैदान ।

अधिभोगी द्वारा आशयित नहीं या :

(घ) यदि उस गृह-अतिचार को करने के लिए, या गृह-अतिचार के पश्चात् उस गृह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता या बाहर निकलता है :

(ङ) यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला ८ करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है ;

(च) यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद किया हुआ है और अपने द्वारा या उस गृह-अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है ।

स्पष्टीकरण—जोई उपगृह या निर्माण जो किसी गृह के साथ-साथ अधिभोग में है, और १० जिसके और ऐसे गृह के बीच आने जाने का अव्यवहित भौतिक रास्ता है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस गृह का भाग है ।

इष्टांत

(क) य के गृह की दीवार में छेद करके और उस छेद से अपना हाथ डालकर क गृह- १५ अतिचार करता है । यह गृह-भेदन है ।

(ख) क तल्ली के बीच की बारी में से रेंग कर एक पोत में प्रवेश करने द्वारा गृह-अतिचार करता है । यह गृह-भेदन है ।

(ग) य के गृह में एक छिड़की से प्रवेश करने द्वारा क गृह-अतिचार करता है । यह गृह-भेदन है ।

(घ) एक बंद द्वार को खोलकर य के गृह में उस द्वार से प्रवेश करने द्वारा क गृह- २० अतिचार करता है । यह गृह-भेदन है ।

(ङ) य के गृह में द्वार के छेद में से तार डालकर सिटकनी को ऊपर उठाकर उस द्वार में प्रवेश करने द्वारा क गृह-अतिचार करता है । यह गृह-भेदन है ।

(च) क को य के गृह के द्वार की चाबी मिल जाती है, जो य से खो गई थी, और वह उस चाबी से द्वार खोल कर य के गृह में प्रवेश करने द्वारा गृह-अतिचार करता है । यह २५ गृह-भेदन है ।

(छ) य अपनी इयोही में खड़ा है । य को धबके से गिराकर क उस गृह में बलात् प्रवेश करने द्वारा गृह-अतिचार करता है । यह गृह-भेदन है ।

(ज) य, जो म का दरबान है, म की इयोही में खड़ा है । य को मारने की धमकी देकर क उसको विरोध करने से भयोपरत करके उस गृह में प्रवेश करने द्वारा गृह-अतिचार करता ३० है । यह गृह-भेदन है ।

गृह-अतिचार या
गृह-भेदन के
लिए दण ।

329. (1) जो कोई प्रचलन गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई सूर्योस्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा, ३५ वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी,

दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(3) जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रचल्न गृह-अतिचार का गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध, 5 जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी ।

(4) जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए सूर्योस्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की भी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी ।

(5) जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, 10 या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके, प्रचल्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(6) जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या सूर्योस्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह-भेदन करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के, 20 भय में डालने की तैयारी करके, रात्रि प्रचल्न गृह-अतिचार या रात्रि गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(7) जो कोई प्रचल्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(8) यदि रात्रि प्रचल्न गृह-अतिचार या रात्रि गृह-भेदन सूर्योस्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वैच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करेगा या मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, 30 तो ऐसे रात्रि प्रचल्न गृह-अतिचार या रात्रि गृह-भेदन सूर्योस्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व करने में संयुक्ततः सम्पूर्ण हर व्यक्ति, आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

330. जो कोई कोई ऐसा अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करेगा-

(क) जो मृत्यु से दंडनीय है, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, 35 जिसकी अवधि दस वर्ष से भिन्न नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ;

अपराध करने के लिए गृह-अतिचार ।

(ख) जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(ग) जो कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

परन्तु यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी।

उपहति, हमला
या सदोष
अवरोध की
तैयारी के प्रथम
गृह-अतिथाप।

ऐसे पात्र को,
जिसमें संपत्ति है,
बैंडमानी से
तोड़कर
खोलना।

331. जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, 10 या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में छालने की तैयारी करके गृह-अतिथार करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

332. (1) जो कोई किसी ऐसे बंद पात्र को, जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, बैंडमानी से या रिष्टि करने के आशय से तोड़कर खोलेगा या उपबंधित 15 करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई ऐसा बंद पात्र, जिसमें संपत्ति हो, या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, अपने पास न्यस्त किए जाने पर उसको खोलने का प्रायिकार न रखते हुए, बैंडमानी से या रिष्टि करने के आशय से, उस पात्र को तोड़कर खोलेगा या उपबंधित करेगा, वह दोनों में 20 से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

आध्याय 18

दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में

निष्या दस्तावेज
रचना।

333. उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति निष्या दस्तावेज या 25 निष्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रचता है,—

(क) जो बैंडमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से—

(i) किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है;

(ii) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के 30 भाग को रचित या पारेशित करता है;

(iii) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई इलैक्ट्रानिक चिह्नक लगाता है;

(iv) किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या इलैक्ट्रानिक चिह्नक की अधिग्रामणिकता का द्र्योतन करने वाला कोई चिह्न लगाता है,

कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलैक्ट्रानिक 35

अभिलेख या इलैक्ट्रानिक चिह्नक की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्राकल, निष्पादन, पारेषण या लगाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्राकल या निष्पादन, लगाए जाने या पारेषण न होने की बात वह जानता है ; या

(ख) जो किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के किसी तात्त्विक भाग में परिवर्तन, उसके द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या हैं ऐसा व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन के समय जैवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रघित या निष्पादित किए जाने या इलैक्ट्रानिक चिह्न लगाए जाने के पश्चात, उसे रद्द करके या अन्यथा, विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना, बैंडमानी से या कपटपूर्वक करता है ; अथवा

(ग) जो किसी व्यक्ति द्वारा, वह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की विषय-वस्तु को या परिवर्तन के रूप को, विकृतयित या मतता की हालत होने के कारण जान नहीं सकता था या उस प्रवचना के कारण, जो उससे की गई है, जानता नहीं है, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को बैंडमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर अपने इलैक्ट्रानिक चिह्नक लगाया जाना कारित करता है ।

इष्टात

(क) क के पास य द्वारा ख पर लिखा हुआ 10,000 रुपए का एक प्रत्यय पत्र है । ख से कपट करने के लिए क 10,000 में एक शून्य बढ़ा देता है और उस राशि को 1,00,000 रुपए इस आशय से बना देता है कि ख यह विश्वास कर ले कि य ने वह पत्र ऐसा ही लिखा था । क ने कूटरचना की है ।

(ख) क इस आशय से कि वह य की सम्पदा ख को बैच दे और उसके द्वारा ख से क्रय धन अभिप्राप्त कर ले, य के प्राधिकार के बिना य की मुद्रा एक ऐसी दस्तावेज पर लगाता है, जो कि य की ओर से क की सम्पदा का हस्तान्तर-पत्र होना तात्पर्यित है । क ने कूटरचना की है ।

(ग) एक बैंकर पर लिखे हुए और वाहक को देय चेक को क उठा लेता है । चेक ख द्वारा हस्ताक्षरित है, किन्तु उस चेक में कोई राशि अंकित नहीं है । क 10,000 रुपए की राशि अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता है । क कूटरचना करता है ।

(घ) क अपने अभिकर्ता ख के पास एक बैंकर पर लिखा हुआ, क द्वारा हस्ताक्षरित चेक, देय धनराशि अंकित किए बिना छोड़ देता है । ख को क इस बात के लिए प्राधिकृत कर देता है कि वह कुछ संदाय करने के लिए चेक में ऐसी धनराशि, जो दस हजार रुपए से अधिक न हो अंकित करके चेक भर ले । ख कपटपूर्वक चेक में बीस हजार रुपए अंकित करके उसे भर लेता है । ख कूटरचना करता है ।

(ङ) क, ख के प्राधिकार के बिना ख के नाम मैं अपने ऊपर एक विनिमयपत्र इस आशय से लिखता है कि वह एक बैंकर से असली विनिमयपत्र की झाँति बट्टा देकर उसे भुना ले, और उस विनिमयपत्र को उसकी परिपक्षता पर ले ले, यहां क इस आशय से उस विनिमयपत्र को लिखता है कि प्रवचना करके बैंकर को यह अनुमान करा दे कि उसे ख की प्रतिश्रूति प्राप्त है, और इसलिए वह उस विनिमयपत्र को बट्टा लेकर शुना दे । क कूटरचना

का दोषी है।

(व) ये विल में ये शब्द अन्तर्विष्ट हैं कि "मैं निर्देश देता हूँ कि मेरी समस्त शेष सम्पति क, ख और ग मेरे बराबर बांट दी जाए"। क बैंडमानी से ख का नाम आशय से खुरच डालता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि समस्त सम्पति उसके स्वयं के लिए और ग के लिए ही छोड़ी गई थी। ख ने कूटरचना की है।

(छ) क एक सरकारी वयनपत्र को पृष्ठांकित करता है और उस पर शब्द "य को या उसके आदेशानुसार दे दो" लिखकर और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करके उसे य को या उसके आदेशानुसार देय कर देता है। ख बैंडमानी से "य को या उसके आदेशानुसार दे दो" इन शब्दों को छीलकर मिटा डालता है, और इस प्रकार उस विशेष पृष्ठांकन को एक निरंक पृष्ठांकन में परिवर्तित कर देता है। ख कूटरचना करता है।

(ज) क एक सम्पदा य को बेच देता है और उसका हस्तान्तर-पत्र लिख देता है। उसके पश्चात् क, य को कपट करके सम्पदा से बंचित करने के लिए उसी सम्पदा को एक हस्तान्तर-पत्र जिस पर य के हस्तान्तर-पत्र की तारीख से छह मास पूर्व की तारीख पड़ी हुई है, ख के नाम इस आशय से निष्पादित कर देता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि उसने अपनी सम्पदा य को हस्तान्तरित करने से पूर्व ख को हस्तान्तरित कर दी थी। क ने कूटरचना की है।

(झ) य अपनी विल क से लिखावाता है। क साशय एक ऐसे वसीयतदार का नाम लिख देता है, जो कि उस वसीयतदार से भिन्न है, जिसका नाम य ने कहा है, और य को यह व्यपदिष्ट करके कि उसने विल उसके अनुदेशों के अनुसार ही तैयार की है, य को विल पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित करता है। क ने कूटरचना की है।

(ञ) क एक पत्र लिखता है और ख के प्राधिकार के बिना, इस आशय से कि उस पत्र के द्वारा य से और अन्य व्यक्तियों से भिन्ना अभिप्राप्त करे, ख के नाम के हस्ताक्षर यह प्रमाणित करते हुए कर देता है कि क अच्छे शील का व्यक्ति है और अनवैद्वित दुर्भाग्य के कारण दीन अवस्था में है। यहां क, ने य को सम्पति, अलग करने के लिए उत्प्रेरित करने की मिथ्या दस्तावेज रखी है, इसलिए क ने कूटरचना की है।

(ट) ख के प्राधिकार के बिना क इस आशय से कि उसके द्वारा य के अधीन नौकरी अभिप्राप्त करे, क के शील को प्रमाणित करते हुए एक पत्र लिखता है, और उसे ख के नाम से हस्ताक्षरित करता है। क ने कूटरचना की है क्योंकि उसका आशय कूटरचित प्रमाणपत्र द्वारा य को परंचित करने का और ऐसा करके य की सेवा की अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा में प्रविष्ट होने के लिए उत्प्रेरित करने का था।

स्पष्टीकरण 1—किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूटरचना की कोटि में आ सकेगा।

इन्टांल

(क) क एक विनिमयपत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमयपत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। क ने कूटरचना की है।

(ख) क एक कागज के टुकड़े पर शब्द "प्रतिगृहीत किया" लिखता है और उस पर य के नाम के हस्ताक्षर इसलिए करता है कि ख बाद में इस कागज पर एक विनिमयपत्र, जो ख ने य के ऊपर किया है, लिखे और उस विनिमयपत्र का इस प्रकार परकामण करे, मानो वह य के द्वारा प्रतिगृहीत कर लिया गया था। क कूटरचना का दोषी है, तथा यदि ख इस तथ्य को जानते हुए क के आशय के अनुसरण में, उस कागज पर विनिमयपत्र लिख देता है, तो ख भी कूटरचना का दोषी है।

(ग) क अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार देय विनिमयपत्र पड़ा पाता है। क उसे उठा लाता है और यह विश्वास करने के आशय से स्वयं अपने नाम पृष्ठांकित करता है कि इस विनिमयपत्र पर पृष्ठांकन उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके आदेशानुसार वह देय है। यहां, क ने कूटरचना की है।

(घ) क, ख के विरुद्ध एक डिक्टी के निष्पादन में बेची गई सम्पदा को खरीदता है। ख सम्पदा के अभिगृहीत किए जाने के पश्चात् य के साथ दुर्सन्धि करके क को कपटवंचित करने और यह विश्वास करने के आशय से कि वह पट्टा अभिग्रहण से पूर्व निष्पादित किया गया था, नाममात्र के भाटक पर और एक लम्बी कालावधि के लिए य के नाम उस सम्पदा का पट्टा कर देता है और पट्टे पर अभिग्रहण से छह मास पूर्व की तारीख डाल देता है। ख यद्यपि पट्टे का निष्पादन स्वयं अपने नाम से करता है, तथापि उस पर पूर्व की तारीख डालकर वह कूटरचना करता है।

(ङ) क एक व्यापारी अपने दिवाले का पूर्वानुमान करके अपनी चौजवस्तु ख के पास के कायदे के लिए और अपने लेनदारों को कपटवंचित करने के आशय से रख देता है, और प्राप्त मूल्य के बदले में, ख को एक धनराशि देने के लिए अपने को आबद्ध करते हुए, एक वचनपत्र उस संव्यवहार की सम्पाद्य की रंगत देने के लिए लिख देता है, और इस आशय से कि यह विश्वास कर लिया जाए कि यह वचनपत्र उसने उस समय से पूर्व ही लिखा था जब उसका दिवाला निकलने वाला था, उस पर पहले की तारीख डाल देता है। क ने परिभाषा के प्रथम शीर्षक के अधीन कूटरचना की है।

स्पष्टीकरण 2—कोइ मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गई थी, या किसी मृत व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में रची गई थी, कूटरचना की कोटि में आ सकेगा।

50

हस्तांत

क एक कल्पित व्यक्ति के नाम कोइ विनिमयपत्र लिखता है, और उसका परकामण करने के आशय से उस विनिमयपत्र को ऐसे कल्पित व्यक्ति के नाम से कपटपूर्वक प्रतिगृहीत कर लेता है। क कूटरचना करता है।

स्पष्टीकरण 3—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "इलैक्ट्रॉनिक घिन्नक लगाने" पद का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में है।

कूटरचना ।

334. (1) जो कोई, किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूटरचना करता है ।

(2) जो कोई कूटरचना करेगा, वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(3) जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से 10 किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

(4) जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह सम्बाद्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों में से 15 किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

न्यायालय के अभिलेख की गोपनीय रजिस्टर आदि की कूटरचना ।

335. जो कोई ऐसे दस्तावेज की या ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी जिसका कि किसी न्यायालय का या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना, या सरकार द्वारा जारी किसी पहचान दस्तावेज, जिसके अंतर्गत पहचान पत्र या आधार कार्ड भी है, या जन्म, बपतिस्मा, 20 विवाह या अन्तर्येष्टि का रजिस्टर, या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाम रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी प्रमाणपत्र की या ऐसी दस्तावेज की जिसके बारे में यह तात्पर्यित हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रखी गई है, या जो किसी वाद को संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने का, उसमें कोई कार्यवाही करने का, या दावा संस्वीकृत कर लेने का, प्राधिकार हो या कोई नुक्तारनामा हो, कूटरचना करेगा, 25 वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “रजिस्टर” के अंतर्गत मूचना पौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में परिभ्राषित इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई कोई सूची, आदा या किसी प्रविष्टि का अभिलेख भी है ।

2000 का 21 अप्रैल

30

मूल्यवान प्रतिभूति, विवर, इन्वादि की कूटरचना ।

336. जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या वित्त या पुत्र के दत्तकर्यहण का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण का, या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, जंगम सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदृत करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिए जाने की 35 अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारणपत्र या रसीद होना, या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिटान के लिए निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूटरचना करेगा वह

आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा ।

5 337. जो कोई, किसी दस्तावेज़ या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को उसे कूटरचित जानते हुए और यह आशय रखते हुए कि वह कपटपूर्वक या बैंमानी से असली रूप में उपयोग में लाया जाएगा, अपने कब्जे में रखेगा, यदि वह दस्तावेज़ या इलैक्ट्रानिक अभिलेख इस संहिता की धारा 335 में वर्णित भाँति का हो तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा, तथा यदि वह दस्तावेज़ धारा 336 में वर्णित भाँति की हो तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा ।

10 338. (1) वह मिथ्या दस्तावेज़ या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जो पूर्णतः या भागतः कूटरचना द्वारा रखी गई है, "कूटरचित दस्तावेज़ या इलैक्ट्रानिक अभिलेख" कहलाती है ।

15 (2) जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज़ या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित दस्तावेज़ या इलैक्ट्रानिक अभिलेख है, कपटपूर्वक या बैंमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसी दस्तावेज़ या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की कूटरचना की हो ।

20 339. (1) जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकृति तैयार करेगा कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो इस संहिता की धारा 336 के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से, किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा ।

25 (2) जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकृति करेगा, कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो धारा 336 से भिन्न इस अध्याय की किसी धारा के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा ।

30 (3) जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा ।

35 (4) जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए या उसके बारे में ऐसा विश्वास रखने के कारण कपटपूर्वक या बैंमानी से इसे असली के रूप में उपयोग करता है, उसी रीति में दण्डनीय होगा, जैसे यदि उसने इस प्रकार की मुद्रा, पट्टी या अन्य

धारा 335 या 335 में वर्णित दस्तावेज़ को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाया जा आशय रखते हुए, कब्जे में रखना ।

कूटरचित दस्तावेज़ या इलैक्ट्रानिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना ।

धारा 336 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना ।

उपकरण का निर्माण या उसे कूटकृत किया हो ।

धारा 336 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के सिए उपयोग में जाई जाने वाली अभिलक्षण या चिह्न की कूटकृति बनाएगा या कूटकृत पदार्थ को कब्जे में रखेगा ।

340. (1) जो कोई किसी पदार्थ के ऊपर, या उसके उपादान में, किसी ऐसी अभिलक्षण या चिह्न की, जिसे इस संहिता की धारा 336 में वर्णित किसी दस्तावेज के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए, उपयोग में लाया जाता हो, कूटकृति यह आशय रखते हुए बनाएगा कि ऐसी अभिलक्षण या ऐसे चिह्न की, ऐसे पदार्थ पर उस समय कूटरचित की जा रही या ६ उसके पश्चात् कूटरचित की जाने वाली किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाएगा या जो ऐसे आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे में रखेगा, जिस पर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षण को या ऐसे चिह्न की कूटकृति बनाई गई हो, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी १० दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई किसी पदार्थ के ऊपर, या उसके उपादान में, किसी ऐसी अभिलक्षण या चिह्न की, जिसे इस संहिता की धारा 336 में वर्णित दस्तावेज से शिल्प किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए, उपयोग में लाया जाता हो, कूटकृति यह आशय रखते हुए बनाएगा कि वह ऐसी अभिलक्षण या ऐसे चिह्न को, ऐसे १५ पदार्थ पर उस समय कूटरचित की जा रही या उसके पश्चात् कूटरचित की जाने वाली किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाएगा या जो ऐसे आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे में रखेगा, जिस पर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षण या ऐसे चिह्न की कूटकृति बनाई गई हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने २० से भी दण्डनीय होगा ।

किस, दातकयहण
प्राधिकार-पत्र या
मूल्यवान
प्रतिभूति को
कपटपूर्वक रद्द,
नष्ट, अदि
करना ।

लेखा का
मिश्याकरण ।

341. जो कोई कपटपूर्वक या बेंमानी से, या लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से, किसी ऐसी दस्तावेज को, जो विल या पुत्र के दातकयहण करने का प्राधिकार-पत्र या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, या होना तात्पर्यित हो, रद्द, नष्ट या विरुपित करेगा या रद्द, नष्ट या विरुपित करने का प्रयत्न करेगा, या छिपाने २५ का प्रयत्न करेगा या ऐसी दस्तावेज के विषय में रिष्ट करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

342. जो कोई, लिपिक, आफिसर या सेवक होते हुए, या लिपिक, आफिसर या सेवक के नाते नियोजित होते या कार्य करते हुए, किसी पुस्तक, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज, लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को जो उसके नियोजक का हो या उसके नियोजक के कब्जे में हो या जिसे उसने नियोजक के सिए या उसका और से प्राप्त किया हो, जानबूझकर और कपट करने के आशय से नष्ट, परिवर्तित, विकृत या मिश्याकृत करेगा अथवा किसी ऐसी पुस्तक, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज, लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा में जानबूझकर और कपट करने के आशय से कोई मिश्या प्रविष्ट करेगा या करने के सिए दुष्प्रेरण करेगा, ३० या उसमें से या उसमें किसी तात्त्विक विशिष्ट का लोप या परिवर्तन करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन किसी आरोप में, किसी विशिष्ट व्यक्ति का, जिससे

कपट करना आशयित था, नाम बताए बिना या किसी विशिष्ट घनराशि का, जिसके विषय में कपट किया जाना आशयित था या किसी विशिष्ट दिन का, जिस दिन अपराध किया गया था, विनिर्देश किए बिना, कपट करने के सापारण आशय का अधिकथल पर्याप्त होगा ।

संपत्ति चिह्नों के विषय में

5 343. (1) वह चिह्न, जो यह द्रृयोतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि जंगम संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, सम्पत्ति चिह्न कहा जाता है । सम्पत्ति-चिह्न ।

10 15 (2) जो कोई किसी जंगम सम्पत्ति या माल को या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिसमें जंगम सम्पत्ति या माल रखा है, ऐसी रीति से चिह्नित करता है या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिस पर कोई चिह्न है, ऐसी रीति से उपयोग में लाता है, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकलिप्त है कि उससे यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार चिह्नित सम्पत्ति या माल, या इस प्रकार चिह्नित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई सम्पत्ति या माल, ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न का उपयोग करता है, यह कहा जाता है ।

20 25 (3) जो कोई किसी मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न का उपयोग करेगा, जब तक कि वह यह साधित न कर दे कि उसने कपट करने के आशय के बिना कार्य किया है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

30 35 344. जो कोई किसी सम्पत्ति-चिह्न को, यह आशय रखते हुए, या यह सम्बाद्य जानते हुए कि वह तदद्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करे, किसी सम्पत्ति-चिह्न को अपसारित करेगा, नष्ट करेगा, विरुपित करेगा या उसमें कुछ जोड़ेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को विरुद्धता ।

सम्पत्ति-चिह्न का वृत्तकरण ।

(1) जो कोई किसी सम्पत्ति-चिह्न का, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता है, कूटकरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

30 35 (2) जो कोई किसी सम्पत्ति-चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता है कि कोई सम्पत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या किसी विशिष्ट समय या स्थान पर विनिर्मित की गई है, या यह कि वह सम्पत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी की है या किसी विशिष्ट कार्यालय में से परित हो चुकी है, या यह कि किसी छूट की हकदार है, कूटकरण करेगा, या किसी ऐसे चिह्न को उसे कूटकृत जानते हुए असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर करना ।

35 346. जो कोई सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के प्रयोजन से कोई डाई, पट्टी या अन्य उपकरण बनाएगा या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा यह द्रृयोतन करने के प्रयोजन से कि कोई माल ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, किसी सम्पत्ति-चिह्न को अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

कूटकृत सम्पत्ति-
चिह्न से
चिह्नित माल
का विकल्प ।

347. जो कोई किसी माल या वीजों को, स्वयं उन पर या किसी ऐसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र पर, जिसमें ऐसा माल रखा हो, कोई कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न लगा हुआ या छपा हुआ होते हुए, बेचेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, जब तक कि वह यह साधित न कर दे कि-

(क) इस धारा के विरुद्ध अपराध न करने की सब युक्तियुक्त पूर्वावधानी बरतते हुए, चिह्न के असलीपन के सम्बन्ध में संदेह करने के लिए उसके पास कोई कारण अधिकथित अपराध करते समय नहीं था, तथा ५

(ख) अभियोजक द्वारा या उसकी ओर से मांग किए जाने पर, उसने उन व्यक्तियों के विषय में, जिनसे उसने ऐसा माल या वीजें अभिप्राप्त की थीं, वह सब जानकारी दे दी थी, जो उसकी शक्ति में थी, अथवा १०

(ग) अन्यथा उसने निर्दिष्टापूर्वक कार्य किया था,

वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

किसी ऐसे पात्र
के ऊपर मिथ्या
चिह्न बनाना
जिसमें माल
रखा है ।

348. (1) जो कोई किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर, जिसमें माल रखा हुआ हो, ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिह्न बनाएगा, जो इससिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे किसी लोक सेवक को या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास कारित हो जाए कि ऐसे पात्र में ऐसा माल है, जो उसमें नहीं है, या यह कि उसमें ऐसा माल नहीं है, जो उसमें है, या यह कि ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति या बवालिटी का है जो उसकी वास्तविक प्रकृति या बवालिटी से भिन्न है, जब तक कि वह यह साधित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । २०

(2) उपधारा (1) के द्वारा प्रतिविधि किसी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिह्न का उपयोग करेगा, जब तक कि वह यह साधित न कर दे कि उसने यह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध किया हो । २५

अध्याय 19

आपराधिक अभिजास, अपमान और क्षोभ के विषय में

आपराधिक
अभिजास ।

349. (1) जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, छायाति या सम्पत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या छायाति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितवद्धि हो कोई क्षति करने की घमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संवास कारित किया जाए, या उससे ऐसी घमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आवद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभिजास करता है । ३०

स्पष्टीकरण—किसी ऐसे मृत व्यक्ति की छायाति को क्षति करने की घमकी जिससे वह

व्यक्ति, जिसे धमकी दी गई है, हिनबद्ध हो, इस धारा के अन्तर्गत आता है।

ट्रांस

सिविल बाद घलाने से उपरत रहने के लिए ख को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से ख के पर को जलाने की धमकी क देता है। क आपराधिक अभिजास का दोषी है।

5 (2) जो कोई आपराधिक अभिजास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

10 (3) जो कोई मृत्यु या धोर उपहति कारित करने की, या अब्जिन द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतित्य का लांछन लगाने की हो के द्वारा आपराधिक अभिजास का अपराध करेगा; तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित जाएगा।

15 (4) जो कोई अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का, जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास-स्थान छिपाने की पूर्वावधानी करके आपराधिक अभिजास का अपराध करेगा, वह उपराधा (1) द्वारा उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

20 350. जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमालित करेगा और तटद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाल्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

लोकशान्ति भंग करने की प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमालन।

लोक रिप्रेकारक रक्तरथ।

351. (1) जो कोई किसी कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट की-

25 (क) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाल्य हो कि, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेनाल का कोई आफिसर, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक विद्वाह करे या अन्यथा वह अपने उस नाते, अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे, अथवा

30 (ख) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाल्य हो कि, लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक-प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, अथवा

35 (ग) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाल्य हो कि, उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीप्त किया जाए,

रथेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अन्तर्विष्ट करने वाले किसी कथन या

रिपोर्ट को, इस आशय से कि, या जिससे यह समाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, आपा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर गैदा या संप्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(3) जो कोई उपराध (2) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, वह कारावास से, जो पाच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

अपराध—ऐसा कोई कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती, जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसा कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है और वह उसे सदभावपूर्वक तथा पूर्वानुमान से किसी आशय के बिना रखता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है।

व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्पीड़ित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, विश्वास करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, विश्वास करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन हो जाएगा, या बना दिया जाएगा, स्वेच्छया उस व्यक्ति से कोई ऐसी बात करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आवृद्ध न हो, या किसी ऐसी बात के करने का लोप करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

352. जो कोई किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके, या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करके, कि यदि वह उस बात को न करेगा, जिसे उससे कराना अपराधी का उद्देश्य हो, या यदि वह उस बात को करेगा जिसका उससे लोप कराना अपराधी का उद्देश्य हो, तो वह या कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, अपराधी के किसी कार्य से दैवी अप्रसाद का भाजन हो जाएगा, या बना दिया जाएगा, स्वेच्छया उस व्यक्ति से कोई ऐसी बात करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आवृद्ध न हो, या किसी ऐसी बात के करने का लोप करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

इष्टांत

(क) क, यह विश्वास कराने के आशय से ये के द्वारा पर धरना देता है कि इस प्रकार धरना देने से वह ये को दैवी अप्रसाद का भाजन बना रहा है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

(ख) क, ये को धनकी देता है कि यदि ये अमुक कार्य नहीं करेगा, तो क अपने बच्चों में से किसी एक का वय ऐसी परिस्थितियों में कर डालेगा, जिससे ऐसे वय करने के परिणामस्वरूप यह विश्वास किया जाए, कि ये दैवी अप्रसाद का भाजन बना दिया गया है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

मत व्यक्ति नोक स्थान में अवधार।

353. जो कोई मतता की हालत में किसी तोक स्थान में, या किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसका प्रवेश करना भतियार हो, आएगा और वहां इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को होम हो, वह साता कारावास से, जिसकी अवधि चौबीस घंटे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

५-

10

15-

20

25-

30

35-

मानहानि के विषय में

354. (1) जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या इश्यरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लाभन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लाभन से ऐसे व्यक्ति की छाति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है, ऐसे लाभन से ऐसे व्यक्ति की छाति की अपहानि होगी, एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।

मानहानि ।

5— 10 स्पष्टीकरण 1—किसी मृत व्यक्ति को कोई लाभन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लाभन उस व्यक्ति की छाति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता, और उसके परिवार या अन्य निकट सम्बन्धियों की आवनाओं को उपहत करने के लिए आशयित हो।

स्पष्टीकरण 2—किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के सम्बन्ध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लाभन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा।

15— 20 स्पष्टीकरण 3—अनुकल्प के रूप में, या व्यगोचित के रूप में अभिव्यक्त लाभन मानहानि की कोटि में आ सकेगा।

स्पष्टीकरण 4—कोई लाभन किसी व्यक्ति की छाति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लाभन दूसरों की हस्ति में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के सम्बन्ध में उसके शील को हेय न करे या उस व्यक्ति की साख को नीचे न गिराए या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणौत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है।

इष्टांत

25— (क) क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी अवश्य चुराई है, वहता है, "क एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने ख की घड़ी कभी नहीं चुराई है"। जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो यह मानहानि है।

(ख) क से पूछा जाता है कि ख की घड़ी किसने चुराई है। क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी चुराई है, य की ओर संकेत करता है जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो, यह मानहानि है।

30— (ग) क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी चुराई है, य का एक चित्र खींचता है जिसमें वह ख की घड़ी लेकर भाग रहा है। जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो यह मानहानि है।

अपवाद 1—किसी ऐसी बात का लाभन लगाना, जो किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में सत्य हो, मानहानि नहीं है, यदि यह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लाभन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए। वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है।

35— अपवाद 2—उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहाँ तक उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे, कोई राय, याहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

अपवाद 3—किसी लोक प्रश्न के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में,

और उसके शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

इष्टांत

किसी लोक प्रश्न पर सरकार को अर्जी देने में, किसी लोक प्रश्न के लिए सभा बुलाने के अपेक्षण पर हस्ताक्षर करने में, ऐसी सभा का सभापतित्व करने में या उसमें हाजिर होने में, किसी ऐसी समिति का गठन करने में या उसमें सम्मिलित होने में, जो लोक समर्थन आमंत्रित करती है, किसी ऐसे पद के किसी विशिष्ट अध्यर्थी के लिए मत देने में या उसके पक्ष में प्रचार करने में, जिसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन से लोक हितबद्ध है, य आचरण के विषय में क द्वारा कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

अपवाद 4—किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम की सापतः सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है।

इष्टीकरण के —कोई मजिस्ट्रेट गा अन्य आफिसर, जो किसी न्यायालय में विचारण से पूर्व की प्रारम्भिक जांच खुले न्यायालय में कर रहा हो, उपरोक्त धारा के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय है।

अपवाद 5—किसी ऐसे मामले के गुणागुण के विषय में चाहे वह सिविल हो या दार्ढिक, जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका हो या किसी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में या ऐसे व्यक्ति के शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उसके आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

इष्टांत

(क) क कहता है "मैं समझता हूँ कि उस विचारण में य का साक्ष्य ऐसा परस्पर विरोधी है कि वह अवश्य ही मूर्ख या बेईमान होना चाहिए"। यदि क कहता है तो वह इस अपवाद के अन्तर्गत आ जाता है, क्योंकि जो राय वह य के शील के सम्बन्ध में अभिव्यक्त करता है, वह ऐसी है जैसी कि साक्षी के रूप में य के आचरण से, न कि उसके आगे, प्रकट होती है।

(ख) किन्तु यदि क कहता है "जो कुछ य ने उस विचारण में दृष्टापूर्वक कहा है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह सत्यवादिता से रहित व्यक्ति है," तो क इस अपवाद के अन्तर्गत नहीं आता है, क्योंकि वह राय जो वह य के शील के सम्बन्ध है अभिव्यक्त करता है, ऐसी राय है, जो साक्षी के रूप में य के आचरण पर आधारित नहीं है।

अपवाद 6—किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में, जिसको उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो, या उसके कर्ता के शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील ऐसी कृति में प्रकट होता हो, न कि उसके आगे, कोई राय सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

इष्टीकरण—कोई कृति लोक के निर्णय के लिए अभिव्यक्त रूप से या कर्ता की ओर से किए गए ऐसे कार्यों द्वारा, जिनसे लोक के निर्णय के लिए ऐसा रखा जाना विवक्षित हो,

रखी जा सकती है।

इष्टांत

(क) जो व्यक्ति पुस्तक प्रकाशित करता है वह उस पुस्तक को लोक के निर्णय के लिए रखता है।

५ (ख) वह व्यक्ति, जो लोक के समक्ष भाषण देता है, उस भाषण को लोक के निर्णय के लिए रखता है।

(ग) वह अभिनेता या गायक, जो किसी लोक रंगमंच पर आता है, अपने अभिनय या गायन को लोक के निर्णय के लिए रखता है।

(घ) क, च द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के संबंध में कहता है "य की पुस्तक मूर्खतापूर्ण है, य अवश्य कोई दुर्बल पुरुष होना चाहिए। य की पुस्तक अशिष्टतापूर्ण है, य अवश्य ही अपवित्र विचारों का व्यक्ति होना चाहिए। यदि क ऐसा सद्भावपूर्वक कहता है, तो वह इस अपवाद के अन्तर्गत आता है, क्योंकि वह राय जो वह, य के विषय में अभिव्यक्त करता है, य के शील से वही तक, न कि उससे आगे सम्बन्ध रखती है जहां तक कि य का शील उसकी पुस्तक से प्रकट होता है।"

१० (ङ) किन्तु यदि क कहता है "मुझे इस बात का आशय नहीं है कि य की पुस्तक मूर्खतापूर्ण तथा अशिष्टतापूर्ण है क्योंकि वह एक दुर्बल और लम्पट व्यक्ति है। क इस अपवाद के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि वह राय, जो कि वह य के शील के विषय में अभिव्यक्त करता है, ऐसी राय है जो य की पुस्तक पर आधारित नहीं है।"

१० अपवाद ७—किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता है, जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई किसी विधिपूर्ण संविदा से उद्भूत हो, ऐसे विचारों में, जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार सम्बन्धित हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भावपूर्वक की गई कोई परिनिनदा मानहानि नहीं है।

इष्टांत

१५ किसी साक्षी के आचरण की या न्यायालय के किसी आफिसर के आचरण की सद्भावपूर्वक परिनिनदा करने वाला कोई न्यायाधीश, उन व्यक्तियों की, जो उसके आदेशों के अधीन हैं, सद्भावपूर्वक परिनिनदा करने वाला कोई विभागाध्यक्ष, अन्य शिशुओं की उपस्थिति में किसी शिशु की सद्भावपूर्वक परिनिनदा करने वाला पिता या माता, अन्य विद्यार्थियों की उपस्थिति में किसी विद्यार्थी की सद्भावपूर्वक परिनिनदा करने वाला शिक्षक, जिसे विद्यार्थी के माता-पिता के प्राधिकार प्राप्त हैं, सेवा में शिथिलता के लिए सेवक की सद्भावपूर्वक परिनिनदा करने वाला स्वामी, अपने बैंक के रोकड़िए की, ऐसे रोकड़िए के रूप में ऐसे रोकड़िए के आचरण के लिए, सद्भावपूर्वक परिनिनदा करने वाला कोई बैंककार इस अपवाद के अन्तर्गत आते हैं।

२५ अपवाद ८—किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक लगाना, जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हैं, मानहानि नहीं है।

इष्टांत

यदि क एक मजिस्ट्रेट के समक्ष य पर सद्भावपूर्वक अभियोग लगाता है, यदि क एक

सेवक य के आदरण के सम्बन्ध में य के नातिक रो सदभावपूर्वक शिकायत करता है ; यदि क एक शिशु य के सम्बन्ध में य के पिता से सदभावपूर्वक शिकायत करता है ; तो क इस अपवाद के अन्तर्गत आता है ।

अपवाद 9—किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परन्तु यह तब जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए, या लोक कल्याण के लिए, वह लांछन सदभावपूर्वक लगाया गया हो ।

इष्टांत

(क) क एक दुकानदार है । वह ख से, जो उसके कारबार का प्रबन्ध करता है, कहता है, “य को कुछ न बेचना जब तक कि वह तुम्ह लकट धन न दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है” । यदि उसने य पर यह लांछन अपने हितों की संरक्षा के लिए सदभावपूर्वक लगाया है, तो क इस अपवाद के अन्तर्गत आता है ।

(ख) क, एक मजिस्ट्रेट अपने वरिष्ठ आफिसर को रिपोर्ट देते हुए, य के शील पर लांछन लगाता है । यहां, यदि वह लांछन सदभावपूर्वक और लोक कल्याण के लिए लगाया गया है, तो क इस अपवाद के अन्तर्गत आता है ।

अपवाद 10—एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सदभावपूर्वक सावधान बरना मानहानि नहीं है, परन्तु यह तब जब कि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए, जिसे वह दी गई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए, जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो, या लोक कल्याण के लिए आशयित हो ।

(2) जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दण्डित किया जाएगा ।

(3) जो कोई किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, मुद्रित करेगा, या उत्कीर्ण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(4) जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को, जिसमें मानहानिकारक विषय अन्तर्विष्ट है, यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है, बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

असहाय व्यक्ति की परिचयों करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में

5-

10

15-

20

25-

30

35-

असहाय व्यक्ति की परिचयों करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अवधि वर्तने का और उसके विषय में ।

355. जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किशोरावस्था या चितविकृति या रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है, या अपने निजी क्षेत्र की व्यवस्था या अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए असमर्थ है, परिचयों करने के लिए या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधिपूर्ण संविदा दुवारा आबद्ध होते हुए, स्वेच्छया ऐसा करने का लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

1860 का 45

356. (1) भारतीय दंड संहिता' का निरसन किया जाता है।

निरसन और
व्यावृति।

(2) उपधारा (1) में निश्चिट अधिनियम का निरसन होने पर भी निम्नलिखित पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा,-

5

(क) ऐसे निरसित अधिनियम के पूर्व सप्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या भोगी गई कोई बात; या

10

(ख) ऐसे निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोटमूत या उपगत कोई अधिकार, विषेश अधिकार, दायित्व या उत्तरदायित्व; या

(ग) ऐसे निरसित अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, सम्पहरण या दंड; या

15

(घ) इस प्रकार की किसी शास्ति सम्पहरण या दंड के संबंध में कोई जांच या उपचार; या

(ङ) उपरोक्त शास्ति या दंड के संबंध में कोई कार्यवाही, जांच या उपचार और इस प्रकार की कार्यवाही या उपचार संस्थित हो सकेगा, जारी रह सकेगा या प्रवृत्त हो सकेगा और इस प्रकार की किसी शास्ति का अधिरोपण किया जा सकेगा, जैसे उस संहिता का निरसन नहीं किया गया था।

1897 का 10

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त संहिता के अधीन की गई कोई बात या कोई कर्रवाई, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

20

(4) निरसन के प्रभाव के संबंध में उपधारा (2) में विशिष्ट मामलों का उल्लेख सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य भनुप्रयोग को प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष 1834 में, लॉड थॉमस बैबिंग्टन मैकॉले की अध्यक्षता में विद्यमान न्यायालयों की अधिकारिता, शक्ति और नियमों के साथ, पुनिस्थापनों और भारत में प्रवृत्त विधियों की जांच करने के लिए भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था।

2. आयोग ने सरकार को विभिन्न अधिनियमितियों का सुझाव दिया। आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक भारतीय दंड संहिता के लिए थी, जिसे वर्ष 1860 में अधिनियमित किया गया था और उक्त संहिता में समय-समय पर उसमें किए गए कुछ संशोधनों के साथ देश में अभी भी बनी हुई है।

3. भारत सरकार ने विधि और व्यवस्था को सुहृद करने के साथ और विधिक प्रक्रिया को सरल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विद्यमान दाइडिक विधियों का पुनर्विलोकन करना समीचौन और आवश्यक समझा है, जिससे साधारणजन को जीवनग्राम की सुगमता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने विद्यमान विधियों को समकालीन स्थिति के अनुसार सुसंगत बनाने और साधारण जन को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए भी विचार किया। तदनुसार, समकालीन आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा एक ऐसा विधिक ढांचा सुजित करने की इच्छा से, जो नागरिक केंद्रित हो और नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न पण्डारियों के साथ भी परामर्श किया गया।

4. अतः, भारतीय दंड संहिता का निरसन करके, एक नई विधि, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 को अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंधों को सुप्रवाही किया जा सके। समुदाय सेवा को पहली बार छोटे अपराधों के लिए एक दंड के रूप में उपबंधित करना प्रस्तावित है। महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराध, हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराधों को अवलोकन दिया गया है। विभिन्न अपराधों को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाया गया है। संगठित अपराधों और अंतक्यादी कार्यकलापों के साथ प्रभावी रूप से निपटने के लिए, अंतक्यादी कार्यकलाप और संगठित अपराध के नए अपराधों को विधेयक में कठोर दंड के साथ जोड़ा गया है। अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्यसक कार्यकलाप, अलगाववादी कार्यकलाप या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता पर खतरों को नए अपराध के रूप में जोड़ा गया है। विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने और दंड में भी समुचित रूप से वृद्धि की गई है।

5. खंडों का टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करता है।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए है।

नई दिल्ली :

९ अगस्त, 2023

अमित शाह

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1, प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होने का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 2, प्रस्तावित विधान में प्रयोग किए गए कतिपय शब्दों और पटों, यथा कार्य, लोप, कृत्करण, बैंडमानी से, लिंग, सद्भावपूर्वक, अपराध, स्वैच्छिया, आदि को परिभाषित।

विधेयक का खंड 3, "साधारण अपवाद" अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्यधीन प्रस्तावित विधान में प्रगणित साधारण स्पष्टीकरणों और पटों का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 4, प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों के अधीन उपबंधित विभिन्न अपराधों के दंडों का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 5, समुचित सरकार को मृत्यु दण्डादेश या आजीवन कारावास का लघुकरण करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 6, दण्डावधियों की जिन्हों का गणना करने में, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के तुल्य होने का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 7, यह उपबंध करने के लिए है कि दण्डादिष्ट कारावास के या उसका कोई आग कठिन या सादा हो सकेगा।

विधेयक का खंड 8, जुर्माना आदि के भुगतान में व्यतिक्रम करने के लिए जुर्माने की राशि का और जुर्माना आदि के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर कारावास का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 9, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 10, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित न्यूनतम दण्ड का उपबंध करने के लिए है, जहां कई अपराधों को कारित करने में संदेह है।

विधेयक का खंड 11, एकांत परिरोध के लिए न्यायालय की शक्ति का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 12, कतिपय मामलों में एकांत परिरोध की अवधि का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 13, पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 14, किसी ऐसे व्यक्ति को छूट देने के लिए है, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आवद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आवद्ध है।

विधेयक का खंड 15, यह उपतंथ करता है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो

न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जो, या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है।

विधेयक का खंड 16, ऐसे अपराध से किसी व्यक्ति को छूट देने के लिए है, जब वह किसी निर्णय या आदेश के अधीन चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परन्तु यह तब जब कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी।

विधेयक का खंड 17, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है।

विधेयक का खंड 18, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या जान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है।

विधेयक का खंड 19, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या जान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है।

विधेयक का खंड 20, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।

विधेयक का खंड 21, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आधरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके।

विधेयक का खंड 22, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय मानसिक रुग्णता के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है।

विधेयक का खंड 23, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है, परंतु जिससे उसकी मतता हुई थी, उसको अपने जान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी।

विधेयक का खंड 24, यह उपबंध करने के लिए है कि उन दशाओं में, जहां कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति, जो वह कार्य मतता की हालत में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता था दिकि वह मतता में न होता

जब तक कि वह चौज, जिससे उसे गतता हुई थी, उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो ।

विधेयक का खंड 25, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात, जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को वह जात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त, चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को जात हो कि वह उपर्युक्त जैसे किसी व्यक्ति को, जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है ।

विधेयक का खंड 26, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है ।

विधेयक का खंड 27, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात अपराध नहीं है, जब संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया गया है ।

विधेयक का खंड 28, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है, जो प्रस्तावित विधान द्वारा आशयित है, जब वह भ्रय या भ्रम के अधीन दी गई हो या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है, जो बारह वर्ष से कम आयु का है ।

विधेयक का खंड 29, यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 21, 22 और 23 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है, जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं जो उस व्यक्ति को, जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों से कारित हो, या कारित किए जाने का आशय हो, या कारित होने की संभाव्यता जात हो ।

विधेयक का खंड 30, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात, जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि, उसकी सम्मति के बिना, की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण, जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है, यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए वह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए भस्मर्य हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके ।

विधेयक का खंड 31, यह उपबंध करने के लिए है कि सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो, जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो ।

विधेयक का खंड 32, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है, छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका

कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए ।

विधेयक का खंड 33, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की सम्भाव्यता जात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मानूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा ।

विधेयक का खंड 34, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है ।

विधेयक का खंड 35, यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक व्यक्ति को, विधेयक में अंतर्विष्ट निर्वधनों के अध्यधीन, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है ।

विधेयक का खंड 36, यह उपबंध करने के लिए है कि कोई बात अपराध नहीं है, जब कोई कार्य, जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, मानसिक रूप से रुचन या भ्रत्ता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी अग्र के कारण, वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विशद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है, जो वह उस कार्य के बैसा अपराध होने की दशा में रखता ।

विधेयक का खंड 37, उन कतिपय कार्यों का उपबंध करने के लिए है, जिनके विशद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है ।

विधेयक का खंड 38, उन कतिपय परिस्थितियों का उपबंध करने के लिए है, जिनमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का होता है ।

विधेयक का खंड 39, उन कतिपय परिस्थितियों का उपबंध करने के लिए है, जब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है ।

विधेयक का खंड 40, यह उपबंध करने के लिए है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, और वह तब तक बना रहता है, जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है ।

विधेयक का खंड 41, उन कतिपय परिस्थितियों का उपबंध करने के लिए है, जब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है ।

विधेयक का खंड 42, उन परिस्थितियों का उपबंध करने के लिए है, जब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है ।

विधेयक का खंड 43, यह उपबंध करने के लिए है कि सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है, जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है और तब तक बना रहता है जब तक ऐसी आशंका जारी रहती है ।

विधेयक का खंड 44, यह उपबंध करने के लिए है कि जिस हमले से नृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है, उसके विशद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के

विना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जीखिम उठाने तक का है।

विधेयक का खंड 45, दुष्प्रेरण का यह अर्थ बताने का उपबंध करने के लिए है कि वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा उस बात को करने के लिए किसी व्यक्तिमें एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस व्यक्तिमें अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

विधेयक का खंड 46, यह उपबंध करने के लिए है कि वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या जान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता।

विधेयक का खंड 47, यह उपबंध करने के लिए है कि वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए।

विधेयक का खंड 48, यह उपबंध करने के लिए है कि वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए।

विधेयक का खंड 49, दुष्प्रेरण के दण्ड का उपबंध करने के लिए है यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहाँ उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है।

विधेयक का खंड 50, दुष्प्रेरण के दण्ड का उपबंध करने के लिए है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से जिन्न आशय से कार्य करता है।

विधेयक का खंड 51, यह उपबंध करने के लिए है कि जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो, परन्तु यह तब जब कि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसम्भाल्य परिणाम था और उस उक्साहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस व्यक्तिमें अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है।

विधेयक का खंड 52, यह उपबंध करने के लिए है कि यदि वह कार्य, जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दण्डनीय नहीं है।

विधेयक का खंड 53, दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व का उपबंध करने के लिए है, जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से जिन्न हो।

विधेयक का खंड 54, यह उपबंध करने के लिए है कि जब कभी कोई व्यक्ति, जो

अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाहीं दण्डनीय होता, उस समय उपस्थित ही, जब वह कार्य या अपराध किया जाए, जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दण्डनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है।

विधेयक का खंड 55, यह उपबंध करने के लिए है कि जब इस संहिता के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध से संबंधित दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है तो वह व्यक्ति कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सके गा और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

विधेयक का खंड 56, यह उपबंध करने के लिए है कि यदि अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप नहीं किया गया है और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है, तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भाँति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, दण्डित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 57, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई लोक साधारण द्वारा, या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संलग्न या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 58, मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाने का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 59, किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना को लोक सेवक द्वारा छिपाए जाने का उपबंध करने के लिए है, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है।

विधेयक का खंड 60, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई उस अपराध का किया जाना, जो कारावास से दंडनीय है, सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तदद्वारा सुकर बनाएगा यह जानते हुए, ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता है।

विधेयक का खंड 61, यह उपबंध करने के लिए है कि जब दो या अधिक व्यक्ति, कोई अवैध कार्य, अथवा कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक बद्यत्र कहलाती है।

विधेयक का खंड 62, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय अपराध करने का, या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के आधे तक की ही सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 63, बलात्संग की परिआचा का और ऐसी विभिन्न परिस्थितियों का, जिसके अधीन वह अपराध बलात्संग समझा जाएगा,

विधेयक का खंड 64, बलात्संग के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है, जब कोई व्यक्ति, कोई पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए, जेल का कर्मचारिवृद्ध होते हुए, अपराध करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 65, कतिपय मामलों में सोलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 66, ऐसे बलात्संग के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है जो ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाएगा, जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 67, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई, अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा, पृथक रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी मांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 68, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई, प्राधिकार की किसी स्थिति या कोई लोक सेवक या जेल अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल के प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारिवृद्ध होते हुए, बलात्संग करता है, वह दोनों में से किसी आंति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 69, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या उसे पूरा करने के आशय के बिना स्त्री से विवाह करने के बचन द्वारा और ऐसे मैथुन बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है उसके साथ मैथुन करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

विधेयक का खंड 70, यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास या मृत्यु से, जहां अठारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से सामूहिक बलात्संग किया जाता है, दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 71, ऐसे पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है कि जो धारा 63 या धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन

दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धांष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदण्ड से दंडित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 72, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई किसी नाम या अन्य बात को, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 63, धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67 या धारा 68 के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और कठिपय परिस्थितियों के अधीन जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 73, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तटद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 74, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई शारीरिक संस्पर्श और अप्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हों, या लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई भाँग या अनुरोध करने; या किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने; या लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने जैसे कार्य करेगा, वह पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा, और वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 75, यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा कोई पुरुष, जो किसी स्त्री को विवर्सन करने या जिर्वस्त्र हीने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 76, इश्यरतिकता के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है कि ऐसा कोई पुरुष, जो कोई किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को, जो उन परिस्थितियों में, जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखेगा या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, उसके लिए दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 77, पीछा करने के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है, जो किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस स्त्री दृवारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, बारंबार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है, उसके लिए दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 78, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई किसी स्त्री की लज्जा

वह अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

विधेयक का छंड 79, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई दैज मृत्यु कारित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा ।

विधेयक का छंड 80, यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक पुरुष, जो किसी स्त्री को, जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो, प्रवचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

विधेयक का छंड 81, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए, किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल में होता है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

विधेयक का छंड 82, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई बैर्डमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि लट्टवारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

विधेयक का छंड 83, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से ले जाएगा, या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे या इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

विधेयक का छंड 84, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

विधेयक का छंड 85, किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अयुक्त संभोग करने हेतु विवाह, आदि करने को विवश करने के लिए व्यपहत करने, अपहत करने या उत्प्रेरित करने के लिए, दंड का उपबंध करने के लिए है, जो दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

विधेयक का छंड 86, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छुया गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक, कारित न किया जाए, तो वह दोनों ने से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि वह स्त्री स्पन्दनगम्भी हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

विधेयक का छंड 87, स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करने के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है, जो किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

विधेयक का छंड 88, यह उपबंध करने के लिए है कि दंड, जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और जहां उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से, या उक्त उपधारा में विनिदिष्ट दण्ड से, दण्डित किया जाएगा ।

विधेयक का छंड 89, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तट्टवारा रोका जाए या जन्म के पश्चात् तट्टवारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा, या उसके जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

विधेयक का छंड 90, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तट्टवारा मृत्यु कारित कर देता, तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता और ऐसे कार्य दधारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

विधेयक का छंड 91, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए, या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए, ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

विधेयक का छंड 92, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुण्ठ रूप से नाइकर या अन्यथा उसका व्ययन करके, याहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात् या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साशय छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी

अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

विधेयक का छंड 93, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को भाड़े पर लेगा, नियोजित करेगा या नियुक्त करेगा तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से या जुर्माने से उसी प्रकार दण्डनीय होगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो।

विधेयक का छंड 94, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की शिशु को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या तद्दवारा विवश या विलुप्त किया जाएगा वह सम्भाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

विधेयक का छंड 95, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई दस वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

विधेयक का छंड 96, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई अठारह वर्ष के कम आयु के किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधिविलुप्त और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति, किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

विधेयक का छंड 97, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई अठारह वर्ष के कम आयु के किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृति या किसी शिशु से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधिविलुप्त और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा शिशु, किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा, या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो सात वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु छौदह वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

विधेयक का छंड 98, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह जान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह अपराधिक मानव वध का अपराध

करता है।

विधेयक का खंड 99, विभिन्न परिस्थितियों का उपबंध करने के लिए है, जिनके अधीन आपराधिक मानव वधु, हत्या है।

विधेयक का खंड 100, ऐसे आपराधिक मानव वधु को परिभाषित करने के लिए है जिसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई।

विधेयक का खंड 101, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। उपखंड (2) यह भी उपबंध करता है कि जब पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह निलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य स्वयं के निजी विश्वास या किसी अन्य आधार पर मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के कारावास से जो सात वर्ष से कम नहीं होगा, के दंड से दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

विधेयक का खंड 102, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास, जो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा, से दण्डित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 103, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वधु के लिए दण्ड का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 104, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वधु की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। यह भी उपबंध करता है कि जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वधु नहीं है और घटना स्थल से निकलकर आगे या घटना के तत्काल पश्चात, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की सूचना देने में असफल रहेगा, किसी भी अवधि की कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, के दंड से दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

विधेयक का खंड 105, यह उपबंध करने के लिए है कि यदि अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, मानसिक रूप से रुक्ष व्यक्ति, चित्र विपर्यस्त कोई व्यक्ति या मतता की अवस्था में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है जो कोई ऐसी आत्महत्या को करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के कारावास से, जो दस वर्ष से अधिक न हो, से दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

विधेयक का खंड 106, यह उपबंध करने के लिए है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

विधेयक का छंड 107, हत्या करने के प्रयत्न के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है और, यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता। तो वह हत्या कर दीर्घी होता, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी टण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या जुमाने से या दोनों से टण्डनीय होगा।

विधेयक का छंड 108, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के प्रयत्न को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ; और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

विधेयक का छंड 109, संगठित अपराध को इस प्रकार परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है, जिससे सतत् विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अभियेत है, जिसके अंतर्गत व्यपहरण, डैक्टी, यान चोरी, उद्धापन, भूमि हथियाना, सविदा वध, आर्थिक अपराध, गङ्गीर परिणाम वाले साइबर-अपराध, लोगों, ओषधियों, अवैध माल या सेवाओं और हथियारों का दुर्व्यापार, वैश्यावृति या फिरीती के लिए नानव दुर्व्यापार घेरा भी है, संगठित अपराध का गठन करेगा।

विधेयक का छंड 110, छोटे संगठित अपराध को परिभाषित करने उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है, जिससे ऐसा कोई अपराध अभियेत है, जो नागरिकों के बीच यान चोरी या यान से या घरेलू चोरी, कारबार चोरी, छल-कपट से चोरी, स्थोरा चोरी, चोरी (चोरी, वैयक्तिक संपत्ति की चोरी का प्रयास) है।

विधेयक का छंड 111, यह उपबंध करने के लिए है कि आतंकवादी कार्य से यदि वह भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को धमकी देने, जनसाधारण या उसके किसी हिस्से को अभिनास करने या लोक व्यवस्था को विशुद्ध करने के आशय से कोई कार्य कारित करता है, जैसे बमों, डायनामाइटों या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील सामग्रियों या अग्नायुद्धीयों, किसी संपत्ति की क्षति या विनाश के कारण क्षति या हानि, समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक विन्हीं आपूर्तियों या सेवाओं का विनाश, सरकारी या लोक सुविधा, लोकस्थान या निजी संपत्ति का विनाश, कारित करना, गहन अवसरचना के नुकसान या विनाश के साथ अत्यधिक हस्तक्षेप कारित करना अभियेत है।

विधेयक का छंड 112, यह उपबंध करता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैश्वल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है।

विधेयक का छंड 113, स्वेच्छया उपहति कारित करने को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का छंड 114, उपहति, अर्थात् पुस्त्वहरण, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, दोनों में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थायी विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, किसी भी अंग या जांड की शक्तियों का नाश या स्थायी हास, सिर

या घैहरे का स्थायी विद्युपिकरण, अस्थि या दांत का भंग और विसंधान, कोई उपहति, जो जीवन का संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहति वैयक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है, को धौर उपहति के रूप में उपबंधित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 115, स्वेच्छया धौर उपहति कारित करने को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 116, खतरनाक आयुर्धी या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या धौर उपहति कारित करने को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 117, संपति उदापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या धौर उपहति कारित करने को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 118, संस्वीकृति उदापित करने या विवश करके संपति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छया उपहति या धौर उपहति कारित करने को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 119, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या धौर उपहति कारित करने को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 120, प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या धौर उपहति कारित करने को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 121, अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 122, अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया धौर उपहति कारित को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 123, ऐसे कार्य को, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक होम संकटापन्न हो, परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 124, सदोष अवरोध को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 125, सदोष परिरोध को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 126, बल को परिभाषित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 127, आपराधिक बल को परिभाषित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 128, हमला को परिभाषित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 129, गम्भीर प्रयोगन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 130, लोक सेवक को उसके बलेत्य के निर्वहन से अयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल के प्रयोग के लिए दण्ड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 131, गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा, किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग के लिए दण्ड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 132, किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपति की घोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल के प्रयोग के लिए दण्ड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 133, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल के प्रयोग के लिए दण्ड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 134, गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग के लिए दण्ड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 135, व्यपहरण को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 136, यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो यह कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है ।

विधेयक का खंड 137, श्रीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण को परिभाषित करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 138, हत्या करने के लिए या फिरीती के लिए व्यपहरण या अपहरण करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 139, विदेश से लड़की या लड़के का आयात करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 140, विदेश से लड़की या लड़के का आयात करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 141, व्यक्ति के दुर्व्यापार और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 142, दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति के और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 143, दासों के आन्यासिक व्याहार करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 144, विधिविलद्ध आनेवार्य अम और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 145, भारत सरकार के विरुद्ध, युद्ध करने, या युद्ध करने का प्रयत्न करने या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करने और उसके लिए दंड का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 146, धारा 145 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का बहुयंत्र करने का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 147 भारत सरकार के विस्तृद्वय युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 148 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 149 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 151 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विस्तृद्वय युद्ध करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 152 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 153 धारा 151 और 152 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 154 लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैटी या युद्धकैटी को निकल भागने देना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 155 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैटी के निकल भागने सहन करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 156 ऐसे कैटी के निकल भागने में महायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 157 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 158 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 159 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर जब कि वह आफिसर अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 160 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 161 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यज्ञन का दुष्प्रेरण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 162 अभित्याजक को संशय देना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 163 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 164 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 165 कुछ अधिनियमों के आधारीन व्यक्ति और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 166 सेना अधिनियम, 1950, इंडियन नेवी (डिसिप्लीन) एकट, 1934 या वायुसेना अधिनियम, 1953 द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन प्रारण करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 167 "अध्यय्यी", "निर्वाचन अधिकार" परिभाषित करता है।

विधेयक का खंड 168 रिश्वत उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 169 निर्वाचनों में असाम्यवत्त असर डालने का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 170 निर्वाचनों में प्रतिरूपण का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 171 रिश्वत के लिए दण्ड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 172 निर्वाचनों में असाम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 173 निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 174 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 175 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 176 सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेसी नोट या बैंक नोट कूटकरण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 177 कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 178 कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेसी नोट या

बैंक नोट के कढ़जे में रखना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 179 लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेसी नोट या बैंक नोट बनाना या कढ़जे में रखना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 180 करेसी नोट या बैंक नोट के सहश दस्तावेज बनाना या उपयोग करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 181 इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 182 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में जात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 183 स्टाम्प के उपयोग किए जा पुकाने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 184 बनावटी स्टाम्पों का प्रतिबेध और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 185 टकसाल में नियोजित द्यक्षित द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्न से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 186 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 187 विधिविरुद्ध जमाव और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 188 विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 189 बल्वा करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 190 बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बल्वा किया जाए, यदि बल्वा न किया जाए और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 191 उस अूमि के स्वामी, अधिभोगी, आदि, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा किया गया है, का दायित्व और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 192 दंगा और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 193 लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे वापित करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 194 धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के

आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 195 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले सांघन, प्राख्यान और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 196 लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 197 लोक सेवक, जो विधि के अधीन निटेश की अवज्ञा करता है और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 198 पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 199 लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रखता है और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 200 लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 201 लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 202 लोक सेवक का प्रतिरूपण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 203 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 204 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए करार हो जाना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 205 समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 206 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 207 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधिनियम की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 208 दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आवद्ध व्यक्ति को लोक सेवक के दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोप और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 209 सूचना या इतिला देने के लिए वैध रूप से आवद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इतिला देने का लोप करने और उसके दंड का उपबंध करता

है ।

विधेयक का खंड 210 मिथ्या इतिला देना और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 211 शपथ या प्रतिज्ञान से इकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 212 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इकार करना और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 213 कथन पर हस्ताक्षर करने से इकार और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 214 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 215 इस आशय से मिथ्या इतिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 216 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 217 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 218 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध चौली लगाना और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 219 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 220 लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 221 लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रचल्यापित आदेश की अवज्ञा और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 222 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 223 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 224 मिथ्या विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का परामर्श और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 225 मिथ्या साक्ष्य देने का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 226 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 227 मिथ्या साक्ष्य के लिए टंड और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 228 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 229 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 230 किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 231 उस साक्ष्य को काम में लाना, जिसका मिथ्या होना जात है और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 232 मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 233 प्रमाणपत्र को, जिसका मिथ्या होना जात है, सच्चे के रूप में काम में लाना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 234 ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 235 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए, उसे सच्ची के रूप में काम में लाना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 236 अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इतिला देना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 237 इतिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इतिला देने का साशय लोप और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 238 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतिला देना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 239 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको लष्ट करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 240 वाद या अधियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से

मिथ्या प्रतिरूपण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 241 संपत्ति को सम्पहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 242 संपत्ति पर उसके सम्पहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 243 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्टी होने देना सहन करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 244 बेरुमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 245 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्टी अभिप्राप्त करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 246 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 247 अपराधी को संशय देना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 248 अपराधी को दंड से परिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 249 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्त्यापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 250 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 251 ऐसे अपराधी को संशय देना, जो अभिरक्षा से निकल आगा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 252 लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 253 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के सम्पहरण से बचाने के आशय से विधि के निरेश की अवज्ञा और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 254 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को सम्पहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 255 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक

सेवक द्वारा अष्टतापूर्वक किया जाना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 256 प्राप्तिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दग्नी और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 257 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 258 दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 259 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 260 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 261 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 262 उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 263 अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 264 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 265 न्यायिक कार्यवाही में श्रेष्ठ हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 266 असेसर का प्रतिरूपण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 267 जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 268 लोक न्यूसेन्स का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 270 परिदृवेषपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 271 करन्तीन के लियम की अवज्ञा और उसके दंड का उपबंध करता

है।

विधेयक का खंड 272 विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्नण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 274 ओषधियों का अपमिश्नण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 275 अपमिश्नित ओषधियों का विक्रय और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 276 ओषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 277 लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कल्पित करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 278 वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 280 जलयान का उतावलेपन से चलाना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 281 आमक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 282 अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में आड़े के लिए जलमार्ग से किसी द्यक्षित का प्रवहण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 283 लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 284 विशेष पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 285 अभिन या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 287 मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 289 जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 290 अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 291 न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका घात् रखना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 293 बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, आदि और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 294 अश्लील कहाँ और गाने और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 295 लाटरी कार्यालय रखना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 296 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 297 विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 298 धार्मिक जगाव में विघ्न करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 299 किस्तिमानों आदि में अतिचार करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 300 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से, शब्द उच्चारित करना आदि और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 301 चोरी और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 302 झपटमारी और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 303 लिवास-गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 304 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 305 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहाति या अवरोध कारित करने की

तैयारी के पश्चात् चोरी और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 306 उद्दापन और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 307 लूट और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 308 डैकेती और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 309 मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डैकेती और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 310 घातक आयुष से सजिजत होकर लूट या डैकेती करने का प्रयत्न और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 311 चोरों की टोली का होने के लिए टण्ड और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 312 सम्पति का बेंडमानी से दुर्विनियोग और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 313 ऐसी सम्पति का बेंडमानी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 314 आपराधिक न्यासभंग और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 315 युराई हुई संपति और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 316 छल और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 317 प्रतिरूपण द्वारा छल और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 318 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपति का बेंडमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 319 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेंडमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 320 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेंडमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 322 रिष्टि और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 323 जीवजन्म को वर्ध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 324 सति, जलप्लावन, अल्लि या विस्फोटक पटार्थ द्वारा रिष्टि और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 325 रेल, चायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्ट और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 326 चोरी, आदि करने के प्राशय से जलयान को माशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 327 आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 328 गृह-अतिचार और गृह-भेदन का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 329 गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दंड और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 330 अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 331 उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 332 ऐसे पात्र को, जिसमें संपत्ति है, बेड़माली से तोड़कर खोलने का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 333 मिथ्या दस्तावेज रखना का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 334 कूटरचना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 335 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 336 मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 337 धारा 338 या 339 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 338 कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 339 धारा 339 के अधीन टण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कृटकृत भुदा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 340 धारा 339 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 341 विल, दत्कवाहण प्राधिकार-पत्र या नूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट, आदि करना और उसके दंड का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड लेखा का मिथ्याकरण 342 और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 343 सम्पत्ति-चिह्न और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 344 क्षति करित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिनाइना और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 345 सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 346 सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कद्दा और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 347 कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 348 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 349 आपराधिक अभिन्नास और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 350 लोकशांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 351 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 352 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 353 मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवघार और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 354 मानहानि और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 355 असहाय व्यक्ति की परिचया करने की और उसकी आवश्यकता और की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में और उसके दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 356, भारतीय दंड संहिता, 1860 के निरसन और व्यावृति का उपबंध करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

भारतीय न्याय संहिता, 2023, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, भारत की संचित निधि से, कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित होने की सम्भावना नहीं है।